खण्ड-325, अंक-3
सोमवार, 27 आषाढ़, शक संवत् 1899
(18 जुलाई, 1977 ई0)

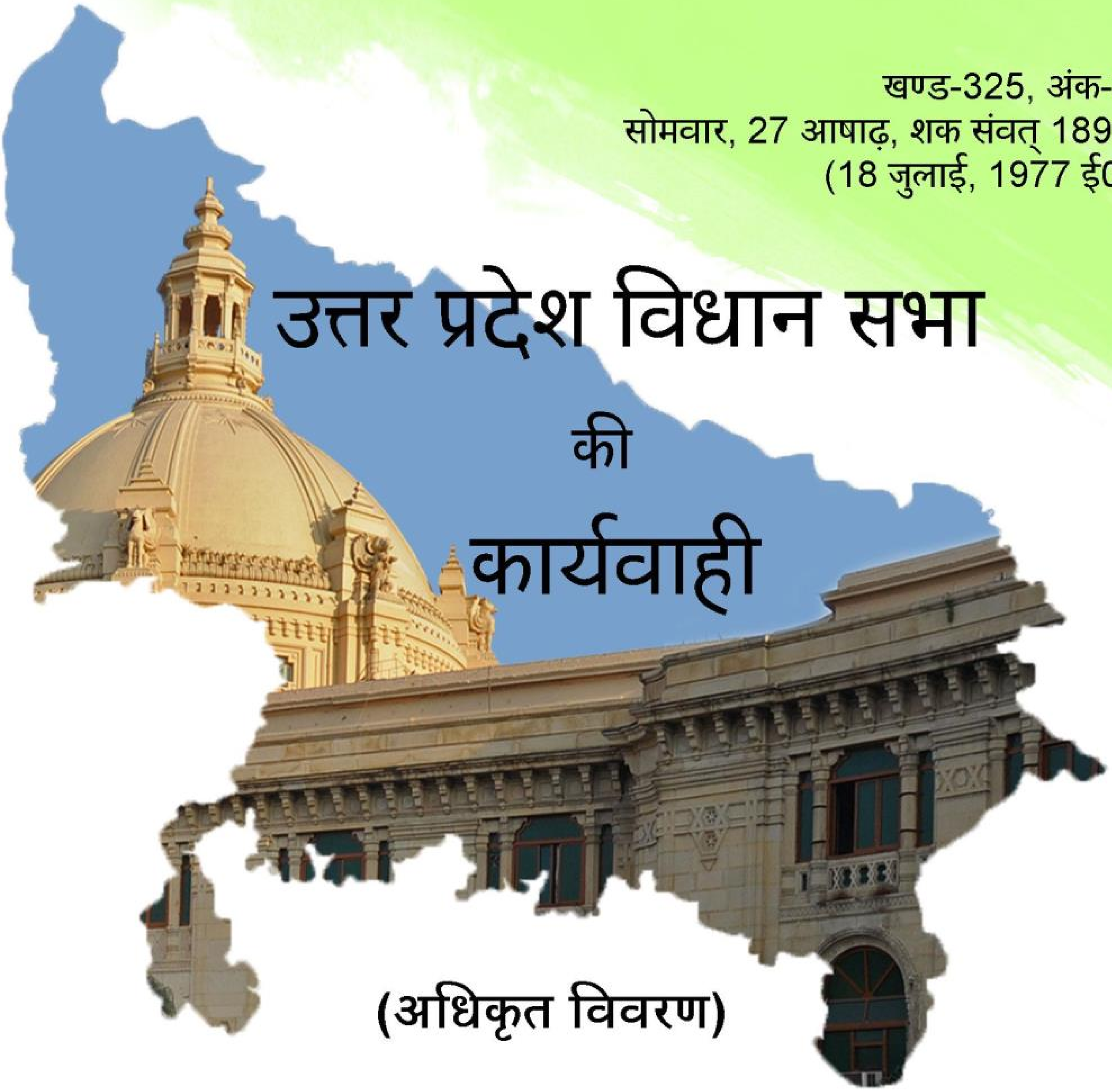

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 325 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	109–113
प्रश्नोत्तर	113–125
विविध विषय	125–128
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति का 1976-77 का तेरहवां प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	128
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	129
उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	129
उत्तर प्रदेश ऋण अनतोष विधयक, 1977 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	129
सचिव, विधान सभा के बैठने के स्थान के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	129
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, श्री चरन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	129–131
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	131
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) ..	132–161
नेता, विरोधी दल द्वारा एक पुस्तिका सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	161–166
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (चर्चा जारी) ..	167–186
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	186–187
राज्य में सीमेंट का अभाव, खाद्य तेलों एवं दालों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी से उत्पन्न संकट के विषय में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी)	187–195
नत्थी	196–208

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 18 जुलाई, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--363

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशरफी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बघेली, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायन सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायन, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह) (जिला बस्ती)
ओंकार सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री

गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर भय्या, श्री
गौरी शंकर, एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री (जिला जौनपुर)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री (जिला फतेहपुर)
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री (जिला बांदा)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहीरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्म गज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुल बारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बशीर अहमद, श्री

बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री (जिला प्रतापगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
माधव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबहादुर यादव, श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
रा. मंगल तिवारी, श्री

राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
रामजी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम शिरोमन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लखी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
वि मा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह 'निर्भय', श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री

विधान सभा प्रदेश

सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबे दार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन लाल, श्री
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव (एडवोकेट), श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिशचन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खा, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—श्री रवीन्द्र किशोर शाही, विद्युत मन्त्री तथा श्रीमती चन्द्रावती, गन्ना विकास मन्त्री भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 18 जुलाई, 1977

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

हिण्डालको, जिला मिर्जापुर की बिजली की कटौती

**1—श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने हिण्डालको (मिर्जापुर) को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दी जाने वाली बिजली में से 35 मेगावाट बिजली कटौती कर लेने का निर्णय वर्तमान मन्त्रि-मण्डल गठित होने के तुरन्त बाद किया था? यदि हां, तो अब तक कितनी बिजली काटी जा चुकी है?

विद्युत मन्त्री (श्री रवीन्द्र किशोर शाही)—

वर्तमान मंत्रि मण्डल गठित होने के समय हिण्डालको को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 30 मेगावाट बिजली दी जा रही थी। मन्त्रि मण्डल गठित होने के तुरन्त बाद उपरोक्त मात्रा को शून्य करने का निर्णय लिया गया जो क्रमशः 30 जून, 1977 तक शून्य हो गया।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मेरी सूचना है कि अभी भी हिण्डालको को अतिरिक्त बिजली दी जा रही है। यदि यह सही है, तो इस सम्बन्ध में शासन का क्या निश्चय है, यह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मन्त्रि-मण्डल ने जिस विद्युत् को जीरो तक पहुंचाने का फैसला किया था, हिण्डालको को वह बिजली 11 पैसे के रेट से दी जा रही है। हिण्डालको के साथ उत्तर प्रदेश शासन का एक स्टैंड-बाई कांट्रेक्ट है और उसमें जब कभी भी हिण्डालको के पावर हाउस फेल हो जायं, तो शासन को रिवाइज्ड रेट पर बिजली देने की बात है। माननीय सदस्य जो सूचना दे रहे हैं, तो उसमें इससे आप समझ सकते हैं कि उनको 10 मेगावाट स्टैंड-बाई सपोर्ट के मातहत 22 पैसे में देते रहे और कोल-बरनिंग और सरचार्ज मिलाकर 26 से 28 पसे के हिसाब से दी जा रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार—

पिछले मन्त्रि-मण्डल के समय इस हिण्डालको को कितनी बिजली दी जा रही थी और किस रेट पर, उस समय शासन की क्या नीति थी, यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

हिण्डालको के साथ उत्तर प्रदेश शासन का 85 मेगावाट बिजली देने का अनुबन्ध है और यह बिजली उनको 1975 के जून महीने तक 1.9977 पैसे पर यूनिट, यानी दो पैसे से भी कम भाव से दी जा रही थी। उसके बाद बिजली का भाव 11 पैसे कर दिया गया और 85 मेगावाट बिजली, इस रेट से मार्च के महीने तक दी जाती रही। जो विगत सरकार थी, उसने दिनांक 7 अप्रैल, 1977 को समस्त प्रदेश के औद्योगिक केन्द्रों को दी जाने वाली बिजली में 50 परसेंट कटौती का निर्णय लिया। उससे पहले राष्ट्रपति शासन में इनको 30 मेगावाट दी जा रही थी। अब 23 तारीख के निर्णय के अनुसार वह भी काट दी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृषि कार्य के लिए बिजली की अत्यन्त आवश्यकता है, तो जो बिजली इस समय उनको दी जा रही है, उसमें भी कटौती करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह सुझाव है, इसकी अनुमति नहीं दी जाती।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

सरकार ने उत्तर दिया है कि 30 मेगावाट बिजली विद्युत् परिषद् द्वारा दी जा रही थी और अब उसको शून्य कर दिया गया है और अभी माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 85 मेगावाट बिजली देने का उनसे अनुबन्ध किया गया था, तो इस 30 मेगावाट बिजली देने का ही जिक्र माननीय मन्त्री जी ने अपने लिखित उत्तर में क्यों किया, पूरे का जिक्र क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष —

इसका उत्तर वह दे चुके।

श्री कल्पनाथ सिंह—

यह तो अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा। लिखित उत्तर में, तो उन्होंने कहा कि विद्युत् परिषद् से 30 मेगावाट बिजली दी जा रही है और उसको हम शून्य कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का जो अनुबन्ध था 85 मेगावाट बिजली देने का, यह उत्तर न देकर किन परिस्थितियों में केवल 30 मेगावाट का उल्लेख किया गया ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

यह तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्तमान मंत्रि-मण्डल गठित होने के समय हिण्डालको को 30 मेगावाट बिजली दी जा रही थी। तो जो कट होते गए, उन सबका जिक्र न करके, यह उत्तर वांछित था कि जो शून्य किया गया है, उसकी चर्चा करें।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या यह सही है कि जब से इधर बिजली की कटौती हुई है, उस फैक्ट्री ने अभी 350 मजदूरों की छटनी कर दी है और 1 हजार और मजदूरों को नोटिस दी है कि उनकी छटनी की जायगी और साथ ही साथ क्या यह भी सही है कि अल्यूमीनियम, जिसका उत्पादन एक सीमा तक पहुंचा था, उसका उत्पादन बहुत कम हो गया है और उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं ? और कृपया यह भी बताया जाय कि उसको काटने से जो 24 घंटे

बिजली किसानों को देने का वायदा सरकार ने किया था, वह घोषणा केवल घोषणा ही रह गयी, यह सही है कि कुछ बढ़ी, लेकिन जो कमियां ट्रांसफार्मर वगैरह के कारण रही हैं, उसका नतीजा यह हो रहा है कि देहातों में 6-8-10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता। केवल अन्तिम भाग कि 24 घंटे देने का वायदा किया था, वह नहीं दे रहे हैं, मन्त्री जी इसी का उत्तर दें।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

शासन ने अपने निर्णय की घोषणा कर दी और प्रयास इस बात का किया जा रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि किसानों की आवश्यकता को देखते हुए ही जब यह मंत्रि-मण्डल गठित हुआ, तो यह घोषणा की कि 24 घंटे बिजली दी जायगी। लेकिन हमारे पास कोई सरप्लस बिजली नहीं है, इसलिए अगर कहीं कुछ खराबी हो गयी, तो कुछ घंटों के लिए रोस्टरिंग हो गयी होगी।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मन्त्री जी यह देखते हुए कि हिण्डालको इस माननीय सदन का हमेशा एक दर्द सर रहा है, बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में हिण्डालको के बारे में कोई अपनी स्पष्ट पालिसी, जिससे किसानों को अधिक से अधिक बिजली मिले और इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिलसिले में स्पष्ट पालिसी सामने आए, घोषित करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होगा।

श्री रियासत हुसैन---

यह बड़ा मुख्य प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न पैदा नहीं होता। जब आप बहस करें इसके सिलसिले में, तब यह कहें, अभी यह प्रश्न नहीं उठता। आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

श्री रियासत हुसैन---

क्या माननीय मन्त्री जी बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में हिण्डालको के बारे में अपनी पालिसी पर विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह केवल सुझाव है आपका।

श्री रियासत हुसैन---

सुझाव नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप बहस कर रहे हैं। प्रश्नों में सुझाव नहीं हुआ करता।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि पिछली कांग्रेसी सरकार से बिड़ला प्रतिष्ठान से जो कन्ट्रैक्ट हुए थे, उनको खत्म करके, उनसे जन-हित में, नए समझौते किए जायेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही---

इस पर कानूनी विशेषज्ञों की राय लेने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कोई स्पष्ट बात कहना सम्भव न होगा। फिर भी इस पर विचार कर लेंगे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

वे कौन से कारण थे, जिनकी वजह से सरकार को हिण्डालको की बिजली में 35 मेगावाट की कमी करनी पड़ी ? इस कटौती के फलस्वरूप, बिजली की आपूर्ति पर राज्य में क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

यह तो बहुत स्पष्ट है कि जब उत्तर प्रदेश में नया मन्त्रिमण्डल बना, तो फर्टीलाइजर की भी 50 प्रतिशत बिजली कटी थी, सीमेंट कारपोरेशन की भी 50 प्रतिशत कटी थी, और किसान को औसतन 3–5 घंटे ही बिजली मिल रही थी। उस वक्त तत्काल बिजली की व्यवस्था करना सरकार के लिए आवश्यक हो गया था और उसी के सन्दर्भ में वह कटौती की गयी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मंत्रि-मण्डल ने 45 मेगावाट बिजली काटने का जो फैसला लिया था वह अभी लागू नहीं हुआ है और आज भी अतिरिक्त 30 मेगावाट बिजली दी जा रही है, क्या यह सही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

यह सूचना गलत है। जो पुराना अनुबन्ध 85 मेगावाट का था, वह घटकर 30 मेगावाट रह गया था, जो 11 पैसे के हिसाब से उनको दी जा रही है। किसानों के लिए बिजली की जरूरत थी, अतः उस 30 मेगावाट बिजली को शून्य पर पहुंचा दिया, 30 जून से। लेकिन उनकी तरफ से यह आपत्ति उठायी गयी कि अगर उनके प्लान्ट गरम नहीं रहेंगे, तो वे जाम हो जायेंगे। इसलिए उनके अनुबन्ध को देखते हुए, यह देने की व्यवस्था की गयी। यह इसलिए करना पड़ा कि उनके प्लान्ट जाम न हो सकें।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतलायेगी कि रेहन्ड डाम से जो बिजली पैदा होती है, उस पर प्रति यूनिट खर्च कितना आता है और हिण्डालको को बिजली किस रेट से दी जाती है ? इसके साथ ही किसान को किस रेट पर बिजली दी जाती है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा करने पर औसतन व्यय 15-17 पैसे यूनिट आता है और बिड़ला को और हिण्डालको को 30 जून, 1977 तक, हमारे निर्णय के पहले, 11 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही थी। किसान को बिजली 23 पैसे प्रति यूनिट मिलती है।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मन्यवर, यह हिण्डालको का मसला सदन के अन्दर और सदन के बाहर कई बार उठाया जा चुका है। इससे यहां की जनता में भयंकर असन्तोष रहा है। माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा कि इस अनामली को समाप्त करने पर ही कुछ हो सकता है। क्या माननीय मन्त्री जी इस विभेद को समाप्त करने के लिए कोई मंत्रि-मण्डल के सामने ऐसा विचार रखेंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इसमें कानूनी पहलू इन्वाल्व है, इसलिए यदि आवश्यक हुआ, तो मंत्रिमण्डल के सामने मसला आएगा।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, मेरी मंशा थी कि क्या यह जनता सरकार, इस प्रदेश की जनता के साथ डिस्क्रिमिनेशन चालू रखेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो उत्तर दे चुके हैं।

श्री देव कुमार--

माननीय मन्त्री जी ने कटौती की बात की। क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि यह विद्युत् संकट कब तक समाप्त हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

आपका यह दूसरा प्रश्न है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि जो हिण्डालको को 10 मेगावाट बिजली देने का वर्तमान निर्णय है, यह कब तक कायम रहेगा ? भविष्य में हिण्डालको को बिजली देने की क्या नीति रहेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, बात तो बड़ी स्पष्ट है। जैसे ही बिजली प्रदेश में सुलभ हो जायगी बिना किसी भेदभाव के सभी उद्योग चलेंगे। लेकिन हिण्डालको का जहां तक बिजली का प्रश्न है, वह जरूर हम स्टैंड-बाई सपोर्ट दे रहे हैं, जिसका हमारा उनका कन्ट्रैक्ट है। माननीय नेता विरोधी दल उसके बारे में बहुत बारीकी से जानते हैं। उस स्टैंड-बाई सपोर्ट के अन्दर हम उनको 10 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। उन्होंने बढ़ाने के लिए नहीं कहा इसलिए उस पर विचार नहीं किया गया।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, क्या वर्तमान सरकार हिण्डालको पर बिजली की दर बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि इस समय जो बिजली दी जा रही है उसकी उत्पादन दर 23 पैसा है उनसे हम सरचार्ज लेकर 28 पैसा ले रहे हैं।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

मान्यवर, यह विद्युत् संकट इस इलाके के लिए हमेशा रहा है। ऐसे महत्वपूर्ण कारखाने के लिए जब इतना संकट आए साल होता है, तो क्या ऐसे महत्वपूर्ण कारखानों को चलने के लिए कि वह अपनी बिजली प्रोड्यूस करें, इसके लिए उनको इजाजत देंगे ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ ?

श्री अजीत सिंह सेठी--

मान्यवर, हिण्डालको के लिए बिजली का संकट आए साल रहता है। ऐसे कारखाने के लिए क्या सरकार अपने आप बिजली प्रोड्यूस करने की इजाजत देगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, हिण्डालको के पास 120 मेगावाट का पावर है। इस समय उनका कारखाना इसी बिजली से चल रहा है और 10 मेगावाट जो हमारा सपोर्ट है, उसको मिलाकर उनका प्रोडक्शन ठीक चल रहा है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, क्या विद्युत् मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो बिजली हिण्डालको को दी जाती है, उसकी दर किसानों को दी जाने वाली बिजली की दर में अन्तर है। तो इसी प्रकार कृषि कार्यों को दी जाने वाली बिजली की दर घटाने के लिए सरकार सोच रही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि किसानों को इस समय 23 पैसे पर बिजली दी जा रही है। मैंने यह भी बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो लागत खर्च है, वह 15-17 पैसे के बीच में है। इसलिए मान्यवर, अभी कोई निर्णय लेना सम्भव नहीं है। पिछली सरकार ने जब बिजली की लागत 9 नए पैसे थी, तो 23 पैसे पर बिजली दी थी।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज प्रोजेक्ट, पर मोदी को एक पावर हाउस बेचा गया है और वह बन्द पड़ा है ? इससे तमाम मजदूर बेकार हैं। तो बिजली की कमी को देखते हुए, इसको पुनः चलाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता है।

श्री नेम सिंह चौहान--

अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि हिण्डालको श्रेणी के और भी संस्थान प्रदेश में हैं ? अगर हैं, तो उनके साथ क्या किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न से बाहर है। आप दूसरा प्रश्न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे, क्यों कि प्रश्न की परिधि उन्होंने स्वयं बढ़ा दी, कि इस समय प्रति यूनिट हाइडिल और थर्मल की लागत कितनी है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, अभी उन्होंने 9 पैसे बता दिया। श्रीमन, अभी उन्होंने कह दिया कि 9 पैसे प्रति यूनिट वाली बिजली का 23 पैसे में दिया जाता था। तो जो पहले उत्तर उन्होंने दिया वह सत्य से परे दिया। 9 पैसे जनरेशन कास्ट आती है वह उत्तर या मन्त्री महोदय ने जो उत्तर पहले दिया है, वह सही है ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें माननीय नेता विरोधी दल स्पष्टीकरण चाहते हैं कि कास्ट आफ प्रोडक्शन 9 पैसे प्रति यूनिट है और अब आपने दूसरा बताया तो कौन सा सही है ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

मैंने जो उत्तर दिया, सम्भवत: माननीय नेता विरोधी दल ने ध्यान से नहीं सुना मैंने यह कहा, पहले की बात, मैं 1973-74 की बात कर रहा हूं कि बिजली की लागत उस समय 9 से 11 नए पैसे के बीच में थी और अब 15-17 के बीच में हैं। 23 नए पैसे पर पहले दी जाती थी और आज भी 23 पर दी जा रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इस समय तो बिजली की दर, प्रति यूनिट कास्ट पर नहीं बल्कि हार्स पावर के बेसिस पर मिलती है।

श्री रवीन्द्र किशोर शाही --

मान्यवर, मैंने कास्ट आफ प्रोडक्शन की बात बताई।

श्री अध्यक्ष--

मन्त्री जी आपने उत्तर दिया कि 23 पैसे पर यूनिट पर बिजली मिलती है। अब यह है कि 10 हार्स पावर या 5 हार्स पावर, आप प्रति हार्स पावर पर लगाते हैं, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। 23 पैसे यूनिट के हिसाब से मिलती है, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी पिछले दिनों में प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था दी थी कि कोई भी माननीय सदस्य एक से ज्यादा अनुपूरक प्रश्न नहीं कर सकता है। लेकिन नेता विरोधी दल, मैं देख रहा हूं कि आपकी व्यवस्था के विरुद्ध 2-3 सवाल कर रहे हैं। तो आप माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी व्यवस्था दें, उसका पालन होना चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष--

सवालों पर अधिक से अधिक सदस्यों को....

एक सदस्य--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। सवालों पर अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर देने के लिए मैंने ऐसा किया है। माननीय नेता विरोधी दल को संसदीय प्रणाली के अनुसार विशेष रूप में अवसर दिया जाता है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राजेन्द्र कुमार--

इस व्यवस्था को कठोर आप न बनावें। मैंने प्रश्न नहीं किया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह, जो एक प्रश्न का बन्धन है, उसमें मेरा निवेदन है कि प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़े, तो एक से अधिक प्रश्न करने की इजाजत आप दें।

श्री अध्यक्ष--

मैंने अर्ज किया कि विशेष रूप से जब पूछेंगे तब जरूर अनुमति देंगे।

श्री माधव (जिला एटा)--

मान्यवर, 10 मेगावाट बिजली जो दी जा रही है, वह उनको प्लान्ट गर्म रखने के लिए दी जा रही है। तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार उनको कब तक बिजली दी जाती रहेगी ?

श्री रवीन्द्र किशोर शाही--

अध्यक्ष जी, जब तक वह बिजली मांगेंगे तब तक हम उनको देते रहेंगे। जब तक वह कह रहे हैं कि स्टैन्ड बाई सपोर्ट की बिजली हमें दें, तब तक हम उनको दे रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम दास (जिला मिर्जापुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सारी कटौती के बावजूद भी किसानों को बिजली का संकट कब तक दूर हो जाएगा ?

(मन्त्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया।)

विधान भवन के सामने पशुधन कर्मचारियों का अनशन तथा उनकी मांगें

**2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया) तथा श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या पशुधन एवं सहकारिता मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि विधान भवन के सामने प्रदेश पशुधन-कर्मचारियों का अनशन विगत 25 जून, 1977 से चल रहा है ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं एवं उन्हें पूरा करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

पशुधन मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

जी हां, पशुधन कर्मचारियों का अनशन जो विगत 25 जून, 1977 से चल रहा था, समाप्त हो गया है।

उनकी यह मांगें कि विकास खंडों में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि खंड विकास अधिकारियों के बजाय, जिला पशुधन अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट की जाय, मकान किराया भत्ता दिया जाय, पूरी की जा चुकी है। पशु-चिकित्सकों के नियमानुसार स्थायी किए जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष मांगें, जैसे पशु चिकित्साविदों को पशु चिकित्सा अधिकारी का पदनाम दिया जाना, प्रदेश में नियुक्त 300–1000 तथा 550–1200 के वेतन-मानों में सभी जिला पशुधन अधिकारियों को एक ही वेतनमान 550–1200 का दिया जाना, स्नातकोत्तर भत्ता दिया जाना, नान प्रैक्टिसिंग भत्ता दिया जाना इत्यादि, शासन के विचाराधीन हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

अध्यक्ष जी, मन्त्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं उन्हें इस बात की बधाई दे दूं कि जिन मांगों के लिए यह संघर्ष चल रहा था, उसमें से तमाम मांगों को उन्होंने पूरा कर दिया है। अब 2-3 बातें हैं जिनके सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा, जैसे पशुधन अधिकारी हैं, इसमें लिखा है कि पशु चिकित्सकों को नियमानुसार स्थायी करने की कार्यवाही की जा रही है। तो यह पुरानी परम्परा वाली कहावत है और कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कोई तर्क न दें, अनुपूरक प्रश्न पूछें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मन्त्री जी जो उत्तर दें, वह स्पष्ट दें। गोलमटोल उत्तर न दें जैसे विचार किया जा रहा है, चल रहा है। तो यह जो कान्टीनुअस टेन्स की बात है, वह नहीं होनी चाहिए और निश्चित उत्तर दें कि कब तक यह पूरा हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

आपको निश्चित प्रश्न करना है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, प्रश्न आपके सामने है ?

श्री अध्यक्ष—

उसका तो उत्तर दे चुके हैं। आप निश्चित अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि कब तक यह कार्यवाही पूरी हो जायगी ?

पशुधन उप मन्त्री (श्री मुख्तार अनीस)—

शासन के सामने यह सारे प्रश्न विचाराधीन हैं और इन सारे प्रश्नों पर शासन जल्दी कार्यवाही करेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होता है। इस विभाग में दूसरे कर्मचारी भी हैं और उनकी भी कुछ मांगें शासन के सामन आयी हैं। क्या मन्त्री जी एक समिति गठित करेंगे, जो कि इस पूरे मामले पर विचार करके, नए सन्दर्भों को देखते हुए कोई निर्णय ले सके ?

श्री मुख्तार अनीस—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय के ऊपर पहले से विचार कर रहे हैं और जल्दी ही इस सिलसिले में कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि समिति के गठित करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, शासन इस पर बाद में विचार करेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

श्रीमन, मन्त्री जी ने दो बातें बतला दीं कि कार्यवाही की जा रही है और कार्यवाही की जायगी। उन्होंने कहा कि समिति गठित नहीं की जायगी। मैं जानना चाहता हूं कि समिति कब तक गठित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह उत्तर दे चुके, कमेटी अभी गठित नहो कर रहे हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

उन्होंने कहा था कि इस पर बाद में विचार किया जायगा। कौन विचार करेगा ?

श्री अध्यक्ष—

वह उत्तर दे चुके।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मांगे उनके सामने विचाराधीन हैं क्या उनमें पशुधन कर्मचारियों के वेतन स्केल के भी रिवाइज करने की मांग शामिल है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां।

श्री श्यामधर मिश्र—

क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह चिकित्सक हैं, यह पब्लिक सर्विस कमीशन से नियुक्त होते हैं। इनकी ऐसे ही नियुक्ति होती है, जैसे मनुष्यों के डाक्टरों की, इन्जीनियर्स वगैरह की, लेकिन फिर भी इन तीन चार कैटेगरी के लोगों में भिन्नता है। यह भिन्नता क्यों है और उनकी मांगें क्यों नहीं स्वीकृत हो रही हैं ? साथ ही साथ क्या यह सही नहीं है कि इनके जो सेवा नियम बने थ, वह पचास वर्ष पुराने हो गए और यह आजादी से भी पहले के हैं ? आज तक बावजूद इनकी मांग के, यह बदले क्यों नहीं गए ? अब एक सुन्दर सरकार आयी है, तो क्या इनको तत्काल बदलने की चेष्टा करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जो माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है यह केवल पशु-चिकित्सकों से ही सम्बन्धित नहीं है। यह सामान्य मामला है और सरकार को इस पर विचार करने के लिए विशेष आवश्यकता है। इस पर सामान्य रूप से ही विचार किया जा सकता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अन्तर्राष्ट्रीय सीमा चौकी और अन्तर्प्रदेशीय सीमा चौकी हैं, जिन पर गलघोंटू और रेंडर पेस्ट जैसी बीमारियों के टीके लगाए जाते हैं, तो क्या उन कर्मचारियों की सेवाएं बनी रहेंगी या उनको समाप्त किया जा रहा है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—
यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—
यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—
इसका उत्तर दे चुके। यदि और कुछ पूछना है, तो लिख कर भेज दें।

श्री ऊदल—
पशुधन विभाग से सम्बन्धित जो लोग हैं, उनमें एक स्टाकमैन भी है। एक तो गजेटेड अफसर ब्लाक में रहता है और दूसरा स्टाकमैन अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं। उन स्टाकमैन की तनख्वाहों मे भी कुछ भिन्नता है। क्या इस पर भी विचार किया जा रहा है?

श्री मुलायम सिंह यादव—
इस प्रश्न का इसमें जिक्र नहीं है।

श्री देव कुमार—
इस विभाग में भेद-भाव बरता जा रहा है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विभाग में कोई ग्रेडेशन लिस्ट है? यदि नहीं है, तो क्या मन्त्री जी उसे बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव—
माननीय सदस्य का सवाल मैं समझ नहीं पाया।

श्री अध्यक्ष—
आपने कोई सूची बनाई है....

श्री देव कुमार—
मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि ऐसी सूचनाएं हैं कि इस विभाग में पदोन्नति में कुछ भेद-भाव बरता जाता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विभाग के पास कोई ग्रेडेशन लिस्ट है या नहीं, जिसके आधार पर प्रोमोशन या उन्नति देने का कोई आधार बने? यदि नहीं, तो क्या ग्रेडेशन लिस्ट बनाने की कृपा करेंगे?

श्री मुलायम सिंह यादव—
सूचना की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष—
इस प्रश्न के सम्बन्ध में मन्त्री जी जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक आप खड़े न हों। यह प्रश्न उठता नहीं है। मैंने इजाजत नहीं दी है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—
मन्त्री जी हर तरह से प्रयास करते हैं कि उत्तर न देना पड़े। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए जायं।

श्री ऊदल—
इसमें पशुधन कर्मचारियों का झगड़ा है। मैंने जो प्रश्न किया था उस पर मन्त्री जी ने यह कहा कि प्रश्न उठता नहीं। पशुधन कर्मचारियों में स्टाकमैन आते हैं, बड़े डाक्टर आते हैं, कम्पाउन्डर आते हैं। पशुधन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी इस प्रश्न के अन्तर्गत आ जाते हैं। मन्त्री जी कहते हैं कि प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

अनशन तथा उनकी मांगों से प्रश्न सम्बन्धित है और इस सम्बन्ध में विस्तार से उत्तर दिया जा चुका है। उनकी मांगें क्या थीं और कहां तक स्वीकार की गयी हैं और उस पर क्या ऐक्शन लिया जा रहा है, पशुधन विभाग के सारे प्रश्न इस प्रश्न की परिधि में नहीं लिए जा सकते हैं। अब आप इस पर विवाद करने लगे हैं।

श्री ऊदल—

आप से विवाद नहीं करता हूं। आप आज्ञा देंगे तो पूछूंगा, नहीं देंगे, तो नहीं पूछूंगा। मेरा प्रश्न यह था कि स्टाकमैन ब्लाक में पांच छः सेन्टरों पे काम करता है, लेकिन उसको तनख्वाह में भिन्नता है, क्या यह मामला मन्त्री जी के विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल मांगों का व अनशन से सम्बन्धित था। माननीय मन्त्री जी कृपया केवल इतना उत्तर दें कि क्या मांग-पत्र में स्टाकमैन की भी कोई मांगें थीं, जिस पर अनशन चल रहा था ? यदि चल रहा था, तो आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुख्तार अनीस—

मेरा निवेदन है कि सिर्फ पशु चिकित्सकों की मांग हमारे सामने रखी थी। उनकी ही मांगों पर विचार किया जा रहा है। उनके सम्बन्ध में यहां पर विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

ऊदल जी कृपया अपना पृथक प्रश्न भेजें।

श्री ऊदल—

मन्त्री जी पशु चिकित्सक कह रहे हैं। हम स्टाकमैन कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

पशु अधिकारी गजटेड आफीसर होता है।

श्री अजीत सिंह सेठी—

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कुल कितनी मांगें पेश हुईं, उन में स्पष्ट रूप से कितनी मंजूर हुईं और कितनी विचाराधीन हैं और कितनी रिजेक्ट हुई हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर माननीय सदस्य ने सुना होगा, वह दे चुके हैं।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही, जो कही गयी है, कब से शासन के विचाराधीन है और उनमें से कौन-कौनसी मांगे ऐसी कठिन हैं, जिन्हें सरकार को स्वीकार करने में असुविधा हो रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मेरे सम्मुख तो अभी पिछली 25 तारीख के बाद से इनका आन्दोलन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपको निश्चित उत्तर देना चाहिए। अगर आपको समय की जरूरत है, तो आप समय मांग सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव—

25 जून से ये मांगें विचाराधीन हैं।

(दो सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

दो सदस्य एक साथ नहीं बोल सकते।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

उत्तर में लिखा है कि नियमानुसार किया जा रहा है, स्थायी किये जा रहे हैं, तो मेरा सवाल है कि कब से स्थायी किए जा रहे हैं और कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री कृपया यह उत्तर दें कि ये मांगें सरकार के सामने कब से विचाराधीन हैं और उन पर अन्तिम फैसला करने में कितना समय और लेंगे ? अगर आप उत्तर दे सकते हैं तो दीजिए, अन्यथा आप समय मांगिए ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

नोटिस की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--

नोटिस नहीं, इसमें आप समय मांगिए ताकि सदन के सामने बाद में उत्तर दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

तीन हफ्ते का समय दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

तीन हफ्ते का समय दिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

क्या तीन हफ्ते तक अनशन जारी रहेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग चीज है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धान्त जो एक वर्गीकरण 500 से 1200 का है, उसे सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह मामला केवल पशु विभाग से सम्बन्धित नहीं है। सामान्य मामला है और अन्य विभागों में भी इसी तरह का फर्क है। इसलिए सामान्य रूप से ही इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

पिछली सरकार के सामने कब-कब यह मामला पशु-चिकित्सकों का आया था और उसने उस पर क्या-क्या निर्णय लिए थे ?

श्री अध्यक्ष--

तीन सप्ताह का समय सरकार ने मांगा है, जो उसे दे दिया गया है। तीन सप्ताह के बाद जब भी समय मिले, माननीय मन्त्री जी सदन के सामने पूरी जानकारी प्रस्तुत करें।

श्री श्यामधर मिश्र--

क्या विशेषरूप से सदन इसके लिए बुलाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

इसका यह मतलब नहीं है। जब सदन होगा तब वह उसका उत्तर देंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

यह पशुधन विभाग का मामला है । सामान्य नीति से इसका सम्बन्ध है । तमाम मेडिकल विभाग में डाक्टरों को ड्राइंग एन्ड डिसबर्सिंग पावर है, तो पशुधन विभाग में इस सामान्य नियम को लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अध्यक्ष—

यह अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से पैदा नहीं होता। अब यह प्रश्न समाप्त हुआ।

विविध विषय

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, पिछली कांग्रेस सरकार, जिसके मुख्य मन्त्री माननीय नरायणदत्त तिवारी जी थे, के विरुद्ध जनता पार्टी विधायक दल ने इस देश के राष्ट्रपति, प्रधान मन्त्री गृह मन्त्री को आरोप-पत्र दिया था जिसमें नारायण दत्त तिवारी मन्त्रि-मन्डल के खिलाफ गम्भीर अ भ्रष्टाच र अनियमिततायें, पद का दुरुपयोग, सरकारी साधनों का दुरुपयोगके आरोप लगाए गए थे और उनके मन्त्रि-मन्डल में ऐसे भी कई सदस्य थे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के स्पष्ट आरोप थे। उस पर इस देश के केन्द्रीय गृह मन्त्री चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से विस्तार से आख्या मांगी थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न पर और इतने गम्भीर आरोप, जो नरायण दत्त तिवारी मन्त्रि-मन्डल पर लगाए गए थे, आज माननीय नेता विरोधी दल के रूप में यहां बैठे हुए हैं, सरकार उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है। यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी, आपने जो इसका रिफरेंस दिया है इसके उत्तर का प्रश्न नहीं उठत है क्योंकि इसके लिए कोई तात्कालिक प्रश्न होना चाहिए। इसके लिए आप कोई अल्पसूचित प्रश्न करें या फिर माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर इसकी चर्चा कर सकते हैं और इसका उत्तर सरकार देगी।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मेरा मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है । (व्यवधान) आप सुनें। प्रश्न काल के बाद माननीय सदस्य यदि कोई महत्व के प्रश्न होते हैं तो उसकी चर्चा करते हैं। उसकी चर्चा की गई तो मैंने उसमें अपनी व्यवस्था दी कि वह राज्यपाल महोदय के भाषण के समय बहस में इस प्रश्न को लायें। आप बैठें।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैं भाषण रहीं दें रहा हूं मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं अगर किसी सदस्य का कोई प्रश्न है और उसे निर्धारित तिथि पर रखा जाता है और उस तिथि को यह नहीं आता है....

श्री अध्यक्ष—

ऐसा है प्रश्न के बाद माननीय सदस्य कुछ महत्व के प्रश्नों की चर्चा सदन में गवर्नमेंट की जानकारी के लिए लाते हैं गवर्नमेंट उसको नोट कर लेती है। यहां पर अभी उन्होंने एक जानकारी दी उस पर मैंने व्यवस्था दी है कि आप अल्पसूचित प्रश्न पूछें या माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो चर्चा होगी उसमें कहें उसका जवाब मुख्य मन्त्री जी उत्तर देते वक्त देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मेरा यह प्रश्न नहीं था, मैं स्पष्ट कर दूं। आज पहले सोमवार को मेरा एक प्रश्न था लेकिन वह सूची में नहीं आया इसलिए मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री अध्यक्ष—

यह आप मेरे कक्ष में आकर मुझे बतला सकते हैं यहां पर यह प्रश्न नहीं आयेगा।

श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, कानपुर जूट मिल जो जे0के0 की जूट मिल है उसे 18 अगस्त से बन्द कर दिया जायगा, वहां के चार कर्मचारी यहां आकर आमरण अनशन कर रहे हैं। जे0के0 इण्टर प्राइज जो है वह 10 महीने से बन्द है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई कार्यवाही की है? उनकी मांगों के विषय में विचार किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचना देना चाहता हूं कि जे0के0 संस्थान हमेशा कांग्रेस का पक्षधर रहा है। मेरा आरोप है कि जे0के0 संस्थान के लोग कानपुर में औद्योगिक अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय और जो कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठे हैं उनकी बातों को सुना जाय। जे0के0 जूट मिल 18 अगस्त से बन्द होने वाली है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य से निवेदन है प्रश्न के बाद वह महत्व के प्रश्न उठा कर उसे सरकार से नोट करा सकते हैं। आपने जो चर्चा की सरकार ने उसे नोट कर लिया है उस पर वह उचित कार्यवाही करेंगे।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने अभी भावना व्यक्त की है कानपुर में जे0के0 मिल के मजदूरों के सम्बन्ध में, उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप स्वयं जानते हैं कि प्रश्नों के बाद इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। प्रश्नों के बाद में कोई महत्व का प्रश्न था तो उसको उन्होंने सदन में रखा। आपने तो उसको उठाया नहीं कि आप उससे अपना सम्बन्ध रखना चाहते हैं। इसलिए आपको इसकी अनुमति नहीं है। आप रेफरेन्स कर सकते हैं लेकिन इस प्रश्न से और इस तरह से नहीं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप जो अनुज्ञा दे रहे हैं उससे सम्बन्धित है, आप पहले कह चुके हैं कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विवाद के समय इस प्रकार की चर्चा आनी चाहिए। लेकिन उस दिन यह कहां तक उचित है यह आप व्यवस्था देंगे, यह एक अलग प्रश्न है। किन्तु अभी यहां कानपुर की मिलों की बात आई तो उस पर माननीय सदस्य ने यह कहा कि कांग्रेस पक्ष वाले जे0के0 मिल वालों के साथ हैं तो मैं चाहूंगा कि ऐसे महत्व के प्रश्नों को दलगत प्रश्न न बनाया जाय तो अच्छा है। मजदूरों की समस्याओं को उठाने का हर एक को अधिकार है। उस पर आरोप प्रत्यारोप न हों, तो अच्छा है। इन सब प्रश्नों पर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो सकती है तो अच्छा है। शतरुद्ध प्रकाश जी ने जो कहा है उसमें उनकी भी बात आ सकती है और मैं भी उत्तर दे सकता हूं। मैं तो हर प्रश्न और आरोप का उत्तर देने को तैयार हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों के बाद मैंने विरोधी दल के नेता से यह अनुरोध किया था कि (एक सदस्य के खड़े होने पर) आप बैठिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह अनुचित है कि जब अध्यक्ष बोल रहे हों तो कोई सदस्य उसमें व्यवधान डालें। तो मैं यह कह रहा था कि प्रश्नों के बाद मैं खुद चाहता था नेता विरोधी दल से भी कहा था कि जैसी संसद में यह प्रणाली है जिसको आप जीरो आवर कहते हैं उसमें न पूर्व सूचना की और न नियम की आवश्यकता है, विषय उठाए जा सकते हैं। मैं चाहता था कि उसका नियमन यहां भी किया जाए और इस सम्बन्ध में अध्यक्ष के कक्ष में आकर महत्व के प्रश्नों को सरकार की नोटिस में लाने के लिए अध्यक्ष को दे दें।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)--

मैं आपके कक्ष में मिल कर . . . .

श्री अध्यक्ष--

इस प्रकार से थोड़े, आपको नियमों का पालन करना चाहिए। तो मैं यह कह रहा था कि ज्यादा उचित होगा कि माननीय सदस्य जो भी रेफरेन्स करना चाहें कक्ष में आकर पहले बतला दें। तो जो कठिनाई माननीय नेता विरोधी दल ने बतलाई है वह पैदा नहीं होगी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है उसकी नोटिस तो मुझे थी नहीं इसमें सरकार के उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी के समक्ष एक प्रश्न रखना चाहूंगा, अभी मैंने कहा था हरदुआगंज प्रोजेक्ट पर. . . .

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा इस प्रकार से यह प्रत्येक प्रश्न सामने लाने का अवसर नहीं है।

श्री नेम सिंह चौहान--

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि . . . .

श्री अध्यक्ष--

किस नियम के अधीन आप निवेदन करना चाहते हैं? आप जो कुछ कहना चाहते हैं अपने भाषण में कहें। आपने न तो प्रश्न पूछा है और न कोई नोटिस दिया है, तो कैसे कोई मन्त्री उसका उत्तर दे सकता है?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मैं तो केवल इतनी बात कहना चाहता हूं, जो आप नियम घोषित करना चाहते हैं, उस पर और विचार कर लें, संसदीय प्रणाली की आपने चर्चा की। आपको स्वयं मालूम है कि वहां पर क्या प्रथा है। हम यहां पर खड़े होकर खुद कुछ कह दें तो ठीक है, लेकिन यह बात होगी आपके कक्ष में। आपके कक्ष में आपको बतला दें तो हो सकता है कि 1 मिनट या दो मिनट में 100 बातें बतला सकते हैं। क्योंकि रोज अखबारों में कितनी महत्वपूर्ण बातें आती हैं। बहुत से लोग बतलायेंगे उनको न केवल बतलाना पड़ता है बल्कि आपकी अनुमति चाहिए।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

एक मिनट हम को सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

मेरा सुझाव है, मैंने माननीय विरोधी दल के नेता और माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी इस सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए आमंत्रित किया था। अच्छा होगा कि दोनों

[श्री अध्यक्ष]

पक्षों से परामर्श करने के बाद प्रश्नों के बाद में किस प्रकार से प्रश्नों की अनुमति दी जा सकती है, कितनी दी जा सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 425 सदस्य इस पर रेफरेन्स करें। संसद में क्या प्रणाली है और दूसरी जगह क्या प्रणाली है, इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि कक्ष में इसके सम्बन्ध में विचार विमर्श कर लिया जायगा।

श्री हरिकेवल प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल दो मिनट में अपनी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, अब अनुमति नहीं है। इसके बाद विचार कर लेंगे, तब होगा।

*श्री हरि केवल प्रसाद--

नियमों के अन्तर्गत आपके कक्ष में मैं मिला था। देवरिया के बारे में बहुत उपेक्षा की गयी है। प्रदेश में नलकूपों का हर जिले को जो आबंटन किया गया है, चार जिलों को, उसमें गोरखपुर मण्डल में माननीय मन्त्री जी ने, जो उनके शासन ने नलकूपों का आवंटन किया है उसमें देवरिया जनपद को शून्य कर दिया है। गोरखपुर मण्डल के जिलों में किसी जिले को 20, किसी को 25 और आजमगढ़ को 50 नलकूप आबंटित किए हैं, देवरिया को, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मन्त्री से कहूंगा, जहां पर भगवान के भरोसे वहां का किसान रहता है, जनता पार्टी के राज्य में इस तरह की उपेक्षा देवरिया की की जाती है, जहां का किसान भगवान के भरोसे रहता है, पानी बरसता है तो फसल होती है, नहीं बरसता तो नहीं होती है। गोरखपुर मण्डल के सारे जनपदों को नलकूप दे दिए जायं, देवरिया जनपद को एक भी नलकूप न दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

अब आप भाषण समाप्त करें।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि देवरिया को भी नलकूप अलाट करने की घोषणा करें।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष जी, बच्चों के दाखिले की बात है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति का 1976-77 का तेरहवां प्रतिवेदन†

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति 1976-77 का तेरहवां प्रतिवेदन (1971-72) की प्राक्कलन समिति के राजस्व परिषद् से सम्बन्धित दशम प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही को, जो षष्ठ विधान सभा के विघटन से पूर्व माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया था, सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1977, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश चल-चित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1977, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष विधेयक, 1977, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 1977 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 जुलाई, 1977 को वापस प्राप्त हो गया है।

सचिव, विधान सभा के बैठने के स्थान के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें क्या व्यवस्था है? कोई प्रश्न है जिसमें व्यवस्था देनी है?

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी नियमों में व्यवस्था है कि माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यों के बीच में कोई साहब आए नहीं। सचिव जब खड़े होते हैं बोलने के लिए, तो आपके बिलकुल सामने पड़ता है। उनकी पीठ के पीछे आप छिप जाते हैं। यह नियमों के अनुसार उचित नहीं है। या तो व्यवस्था कीजिए, सचिव को बाएं खिसकवा दीजिए ताकि हमारे और आपके बीच में न आएं।

श्री अध्यक्ष—

यह उचित है। माननीय सचिव इसका ध्यान रखेंगे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, श्री चरन के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सुखपाल पाण्डेय ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न भेजा। वह इस प्रकार है—माननीय श्री सुखपाल पाण्डेय ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

उत्तर प्रदेश श्री चरण के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न को उठाने की सूचना दी है। उनका कहना है कि 15-7-77 को वे श्री दिवाकर विक्रम सिंह, विधायक तथा श्री संकटा प्रसाद श्रीवास्तव, एडवोकेट के साथ समय नियुक्त करके अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से मिलने के लिए गए किन्तु वे समय निश्चित करने के उपरान्त भी उनसे नहीं मिले। माननीय पाण्डेय का कहना है कि इस प्रकार अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने विशेषाधिकार की अवहेलना की है। माननीय श्री पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से बस्ती जिले के निर्माण कार्यों की प्रगति पर बात करने के लिए गए थे।

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न तब पैदा होता है जब किसी माननीय सदस्य को सदस्य के रूप में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के करने से रोका जाये या उन्हें सदन या उसकी समितियों में आते समय या वहां से वापस जाते समय या सदन या उसकी समितियों में उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रताड़ित (मोलेस्ट) किया जाय। किन्तु इस मामले में ऐसा कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है। यह प्रश्न शिष्टाचार न बरतने का हो सकता है और इसके सम्बन्ध में शासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। माननीय सदस्य ने इस घटना की मौखिक सूचना सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को दे भी दी है। अतः मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में ग्राह्य नहीं करता हूं।

मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जो शिकायत माननीय सदस्य ने की है, वह उस पर ध्यान रखेंगे और इस बात की व्यवस्था करेंगे कि अधिकारीगण माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा के अनुसार व्यवहार करें और मिलने में शिष्टता बरतें, लेकिन इससे विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आगे कोई शिष्टाचार सम्बन्धी शिकायत माननीय सदस्यों को न हो।

इस सम्बन्ध में जैसा कि आप नियम जानते हैं, आपने नोटिस दिया और मैंने व्यवस्था दे दी कि विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता है, जो आपकी मन्शा है वह पूरी हो जायगी और माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे उसको देखेंगे और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं और व्यवस्था चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष--

इस पर कोई व्यवस्था नहीं होगी।

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। मैं इस तरफ पूरा ध्यान दूंगा और कोशिश करूंगा कि आइन्दा इस तरह की कोई घटना न हो। मैं देखूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और आइन्दा के लिए क्या करना है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि विशेषाधिकार का समय समाप्त हुआ। इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं किया जा सकता है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी ह उसी के सम्बन्ध म कुछ कहना ह। जो विधायक काम करते हैं वह सार्वजनिक कार्य करते हैं और सार्वजनिक कार्य करने में अगर उनका अपमान होता है, तो यह निश्चित रूप से विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। मैं नहीं समझता हूं कि जब हम विधान सभा में बोलेंगे तभी हम विधायक के रूप में कार्य करेंगे। बाहर भी जहां कहीं हम सार्वजनिक कार्य से जाते हैं, जो एक विधायक का कार्य है अगर हमारी कोई उपेक्षा करता है, तो वह भी अवमानना का प्रश्न बनता है। अतः जो आपने अपनी व्यवस्था दी है, उस पर आप पुनर्विचार कर लें वर्ना विधायक होने के नाते हमारा जो आवश्यक संवैधानिक हथियार ह, वह ही समाप्त हो जायगा और नौकरशाही हमारे सिर पर चढ़ जायगी।

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने समस्त सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि जिस तरह की भावनाएं यहां पर व्यक्त की गई हैं, उनसे मुझे बहुत चोट पहुंची है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपने समस्त सरकारी कर्मचारियों को इस बात के निर्देश जारी कर दिए हैं, कि हमारे जितने भी विधान मण्डल के सदस्य हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का अशिष्ट व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह भी विश्वास दिलाता हूं कि भविष्य में यदि इस प्रकार की कोई शिकायत मेरे सामने आई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जो भी कड़ी से कड़ी वैधानिक आधार पर कार्यवाही होगी, हम उनके खिलाफ करेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

यह बात माननीय मंत्रियों पर भी लागू होनी चाहिए ?

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास आज 2 सूचनाएं कार्य-स्थगन प्रस्ताव की आई हैं। एक श्री राम सजीवन की है जिसमें उन्होंने बांदा जिले के ग्राम गदाखान के खुलिया नामक हरिजन की हत्या पुलिस हिरासत में दिनांक 22-5-77 को होने से जनता में रोष का जिक्र किया है। दूसरी सूचना डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी राकेश की है जिसमें उन्होंने कानपुर जनपद के 7000 प्राथमिक शिक्षकों के उत्पीड़न तथा विविध उद्योग कर्मचारियों के धरना तथा छात्र आन्दोलन से कानपुर जनपद की जनता में असन्तोष के बारे में लिखा है। इनमें से एक मई के महीने की है और एक में कई विषयों का समावेश है। जब माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में विवाद जारी है तो इन सब प्रश्नों को उसमें लिया जा सकता है। वैसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में एक संशोधन इस प्रकार का है कि हरिजनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। चूंकि अभिभाषण पर विवाद शुरू होने वाला है तो इन पर अनुमति नहीं दी जा सकती है इसलिए मैं इनको अस्वीकृत करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की मुझे अनुमति दी है। मैं निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सदन, श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 12 जुलाई, 1977 को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है।"

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी सरकार की नीति, रीति और उसके कार्य करने के तौर तरीके और दृष्टिकोण को अपने संक्षिप्त भाषण में प्रस्तुत किया।

जहां महामहिम राज्यपाल का मैं आभार प्रकट करता हूं वहां इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता के प्रति भी आभार प्रकट करूंगा जिसने इस चुनाव में लोकतन्त्र के प्रति अपनी अटूट आस्था प्रकट की। इस चुनाव से यह प्रकट हो गया कि प्रदेश के अन्दर लोकतन्त्र की नींव बड़ी गहरी है। हमने देखा कि इस चुनाव के अन्दर इस प्रदेश की जनता ने तानाशाही को उखाड़ फेंका। 1977 की फरवरी में लोक सभा का चुनाव और अभी उत्तर प्रदेश विधान सभा का जो चुनाव था वह एक प्रकार से अहिंसात्मक क्रांति थी। आज देश की जनता ने उस समय की प्रधान मन्त्री जो एक व्यक्ति की, एक परिवार की सत्ता देश के अन्दर बनाये रखना चाहती थीं जो तानाशाही के शिकंजे में सारे देश को जकड़ना चाहती थीं उस तानाशाही को अस्वीकार कर दिया और लोकतन्त्र में आस्था प्रकट करके उन तत्वों को, उन शक्तियों को विजयी बनाया जो इस देश के अन्दर लोकतन्त्र की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं जो तानाशाही को उखाड़ कर लोगों के मौलिक अधिकारों की और न्याय-पालिका की सत्ता को पुनर्जीवित करना चाहते थे। यह ऐसी अहिंसात्मक क्रांति थी जो लोक सभा के चुनाव के प्रथम चरण के रूप में और इस विधान सभा के चुनाव म पूरी हुई।

श्रीमन्, 25 जून, 1975 भारत के इतिहास में एक काला दिन है, वह ऐसा दुर्भाग्य-पूर्ण दिन है जिस दिन उस समय की प्रधान मन्त्री ने इस देश के अन्दर आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। देश पर कोई संकट नहीं था, देश की सीमाओं पर कोई संकट नहीं था। देश के अन्दर आन्तरिक कलह नहीं थी, उपद्रव नहीं थे। यदि किसी को संकट था तो उनको उनकी अपनी कुर्सी का था। किसी को अगर खतरा था तो वह उनके स्वार्थों को खतरा था। अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, अपने राजकुमार को सत्तारूढ़ कराने के लिए उन्होंने देश के अन्दर आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। उस दिन देश के लाखों नौजवान, सैकड़ों नेता जिन्होंने स्वतन्त्रता संघर्ष में आगे बढ़कर काम किया है, वे जेल की काली दीवारों के अन्दर बन्द कर दिए गए। एक नहीं अनेक नव-जवान, विद्यार्थी, महिलाएं, अध्यापक गिरफ्तार कर लिए गए। अकारण, न्यायालय के अधि-कार छीन लिए गए। जो गिरफ्तार किए जाते थे वह न्यायालय के द्वार पर नहीं जा सकते थे। व्यक्तियों पर झूठे आरोप लगाकर, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करके गलत कानून बनाकर, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए लोगों पर झूठे मुकदमें चलाए गए और न्यायालय के अधिकार छीन कर उनको जेलों में बन्द कर दिया गया। प्रेस का गला घोंट दिया गया। सेंसरशिप लगा दी गयी। जो बात उस समय की सरकार की प्रशंसा की हो, केवल वह तो पत्रों में छप सकती थी, कोई भी निष्पक्ष बात नहीं छापी जा सकती थी। यदि आचार्य विनोबा भावे ने किसी सन्दर्भ में कहा कि आपातकाल में स्थिति अनु-शासन पर्व है तो वह छप जायगा, लेकिन आचार्य विनोबा भावे यदि सरकार की किसी नीति

की आलोचना करें, कोई निष्पक्ष और स्वतंत्र बात कहें तो वह नहीं छप सकता, ऐसी स्थिति हो गई थी। विधान सभा और संसद के अन्दर जो बातें कही जाती थीं वे भी नहीं छप सकती थीं। उससे पहले प्रेस को स्वतन्त्रता थी कि विधान मण्डल और संसद की कार्यवाही जैसे चाहे छापे, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार ने और उस समय की दिल्ली की सरकार ने उस पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया। देश और प्रदेश के अन्दर हो रहे अन्याय और अत्याचार के सम्बन्ध में कोई माननीय सदस्य यदि सदन में अपने विचार रखें तो वे प्रस म नहीं जा सकते थ। माननीय चौधरी चरण सिंह जो आज गृह मन्त्री हैं, उस समय विरोधी दल के नेता थे। प्रदेश में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में जितने अन्याय और अत्याचार हुए, उस समय के विरोधी दल के सदस्यों ने वे सब सदन में रखे। परन्तु वह नहीं छप सके। एक प्रकार से निरंकुश शासन बनाया गया। डिसेंटिंग नोट जो विरोधी पक्ष कहना चाहता था असह्य कर दिया गया, एक लौह आवरण बना दिया गया और केवल इसलिए कि एक व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की सत्ता बनाए रखना चाहता था और उसमें जो भी बाधक थे, उनको बन्द कर दिया गया। इतना ही नहीं सरकार ने इमरजेंसी में अपने पुलिस अधिकारियों को झूठ बोलना, बेईमानी करना, गलत मुकदम दायर करना सिखाया। जो सरकार अपने अधिकारियों को झूठ बोलना और बेईमानी करना सिखाए वह उनसे ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकती है? लोगों को विद्यालय में पढ़ाते पकड़ा गया, कचहरियों में काम करते पकड़ा गया और दिखा दिया गया किसी चौराहे पर भाषण करते हुए। एस0डी0एम0 पकड़ कर ले गए और दिखा दिया कि किसी कांस्टेबिल या हेडकांस्टेबिल ने चौराहे पर भाषण करते हुए पकड़ा। जो सरकार अपनी पुलिस से इस प्रकार के झूठे मुकदमें करवाए, इतना ही नहीं, निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे लगा कर बन्द करें वह सरकार उनसे कोई ईमानदारी की आशा कैसे कर सकती है? परिणाम यह निकला कि 19 महीने के समय में पुलिस ने, इन्टेलिजस न भयानक अत्याचार किए और लाखों रुपए निर्दोष व्यक्तियों से बनाए।

परन्तु फिर चुनाव आया और उस चुनाव में इन्हीं ज्यादतियों के कारण, इसी तानाशाही के कारण इस देश की जनता ने जिसे लोकतंत्र से प्यार है उस तानाशाही को उखाड़ फेंका। श्री नीरैन डे साहब ने कहा था कि मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए हैं, यदि पुलिस किसी को गोली भी मार दे तो भी वह अदालत में नहीं जा सकता था। इतनाही नहीं, कितने ही निर्दोष व्यक्तियों को बन्द किया गया, सताया गया। कोई आदमी जेल से डी0आई0आर0 से रिहा हुआ लेकिन जेल के बाहर आते ही उसे मीसा में बन्द कर दिया गया। लोक सभा में डा0 कर्ण सिंह जी ने यह स्वीकार किया कि जितने आरोप और घटनाएं आज पत्रों में प्रकाशित हो रही हैं यदि उनमें से 1 प्रतिशत भी सही है तो मैं उनका समर्थन नहीं करता, हम अन्धकार में थे।

मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहूंगा कि वे उस समय मुख्य मन्त्री थे, उस समय उनकी कोई मजबूरी हो सकती थी, उस समय मुख्य मन्त्री बने रहने के लिए हां में हां मिलाना जरूरी हो सकता था, लेकिन आज तो कोई ऐसी बात नहीं है, आज वे सच्चाई के सामने मुंह खोलें और अपनी गल्ती स्वीकार करें। केवल खेद प्रकट करने से काम नहीं बनेगा। आवश्यकता है कि वे अपने पापों का जो उन्होंने गत 19 महीनों में किए हैं, प्रायश्चित करें। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस प्रायश्चित करे। जो आज नेता विरोधी दल हैं उस समय वह मुख्य मन्त्री थे। वे अपने उन कृत्यों का जिनके कारण लाखों निर्दोष नागरिक, महिलाएं जेलों में बन्द की गयीं, उनके अधिकार छीने गए, वह देशभक्त नागरिक जो सही मानों में देशभक्त थे और आजादी की लड़ाई में जो आगे थे उनको जेलों में बन्द किया गया, प्रायश्चित करें। केवल खेद प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि जैसे डा0 कर्णसिंह ने लोक सभा में प्रायश्चित किया है उसी प्रकार कांग्रेस प्रायश्चित करे और उस महिला को जो अपने निजी स्वार्थों के लिए सारे देश में तानाशाही लादना

[श्री कृष्ण स्वरूप]

चाहती थी उसे कांग्रेस से निकालें और सदन में और सदन के बाहर अपनी गलती स्वीकार करें कि जो इमरजेंसी लागू की गयी थी, वह एक गलत कदम था।

श्रीमन्, जनता पार्टी लोक सभा में और यहां विधान सभा में भी सत्ता में आई। अपने चुनाव घोषणा-पत्र में तथा महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी यह कहा गया कि हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि हम नागरिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल करेंगे। सत्ता में आते ही हमने सबसे पहला काम यह किया कि विधान सभा की कार्यवाहियां प्रेस में निष्पक्ष और निर्भीकता के साथ छप सकें, इसके लिए विधेयक लाए। इस सम्बन्ध में प्रेस पर जो पिछली सरकार ने अंकुश लगाया था उसको समाप्त किया। जो अधिकार प्रेस से छीना गया था उसको वापस दिलाया। 19 महीने तक प्रेस कोई भी बात जो सरकार के खिलाफ यहां कही जाती थी उसको नहीं छाप सकता था। कांग्रेस के खिलाफ कही गयी कोई भी बात पेपर में नहीं छप पाती थी। यहां तक कि अम्बिका सोनी ने भी यदि कोई भाषण दिया है और उसमें कांग्रेस के खिलाफ कोई बात कही है तो उसका भी सेन्सर होता था और वह बात छप नहीं पाती थी। प्रेस को यह आदेश था कि सरकारी सूत्रों से जो जानकारी दी जाया करे, वही छपा करे। जनता पार्टी ने शासन में आते ही प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल किया।

मान्यवर, हमारी जनतंत्र में पूर्ण आस्था है और हम विरोधी दलों का भी सम्मान करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर काम उनकी सहमति से ही हो। जनता पार्टी ने इस ओर अपना कदम बढ़ाया। दिल्ली में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विरोध पक्ष से परामर्श करके एक नया अध्याय शुरू किया गया। यहां स्पीकर के चुनाव में भी एसा ही कदम उठाया गया। यही नहीं लोक तन्त्र की मान्यताओं को सुदृढ़ करने के लिए हमने आकाशवाणी को अपनी निजी सम्पत्ति नहीं बनाया। आपने देखा कि इन चुनाव में विरोधी दलों को आकाशवाणी से अपनी बात कहने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। सभी को उसका प्रयोग करने का समान अवसर दिया गया। 15 अगस्त, 1947 के बाद से, भारत में लोकतंत्र की मान्यताओं को सुदृढ़ करने के लिए यह पहला कदम उठाया गया और लोक तन्त्र में अपनी पूर्ण आस्था प्रकट की गयी। राजनीति में संसदीय मामलों में विरोधी दलों से परामर्श करने का भी एक नया अध्याय हमने शुरू किया है।

मान्यवर, जनता पार्टी का शासन हुए अभी 10—12 दिन ही हुए हैं। शासन में आते ही जनता पार्टी ने जिन नीतियों की और कार्य-क्रमों की घोषणा की उनका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में है। इस बात का बहुत बड़ा शोर किया जाता है विरोध पक्ष की ओर से कि हरिजन तथा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ और निम्न वर्ग के लोगों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जनता पार्टी ने शासन में आते ही उनके लिए स्पष्ट आदेश दिए हैं कि उनको समुचित सुविधाएं दी जायं। अगर किसी के लिए भूमि आवंटित की गयी है और उसमें किसी ने घपला किया है, तो उसको तुरन्त रोका जाय, यदि हरिजनों को आवंटित भूमि पर किसी ने अधिकार कर लिया है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और आवंटित भूमि का उक्त हरिजन को अधिकार दिलाया जाय।

उनको समुचित सुविधाएं दी जायेंगी। इतना ही नहीं शासन ने यह भी घोषणा की है कि यदि किसी गांव मे किसी प्रकार का सामूहिक अत्याचार होगा, हम उस गांव पर सामूहिक जुर्माने भी डालेंगे। जनता पार्टी हरिजनों, पिछड़े लोगों की समस्याओं को राजनैतिक अस्त्र नहीं बनाना चाहती है। श्रीमन्, मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जो भाई उन अनुसूचित जातियों की हमदर्दी और प्यार की बातें कहते हैं, उनका उतना प्यार, उतना

लगाव उन हरिजन जातियों से नहीं है। आज 20–25 साल के शासन में कांग्रेस सरकार अनुसूचित जातियों की समस्याओं को एक राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करती रही है। उनकी यह कोशिश नहीं रही कि उनको समान सुविधाएं मिलें। जिस प्रकार से प्रदेश के अन्दर कांग्रेस शासन हिन्दू और मुसलमान भाइयों को लड़ा कर सत्ता में बनी रहना चाहती थी, उसी प्रकार से श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों में और पिछड़े हुए लोगों में उभार पैदा कर, दूसरे लोगों के प्रति घृणा पैदा करना चाहती है जिससे सत्ता में बने रहने के लिए उनका उपयोग कर सकें। वर्तमान शासन में प्रदेश के किसी कोने में, किसी गांव में, किसी के साथ ज्यादती, अन्याय न हो, अगर यदि कहीं पर ऐसी बात हो गयी, तो उसके लिए वहां का पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक दोषी समझा जायगा। यदि कहीं पर अन्याय हुआ तो सरकार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी। सरकार इसके लिए सजग है। हमारे विरोधी दल, जो कांग्रेसी अभी तक सत्ता में थे, हरिजनों के असन्तोष को बढ़ाना चाहता है। जनता पार्टी 23 तारीख से शासन में आई है। पिछले साल तक आप शासन में थे, यदि उनको नौकरियां नहीं मिलीं, उनका रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ, उनकी स्थिति अच्छी नहीं हुई, आज उसके दोषी हम नहीं हैं, उसके दोषी आप हैं। आपने उनकी वस्तु-स्थिति और वास्तविकता को पहचान कर उनको समाज म समान स्तर देने में असफल रहे बल्कि उनको हरिजन बनाए रखने के लिए प्रयास किया है। जनता पार्टी अनुसूचित जाति, हरिजन अल्प संख्यकों की सुख सुविधाओं और समस्याओं को राजनैतिक अस्त्र के रूप में नहीं देखना चाहती है। जनता पार्टी, जनता शासन उनके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगी, ऐसी व्यवस्थाएं लाएगी, जिससे उनको समान अवसर मिले, समान सुविधाएं मिलें तथा समाज में उनका समाजिक स्तर उठे। जनता पार्टी उनकी सुख-सुविधाओं के सवाल को एक राजनैतिक अस्त्र नहीं बनाना चाहती है। इस विषय को एक राजनैतिक विषय न बनाया जाय। यदि किसी गांव में किसी पर अन्याय हो, उनके साथ दुर्व्यवहार हो, वह एक व्यक्ति का दूसरें व्यक्ति के साथ का मामला हो सकता है। मैन-टु-मैन व्यवहार हो सकता है। ब्राह्मण भी आपस में लड़ सकते हैं। ब्राह्मण ठाकुर भी लड़ सकते हैं। मगर उसको एक व्यापक रूप देकर प्रदेश में उभाड़ न पैदा करें। जनता पार्टी उनकी समस्याओं के प्रति, उनकी आर्थिक स्थिति उठाने के लिए सक्रिय है।

एक बात, श्रीमन्, मैं और कहूंगा। भ्रष्टाचार का सवाल उठाया जाता है। जितनी ही सरकारें बनीं हैं, हर समय यह सवाल आता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार है। हर कार्यालय में, हर दफ्तर में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार है। परन्तु यह भ्रष्टाचार कैसे दूर हो, हमको यह सोचना होगा कि भ्रष्टाचार कहां से प्रारम्भ होता है? यह भ्रष्टाचार ऊपर से प्रारम्भ सत्ता में बैठे लोग और ऊंची कुर्सियों पर आसीन लोग यदि प्रमाणिक होंगे, उनका आचरण शंका से परे होगा, वह ईमानदार होंगे तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी, उनके विभाग के कर्मचारी भी ईमानदार होंगे। जिस विभाग का मन्त्री, जिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी यदि बेईमान होंगे, पत्रों में उनके बारे में बेईमानी के समाचार छपते हों तो उनका आचरण शंका से परे नहीं हो सकता। वह अपने विभाग में या अपने कार्यालय में ईमानदारी का वातावरण नहीं ला सकते। जनता पार्टी की सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है कि भ्रष्टाचार खत्म किया जाय। संविद शासन में भी पब्लिक मैन्स इंक्वायरी ऐक्ट को हमने रचना की थी। और आज सबसे पहले यह काम किया गया है कि लोक आयुक्त बिल को लागू किया है। जिसके अधीन सभी मन्त्री, सभी वरिष्ठ अधिकारियों, सभी विभागों के विभागाध्यक्षों और विधायकों की जांच हो सकती है। जनता पार्टी यह भी चाहती है कि इसकी परिधि में मुख्य मन्त्री भी हों और निगमों के अध्यक्ष भी हों। इसके विषय में भी आवश्यक संशोधन लाया जायगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी को गवर्नमेंट इस प्रदेश के अन्दर स्वच्छ और चुस्त प्रशासन देना चाहती है। वह ऐसा वातावरण बनाना चाहती है कि

[श्री कृष्ण स्वरूप]

जिससे कोई भी बेईमान अधिकारी कोई भी बेईमान कर्मचारी सरकार की गिरफ्त से बच न सके। जो प्रमाणिक अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनको प्रोत्साहन, एप्रीसिएशन दिया जायगा। बेईमान अधिकारी को जनता सरकार सहन नहीं करेगी। इसलिए जनता सरकार ने सबसे पहले जो मन्त्री हैं, जो ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, जो वरिष्ठ हैं जो लोगों के लिए आदर्श हो सकते हैं, प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, ऐसे लोगों का आचरण ईमानदारी का हो, प्रमाणिक हो, शंका से परें हो, ऐसा वातावरण बनाना चाहती है और उनके बारे में भी शिकायत हो तो तुरन्त जांच कराई जाय, लोकायुक्त बिल इसलिए लाया गया है। मैंने कई अभिभाषणों को देखा है। लेकिन उनमें यही पाया कि शीघ्र ही हम विधेयक लाने वाले है, हम शीघ्र लोकायुक्त नियुक्त करेंगे। लेकिन जनता सरकार ने केवल घोषणा ही नहीं की बल्कि कार्यान्वित रूप में लोकायुक्त बिल उसी दिन से लागू किया। यह एक प्रकार से शुरुआत है कि हम न्याय परक, ईमानदार प्रशासन चाहते हैं। हम भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं। एक भी बेईमान अधिकारी या कर्मचारी को हम माफ नहीं करेंगे। इसलिए हमने अपने इरादे और नियत को प्रकट किया है।

श्रीमन्, जहां तक महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का सम्बन्ध है, अपने भाषण में उन्होंने अन्य कई विषयों पर विचार प्रकट किए हैं। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। कृषि पर जनता आधारित है। ज्यादातर लोग गांवों में रहते हैं। जनता सरकार ने उधर भी दृष्टि डाली है। कृषकों की समस्याओं, लघु कृषकों की समस्याओं की ओर सर्वप्रथम दृष्टि डाली गई है। इतना ही नहीं हम चाहेंगे कि इस प्रदेश का कृषि उत्पादन बढ़े और कृषि के लिए हम सिंचाई को प्राथमिकता देंगे। इस प्रदेश में पिछड़ पन को दूर करने के लिए, प्रदेश की गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने औद्योगीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गांवों में बिजली से चलने वाले छोटे-छोटे उद्योग धन्धे जो छोटी पूंजी से प्रारम्भ किए जा सकते हैं सरकार प्रारम्भ करना चाहती है, इसलिए हमने स्माल इंडस्ट्रीज का एक नया विभाग खोला है। हम यह चाहते हैं कि बड़े उद्योग उन्हीं वस्तुओं को पैदा करें जो छोटे उद्योगों में पैदा न हो सकें। हमारी योजनाएं इस प्रकार की हों जिससे लोगों को रोजगार मिले, बेकारी मिटे और सारे प्रदेश के अन्दर लघु उद्योगों का जाल फैल सके। प्रदेश के अन्दर बड़े-बड़े उद्योगों को सरकार एक ही जगह एकत्रित नहीं करना चाहती है। केवल एक या दो जिलों में सारे उद्योग खुल जायं सरकार यह नहीं चाहती है बल्कि उद्योगों का जाल प्रदेश के अन्दर फैलाना चाहती है। हर सरकार ने यह बात कही है कि प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उद्योगों का विकास किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अपना भाषण समाप्त करें।

श्री कृष्ण स्वरूप—

अभी 5 मिनट और दे दें।

उद्योग विभाग ने उद्योग का वातावरण यहां पैदा हो इसलिए एक आदेश पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति यदि उद्योग के लिए प्रार्थना-पत्र देता है तो उसका अन्तिम रूप से निर्णय 2 मास में हो जाय। मैं चाहूंगा कि उद्योग मन्त्री यदि किसी भी इण्टरप्रिन्योर का जिसने प्रार्थना पत्र दिया है उसको जानकारी 2 महीने के अन्दर न मिले तो जो भी दोषी अधिकारी है उन्हें दंडित किया जाय। ऐसा वातावरण पैदा होना चाहिए। आज कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो उद्योग लगाना चाहते हैं वह उद्योग विभाग के पीछे भागते हैं लेकिन हरियाणा और पंजाब में उद्योग विभाग उसके पीछे भागता है कि आप यहां कल कारखाने लगा सकते हैं। जनता सरकार उद्योग के मामले में ऐसा वातावरण पैदा करे कि जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में जो उद्योग लगाना चाहे, वह सरलता से लगा सके।

मान्यवर, शिक्षा और बिक्री-कर के सम्बन्ध में एक दो बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, जनता सरकार ने अपने घोषणा पत्र में और राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगेगा। जनता सरकार इस बात का परीक्षण कर रही है कि इस बारे में एक कार्यकारी दल गठित किया जाय जिसमें बिक्री-कर से जो सम्बन्धित लोग हैं तथा जो बिक्री-कर विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करके बिक्री-कर की प्रक्रिया को सरल बनाया जाय। जनता सरकार प्रदेश के अन्दर एक किफायतशारी और मितव्ययिता का वातावरण पैदा करना चाहती है कि सरकार की तरफ से कोई अनप्रोडक्टिव इक्सपेंडीचर न हो। इसलिए कई काम मुरादाबाद मण्डल और कानपुर का देहाती क्षेत्र समाप्त करने तथा सारे प्रदेश में मंत्रियों को सादगी का आचरण रखने की सरकार की नीति है प्रदेश के अन्दर एक सादगी का वातावरण पैदा किया जा रहा है। इस प्रकार सरकार अनप्रोडक्टिव इक्सपेंडीचर न हो, इस ओर सक्रिय है।

मान्यवर, जनता सरकार के शासन में आने से पहले किसानों को 2–3 घंटे बिजली मिलती थी लेकिन आज सरकार ने आदेश किए हैं कि 24 घंटे बिजली किसानों को दी जाय जिसका परिणाम यह हुआ कि खेती के लिए 24 घंटे बिजली मिल रही है। लोहे के मिल तथा खाद के कारखानों की बिजली में जो कटौती की गई थी वह समाप्त कर दी है। परिणामस्वरूप लोहे के दामों में 50 रुपया प्रति क्विन्टल कम हुए। पहले फर्टीलाइजर में 50 प्रतिशत की कटौती की गयी थी। लेकिन अब फर्टीलाइजर फैक्टरी, सीमेंट फैक्टरी और लोहे की फैक्टरी को शत प्रतिशत बिजली दिए जाने से इनका उत्पादन बढ़ा है। इस प्रकार आज बिजली में प्रगति हुई है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

सीमेंट पर ब्लैक तो नहीं है ?

श्री कृष्ण स्वरूप—

माननीय सदस्य बरेली जिले के हैं और शायद राज्य कृषि मन्त्री रह चुके हैं वे स्वयं जानते हैं कि उनके शासन काल में सीमेंट ब्लैक से बिका या नहीं।

मान्यवर, उस समय किसानों के बिजली के बिल गलत बनाए गए थे जिनको अब बी0 डी0ओ0 के मारफत सारे बिलों का वेरीफिकेशन किया जायगा और जिन्होंने गलत बिल बनाए थे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। 15 अक्तूबर तक ऐसे बिल की वसूली स्थगित कर दी गयी है। जनता सरकार प्रदेश के अन्दर किसानों में उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक है और योजना आयोग से बात करके प्रदेश के अन्दर रोजगार-परक योजना बनाने को सोच रही है जिससे हर व्यक्ति को काम मिले, हर खेत को पानी मिले।

ऐसी योजनाएं बनें कुटीर और छोटी योजनाएं जिससे छोटी पूंजी से काम हो सके। इस प्रकार प्रदेश के अन्दर मितव्ययता और लोगों को रोजगार देने की योजनाएं शासन के विचाराधीन हैं। जनता पार्टी के शासन को अभी थोड़ा समय हुआ है। शिक्षा विभाग भी कोठारी आयोग की संस्तुतियों को लागू करना चाहता है। श्रीमन, मैं यह कह कर महामहिम राज्यपाल ने जो भाषण दिया है उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जनता शासन सभी ओर सजग है और धारा 352 के अन्तर्गत शासन को जो अधिकार प्राप्त हैं एमरजेंसी लगाने के जनता सरकार उसका भी परीक्षण कर रही है कि उसमें संशोधन करने का विचार कर रहा है जिससे कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए या दलगत स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग न कर सके और आने वाले समय में यह दुस्साहस न कर सके कि नागरिकों को जेल की चारदीवारी में बन्द कर दें। जनता सरकार लोक तंत्रीय मूल्यों की पुनर्स्थापना करने के लिए दृढ़ संकल्प है।

[श्री कृष्ण स्वरूप]

प्रदेश और देश से गरीबी, बेकारी, पिछड़ापन दूर करने के लिए जागरूक हैं। उसकी योजनाएं रोजगार परक और मितव्ययतापूर्ण होंगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया 10 मिनट समय लें और अन्य सदस्यों के लिए भी दस मिनट का समय निर्धारित किया जाता है। माननीय नेता विरोधी दल और नेता सदन के भाषण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा लेकिन मैं आशा करता हूं कि वे भी कम से कम समय लग।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं सरकार की नीति और कार्यक्रम को दिशा दिखाने वाले राज्यपाल महोदय के भाषण पर आए प्रस्ताव पर अपनी भावनाओं को सम्बद्ध करू, मैं प्रदेश की दस करोड़ जनता का धन्यवाद करता हूं और उन शहीदों को नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा। दुनिया के दूसरे मुल्कों में, बन्दूक से आई तानाशाही या बिना बन्दूक के आये अधिनायकवाद के खिलाफ वहां की जनता ने संघर्ष किया है और संघर्ष कर रही है, लेकिन जैसा संघर्ष, भारत की सरकार न मजबूर कर दिया भारतीय जनता को लड़ने के लिए, प्रदेश की जनता ने उसमें शामिल होकर हिस्सा लिया ऐसा संघर्ष इतिहास के पन्नों में देखने को नहीं मिलता। श्रीमन, क्या-क्या नहीं हुआ आपातकाल के 19 महीनों में। नागरिक अधिकारों को छीन लिया गया, लोगों को बात कहने की स्वतंत्रता नहीं रही, प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया, बहुत से छापाखाने बन्द हो गए या मजबूर हो गए अपने को बन्द करने के लिए, अखबार या पत्रिकाएं बन्द हो गयीं या मजबूर कर दी गयी कि वे बन्द हो जायं।

श्रीमन, मैं आपके सम्मुख सुल्तानपुर या करान-मुजफ्फरनगर की बातों को नहीं रखूंगा। उनकी चीत्कार को यह सदन कई बार सुन चुका है। जिस दिशा में भारत की सरकार जा रही थी, जिस रास्ते पर सरकार न चलना शुरू किया था वह रास्ता जबरिया नसबन्दी पर जाकर खत्म नहीं हुआ बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ हुआ जिसकी एक दो मिसाल मैं यहां रखना चाहूंगा। 24वां नेशनल हाईवे जो मुरादाबाद से दिल्ली को मार्ग जाता है। एक इन्द्र प्रकाश नामक व्यक्ति गुजरता है उधर से और दिल्ली पहुंचता है। अपने निकट के सम्बन्धी श्री बंशीलाल से मिलता है, टेलीफोन खटकता है, संजय गांधी की चिट्ठी चलती है और उत्तर प्रदेश सरकार का शासन, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय वित्त मन्त्रालय और श्रम प्रशासन तत्पर हो जाता है। एक जगह को चुन लिया जाता है, लोगों की फसल नष्ट होती है, घरों को गिराया जाता है और एक बोर्ड लग जाता है शिवालिक पेपर फैक्टरी। जो मकान गिरे, उनको गिराने के कोई आदेश नहीं थे। लेकिन चूंकि इमरजेंसी थी, संजय गांधी की चिट्ठी चलती थी और तत्कालीन मुख्य मन्त्री उस पर कार्य करन को बराबर तत्पर रहते थे और उन आदेशों का पालन हुआ। सरदार ग्रवाल का मकान गिरा दिया गया और उनके बच्चे मजबूर होकर सड़क पर आ गए। आज भी वह अपनी समस्या हमारे सामने लाते हैं। इमरजेंसी की जो गलत बात हैं, इस समय की, सरकार ठीक करेगी, यह हमारा विश्वास है। उस समय की सरकार जो श्री नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार थी उसने किस ढंग से श्री संजय गांधी के आदेशों का पालन किया, किस ढंग से तमाम कानूनों को छोड़कर क्या-क्या किया यह श्रीमन् प्रदेश के सब लोग जानते हैं। आज श्री निरेन डे के वक्तव्य का प्रश्न नहीं है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामन यह कहा कि इमरजेंसी के दौरान लोगों को जिन्दा रहने का हक हासिल नहीं है। श्रीमन, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज के विरोधी दल के नेता और कल के मुख्य मन्त्री का भी फरमान अखबार में आता था कि जिसपर सन्देह करे गोली से मार दे। श्रीमन्, यह कानून का राज्य नहीं है। (शेम—शेम की आवाज)

कानून के राज्य में यह नहीं कर सकते कि मुख्य मन्त्री यह फरमान निकालें और पुलिस उसके ऊपर बहुत से इनकाउण्टर दिखाकर झगड़ों में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को मार दे। इसका फैसला अब इस सरकार को करना है, जनता सरकार को करना है।

श्रीमन्, इमरजेंसी के दौरान सारे अधिकार छीन लिए गए थे। किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं था। अदालतों से कह दिया गया कि आप शान्त रहें। सरकार लोगों को भूखा मारने पर मजबूर करती है या गोली भी मारती है तो आपको बोलने का हक हासिल नहीं है। श्रीमन्, द्वितीय महायुद्ध में एक जज थे सर मौरिस बनी। जिस समय लड़ाई का दौर चल रहा था अंग्रेजी सरकार ने डी0 आई0 आर0 बनाया और उस डी0 आई0 आर0 की 26वीं कालम के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार करने का अधिकार हासिल किया गया था। लोग गिरफ्तार हुए और सर मौरिस बनी के सामने पेश हुए। तो श्रीमन्, आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि सर मौरिस बनी ने यह फैसला दिया कि 26वें कालम के द्वारा इस सरकार ने जो यह अधिकार लिया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए जेल के अन्दर डाल दिया जाय यह अवैधानिक है। 26वें कालम खत्म कर दिया गया। उस वक्त के परिवेश में, अंग्रेजी हुकूमत में, लड़ाई के जमाने में एक अंग्रेज जज ने यह फैसला दिया कि 26वीं कालम अवैधानिक है और किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जायगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरठ कांसो-पेरेसी (लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, मैं तो शायद अभी पांच मिनट ही बोला हूं..... के वक्त श्री लाल गोपाल मुखर्जी जज थे। उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत थी और गवर्नर अंग्रेज था। अंग्रेज गवर्नर ने एक चिट्ठी लिख कर दी श्री लाल गोपाल मुखर्जी को कि इस केस में आपको सजा करनी है। श्रीमन्, श्री लाल गोपाल मुखर्जी ने क्या किया? उन्होंने उस चिट्ठी को भरी अदालत में पढ़ कर सुना दिया और यह कहा कि गवर्नर को मुझे यह पत्र नहीं लिखना चाहिए था। आपके जरिए से पिछली सरकार के कुछ लोगों में से जो यहां बैठे हैं, 46 जीत कर आए हैं, कहना चाहता हूं कि उन्होंने हिन्दुस्तान के अन्दर जनता और संसद, और कार्य-पालिका, और न्यायपालिका, राज्य और केन्द्र और नागरिक तथा सरकार के बीच के सम्बन्ध को नष्ट कर दिया था, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि इनके बीच का सन्तुलन कायम रखा जाय जोकि एक लोकतन्त्र में आवश्यक है (तालियां) और जिन्हें कोई विच्छेद नहीं कर सकता।

श्रीमन्, मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे शास्त्रों में जो छः कर्म बताए गए हैं उन में एक कर्म नैमित्तिक कर्म भी है जिसमें लोगों को पश्चाताप करने का अवसर दिया है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि वह पश्चाताप करें और वह पश्चाताप जनता के सामने माफी मांगने से होगा क्योंकि यह पाप और अपराध कांग्रेस हुकूमत ने जनता के साथ किए। राज्यपाल महोदय ने जो अपने अभिभाषण में लोकतन्त्र की बात कही है, उद्घोषणा की है, उस पर हम वचनबद्ध हैं और जनता पार्टी की सरकार उस पर चलेगी।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं खाली उद्घोषणा या नीयत जाहिर करने से सही बात पर पहुंचना जरूरी नहीं है। पहले विश्वयुद्ध के बाद जर्मनी के लोगों ने जो युद्ध की विभीषिका देखी और उसके बाद उन्होंने यह तय किया होगा कि वह ऐसा समाज बनायेंगे, ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जिसमें यह खून-खराबी, लड़ाई व युद्ध न हो, लेकिन फिर भी बन्दूक की नोक वाला तानाशाही उसी पार्लियामेंट के जरिए जर्मनी में पैदा हुआ। इसी भारतवर्ष में, जो हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों ने संविधान दिया उसके अन्तर्गत जो उनकी नीयत व उद्देश्य

[श्री रमा शंकर कौशिक]

था वह साथ था कि देश में लोकतंत्र फले-फूले जिसमें जनता को सर्वोच्च माना जाय, लेकिन उसी पार्लियामेंट तथा संविधान के तहत हिन्दुस्तान में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से वाद अधिनायक पैदा हो गया। इसलिए जनता पार्टी को विशेष ध्यान देना है जब तक सत्ता पर बने रहने की बात है तब तक यह हो सकता है ऐसा मौका आ जाय जब लोकतन्त्र के स्थान पर अधिनायकवाद आ जाय या बन्दूक की नोक पर तानाशाह कोई बन जाय। इस बात को समझते हुए, जनता पार्टी निश्चित रूप से यह समझती है कि जब तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होगा तब तक हमें इन चीजों को रोक नहीं सकते। इसलिए राज्यपाल महोदय ने यह कहा है कि हम लोग विकेन्द्रीकरण की नीति पर चलेंगे।

पिछली कांग्रेस सरकार दावा तो विकेन्द्रीकरण का करती थी, लेकिन हुआ यह कि जहां बड़-बड़ उद्योग खुले वहां छोटे-छोटे कुटीर उद्योग खत्म कर दिए गए। एक आदमी के हाथ में सत्ता बनी रहे इसके लिए संविधान में 42वां संशोधन कर दिया गया ताकि एकही आदमी सर्वोच्च हो और उसके जरिए प्रधान मन्त्री का पद ऐसा बनाने की कोशिश की गयी कि उस पर किसी तरह का मुकदमा न चल सके।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें, उन्होंने बहुत अधिक समय ले लिया है।

श्री रमा शंकर कौशिक--

थोड़ा समय और दे दिया जाय। महात्मा गांधी का बहुत नाम लिया जाता था लेकिन महात्मा गांधी राजनीति को जन-जन की राजनीति बनाना चाहते थे। उनका कहना था जब तक देश में जन-जन की राजनीति नहीं होगी तब तक देश की राजनीति में ऐसे अवरोध आते रहेंगे और ऐसा खटका बराबर बना रहेगा। इसी लिए राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट कहा गया है कि जनता पार्टी की सरकार पूरे तौर से विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाएगी और सत्ता का बटवारा करेगी। जिला परिषद् बनाई गई लेकिन उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। कोई भी नागरिक यह नहीं समझ पाता कि वह प्रदेश की तरक्की में साझेदार है। जब तक छोटी-छोटी इकाइयों को ग्राम सभा के लेविल से लेकर ऊपर तक शक्ति का बटवारा नहीं किया जायगा, जब तक विकेन्द्रीकरण पूरे तौर से सत्ता का नहीं होगा और तब तक हम अपने लोकतन्त्र को किसी तरह से भी पुख्ता नहीं बना सकते, यह एक निश्चित बात है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तीन समस्याएं दीं. . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रमाशंकर कौशिक--

5 मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष--

14 मिनट हो चुके हैं। अब कृपया आप समाप्त करें।

श्री रमा शंकर कौशिक--

श्रीमन्, 5 मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

नहीं आप एक मिनट में समाप्त करें।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तीन प्रकार के रोग दिए। एक पानी का, पटवारी का और पुलिस का। देहात की जनता पानी के लिए परेशान है, पटवारी से पर-

शान है और पुलिस से परेशान है। इस पिछले कांग्रेस की हुकूमत ने गरीबों के लिए किसी भी हालत में अच्छा नहीं किया।

(व्यवधान)

ध्यान से सुन। श्रीमन्, आज यह कहते हैं कि हमने हरिजनों के लिए बहुत कुछ किया। हमारे श्री श्यामधर मिश्र जी ने बात तेजी से उठाई। मैं कहना चाहता हूं कि जब जबरिया नसबन्दी हरिजनों की हो रही थी उस वक्त कहां थे ? मैं मांग करूंगा कि इस बात की कि 19 महीनों में इमरजेंसी के दौरान कितने लोगों की जबरन नसबन्दी की गई और उनमें से कितने हरिजन थे। आप देखेंगे कि 70 फीसदी से ज्यादा हरिजन हैं। जिनकी नसबन्दी हुई है। उनके वजीफे बन्द करने का ऐलान किया गया, उन्हें जो जमीनें दी गई थीं उसे छीनने की कोशिश की गई। इस तरह आप पायेंगे कि 70 प्रतिशत से ज्यादा उसमें हरिजन थ। कांग्रस पार्टी हरिजनों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है ऐसी बातों को उठा कर जिनका कोई अस्तित्व नहीं है।

श्रीमन्, सिचाई निगम के बारे में कहना चाहता हूं। पिछली सरकार के समय 55 निगम बनाए गए। उनके सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने कहा है कि उनके कार्यों का पुनरीक्षण किया जायगा। मुरादाबाद में एक सिचाई डिवीजन है। अब सिचाई निगम भी वह काम करता है जो सिचाई विभाग करता है। आप गौर फरमाएं। वर्ष 1973-74 में जब सिचाई विभाग था उसने वहां जो कुएं खोदे वह कुल 42 थे।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री रमा शंकर कौशिक--

दो मिनट और दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, आप अपना भाषण समाप्त करें। अन्य सदस्यों को समय नहीं मिल पाएगा।

श्री रमा शंकर कौशिक--

सिर्फ दो मिनट और दे दें।....

(व्यवधान)

बाबू बदरे कह रहे हैं उनका समय दे दें। मैं कह रहा था कि 1973-74 में 42 कुएं बनाए गए थे और जब निगम बन गया, इमरजेंसी के दौरान, उस विभाग ने 22 कुएं बनाए। यानी वर्कलोड कम हो गया विभाग में कोई कार्य नहीं रहा, फिर भी निगम बना दिया गया। पता नहीं किन के लिए यह बनाया गया है। हो सकता है इनको बनाने से कुछ फायदा हो और इनके जरिए से कुछ काम मिले। इसीलिए राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निगमों के बारे में राय दी है कि इन निगमों के कार्यों का पुनरनिरीक्षण किया जायगा कि यह रहें या न रहें।

श्रीमन्, एक ग्रामीण योजना है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमन्, हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर रहते हैं जैसा कि पूरे देश में है। पिछली सरकार ने बराबर गांवों की उपेक्षा की है। जो पहली योजना बनी थी उस वक्त ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में, खेती के सम्बन्ध में 30 फीसदी खर्च का हिसाब रखा गया था। लेकिन उसके बाद जितनी योजनाएं बनी हैं उनमें ग्रामीण विकास के लिए वह राशि निरन्तर कम होती चली गयी, जिसका नतीजा यह है कि ग्रामों की स्थिति बिगड़ती चली गई। आज उत्तर प्रदेश में सिचाई का प्रतिशत 44 है यह भी कागज पर है, हो सकता है इसमें 10 प्रतिशत की कमी हो क्योंकि कुओं में खराबी होती रहती है, कुएं सूखते रहते हैं, बिजली नहीं मिलती तो सिचाई उससे कम ही होगी और इस प्रकार वह सिचाई 34 या 35 फीसदी ही

[श्री रमा शंकर कौशिक]

आएगी। यह हमारे सिचाई की हालत है। हमारे उत्तर प्रदेश की भूमि पर आबादी का अधिक बोझ है, उसको देखते हुए सिचाई अनिवार्य है। हम लोग सिचाई के साधनों को ज्यादा से ज्यादा बनाएं ताकि 3 फसल उसमें पैदा हो सके। जब तक आप उत्तर प्रदेश में तीन फसलें पैदा करने का टारजेट नहीं बनायेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश की तरक्की की कोई भी योजना उत्तर प्रदेश को तरक्की और विकास की ओर नहीं ले जा सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या है। प्रदेश को 22 सौ मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि हम कुल 14 सौ मेगावाट बिजली ही पैदा कर पा रहे हैं। यह स्थिति पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण पैदा हुई है। आज भी विष्णु प्रयाग योजना हम किस कारण शुरू नहीं कर पा रहे हैं, यह विचार करना होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, मैं धन्यवाद के प्रस्तुत प्रस्ताव में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं। प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में--

(1) प्रदेश भर के हरिजनों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों एवं अन्य निर्बल वर्ग के लोगों पर हो रहे निरन्तर अत्याचारों के दोषी व्यक्तियों को कानून की परिधि के अन्तर्गत प्रताड़ित करने की कोई ठोस योजना प्रस्तुत नहीं की।

(2) प्रदेश के अनेक स्थानों में विगत विधान सभा चुनाव के अवसर पर जबरन कराई गई गड़बड़ियों, निर्बल वर्ग को वोट देने से रोकने, पोलिंग स्टेशनों पर हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा कब्जा कर फर्जी वोट, ठप्पेबाजी कर डलवाने की घटनाओं व चुनाव-प्रबन्ध में लगे कर्मचारियों पर हमलों आदि का उल्लेख न कर प्रशासन की अक्षमता व की गयी आनुषंगिक कार्यवाहियों का उल्लेख नहीं किया।

(3) प्रदेश भर में विगत कुछ सप्ताहों से गांवों व शहरों में बढ़ती हुई अराजकता एवं सभी प्रकार के अपराधों में वृद्धि एवं तत्सम्बन्धी निरोधक उपायों का समुचित उल्लेख नहीं किया।

(4) प्रदेश में जनता के लिए उपयोगी सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि एवं अनुपलब्धता का उल्लेख नहीं किया और प्रस्तावित निरोधक उपायों को नहीं बताया।

(5) प्रदेश के छात्रों एवं युवकों के कल्याण के लिए किसी भी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया।

(6) प्रदेश के शहरों में रहने वालों करोड़ों नागरिकों के प्रति उपेक्षा दर्शाते हुए यह नहीं बताया कि क्या शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करने के लिए भी कदम उठाए जायेंगे और यदि हां, तो कौन से ?

(7) प्रदेश के मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, राजकीय एवं अन्य कर्मचारियों एवं अध्यापकों आदि के कल्याण के लिए किसी भी नीति या कार्यक्रम का उल्लेख नहीं किया।

(8) प्रदेश भर में कांग्रेसजनों तथा अन्य वर्तमान शासकीय ग्रुप की नीतियों से असहमत राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर बदले की भावना से की जा रही कार्यवाहियों को रोकने व प्रश्रय न देने सम्बन्धी नीति की घोषणा नहीं की एवं प्रदेश के बहुसंख्यक लगभग 52 प्रति-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शत वर्तमान शासकीय दल के विरुद्ध मत देने वाले मतदाताओं को आश्वस्त नहीं किया कि जनता पार्टी को वोट न देने के कारण उनका कोई नुकसान नहीं किया जायगा तथा कोई भेदभाव नहीं बरता जायगा।

(9) यह घोषणा नहीं की कि प्रदेश के श्रमिकों को कम से कम 8.33 प्रतिशत बोनस दिया जायगा।

(10) यह घोषणा नहीं की कि राज्य के बीमार चीनी एवं कपड़ा मिलों के जीर्णोद्धार की प्रस्तावित योजनाएं चालू की जायेंगी एवं चीनी मिलों के आवश्यकतानुसार सहकारीकरण अथवा राष्ट्रीयकरण की संस्तुति करने के लिए कदम उठाए जायेंगे।

(11) प्रदेश के पूर्वी, पर्वतीय, बुन्देलखण्ड एवं पश्चिमी व मध्य उत्तर प्रदेश पिछड़े जिलों व भागों की विशेष समस्याओं व उनके हल का कोई उल्लेख नहीं किया।

(12) पिछली सरकार द्वारा जनहित में लिए गए निम्न अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णयों को बहाल एवं लागू करने की घोषणा नहीं की—

(क) उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों के हित में लगान में कमी कर पुरानी चली आ रही लगान दर बहाल करना।

(ख) कृषि भूमि पर विकास कर की दरें निम्न प्रकार पुनरीक्षित करना—

(1) 3 1/8 एकड़ तक की छोटी जोत वाले किसान विकास कर से मुक्त करना।

(2) 3 1/8 से 6 1/4 एकड़ तक की जोत वाले किसानों द्वारा पुराने लगान का केवल आधा विकास कर के रूप में देय होगा।

(3) 6 1/4 से 12 1/2 एकड़ तक जोत वाले किसानों द्वारा केवल पुराने लगान के बराबर धनराशि विकास कर के रूप में देय होगी।

(4) 12 1/2 एकड़ से अधिक की जोत वाले किसानों द्वारा लगान के दुगुने के बराबर धनराशि विकास कर के रूप में देय होगी।

(ग) कि किसानों के लिए बिजली की न्यनतम दरें 15 रु0 प्रति हार्स पावर से घटाकर 12 रु0 प्रति हार्स पावर कर दी जायगी और उन्हें यह सुविधा दी जायगी कि वे 30 सितम्बर तक अपने कनेक्शन के लोड में आवश्यकतानुसार कमी करा सकेंगे जिससे उन्हें कम हार्स पावर पर भुगतान की सुविधा मिल जायगी।

(घ) कि राजकीय ट्यूबवेल व सिंचाई की दरों में कमी की जायगी और 21 रुपया प्रति एकड़ की सिंचाई शुल्क समाप्त कर दिया जायगा तथा सिंचाई की दर एक जुलाई से 30 अक्तूबर तक एक रुपए में 16,000 क्यूसेक और 1 नवम्बर से 30 जून तक 1 रुपया में 8000 क्यूसेक निर्धारित की जायगी।

(ङ) जिन जिलों में 20 प्रतिशत या 20 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या उर्दू पढ़ने लिखने वाली है वहां उर्दू को द्वितीय राज भाषा का स्थान देने का सिद्धान्त स्वीकार करना तथा उसको लागू करने के लिए उच्च अधिकारियों की एक कमेटी बनाना।

(च) कि राज्य सरकार द्वारा शासकीय सेवाओं और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रदेश की पिछड़ी जातियों को 15 प्रतिशत आरक्षण कर दिया जायगा।

(छ) कि भर जाति के लोगों को पूरे प्रदेश में विमुक्त जाति को दी गई सुविधाएं सुलभ की जायेंगी।

(ज) कि सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री परिषद् का प्रदेशीय तथा जिला स्तर पर गठन किया जायगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

(झ) कि सभी श्रेणियों के राजकीय कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के बाद भविष्य निर्वाह निधि प्राप्त करने में कठिनाई को दूर करने के लिए "निधि पास-बुक" दी जायगी और उनके भविष्य निधि का पूरा लेखा-जोखा विभागाध्यक्ष के स्तर पर रखा जायगा।

(त) कि पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यरत राज कर्मचारियों को हिल एलाउन्स दिया जायगा जिससे वह कठिन परिस्थितियों में कार्य कर सके तथा पिथौरागढ़ उत्तरकाशी व चमोली में यह भत्ता भी उनके वेतन का भाग माना जायगा और पेंशन तथा ग्रेच्युटी में उनको उसका लाभ मिल सकेगा।

(थ) कि ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों जैसे ग्राम सेवक, लेखपाल, सहकारी सुपर-वाइजर, पशु-सेवक, पंचायत सेवक आदि की सेवा शर्तों को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उनकी कुल संख्या का 20 प्रतिशत विशेष ग्रड निर्धारित किया जायगा तथा ग्राम सेवकों को सहायक विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के अवसर दिए जायेंगे।

(द) कि चीनी मिल मजदूरों को पूर्व निश्चित फार्मूलानुसार अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जायगा।

(ध) कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को 1 जनवरी, 1977 से 5 कवाल नगरों और 17 अन्य नगरों में राजकीय कर्मचारियों की भांति मकान भत्ता दिया जायगा और इस प्रकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद के म्युनिसिपल कारपोरेशन क्षेत्र में रहने वाले अध्यापक वेतन का 10 प्रतिशत तथा मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, झांसी, रामपुर, शाहजहांपुर, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, फैजाबाद के म्युनिसिपल क्षेत्रों में रहने वाले अध्यापकों को वेतन का 7 1/2 प्रतिशत (यदि वह 750 रु० से कम वेतन पा रहे हैं) मकान भत्ता दिया जायगा।

(न) कि राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान स्वीकृत किए जायेंगे तथा अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों पर नवीन वेतनमान लागू करने की स्वीकृति प्रदान की जायगी।

(प) कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् तथा सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को राजकीय कर्मचारियों की दर पर पेंशन 1 मार्च, सन् 77 से स्वीकृत की जायगी।

(फ) कि बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति सेवा काल में 12 मास का चिकित्सकीय अवकाश पूर्ण औसत वेतन पर दिया जायगा।

(ब) कि छोटे व्यापारियों द्वारा देय बिक्री-कर के टर्न-ओवर की सीमा 25,000 रुपया से बढ़ाने के लिए एक अधिकारिक समिति का गठन किया जायगा।

(भ) कि व्यापारियों को राहत देने के लिए खाद्यान्न पर अन्तिम रूप पर बिक्री-कर के बजाए प्रथम-सूत्र बिक्री-कर लगाया जायगा।

(म) कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम की धारा 3–ङ को पूर्वगामी प्रभाव से समाप्त कर दिया जायगा।"

श्रीमन्, यह नई सरकार की नीति का प्रथम घोषणा-पत्र है और राज्यपाल महोदय के माध्यम से प्रदेश की नई सरकार ने अपनी नीतियों को उद्घोष किया है। मैं सर्वप्रथम इस नई सरकार और उसके नए माननीय मंत्रियों को एक औपचारिक रूप से बधाई देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि विगत विधान सभा के आम चुनाव के बाद उन्हें अवसर प्राप्त हुआ कि वह ऐसे भारी बहुमत को लेकर अपनी नीति, रीति और कार्यक्रमों के आधार पर उत्तर प्रदेश की सेवा कर सकें।

श्रीमन्, यह भी प्रसन्नता का विषय है, जैसा कि उनके मुख्य मन्त्री ने अपने ब्राडकास्ट में, जो कि उन्होंने प्रदेश की जनता के नाम दिया, यह स्पष्ट किया कि समाजवादी विचार-धारा के हैं और उन पर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा की स्पष्ट छाप है। उन्होंने गांधी जी के अन्त्योदय की विचारधारा का भी उल्लेख किया है कि उसकी भी उन पर छाप है। यह एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बहुत प्रखर समाजवादी विचारों के लोग, करीब दो-सवा दो सौ लोग इस विधान सभा में इस बार ऐसे आए हैं जो कि पुराने समाजवादी रहे हैं और जिन्होंने समाजवाद के लिए संघर्ष किया है और समाजवादी विचारधाराओं में उनकी प्रमुख विचारधारा रही है। तो इसलिए इस समय श्रीमन मुझे विश्वास है कि इतने अधिक समाजवादी सदस्यों के होने के नाते अब जो नीतियां और कार्यक्रम कार्यान्वित होंगे, उनसे सम्पूर्ण समाज का अभ्युदय होगा। लेकिन जो कुछ परिपाटी यहां डाली जा रही है, उनके सम्बन्ध में मैं प्रारम्भ में ही सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख हुआ, यह सरकार गठित हुई 23 जून, को लेकिन मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे पांच दिन तक उनके विभागों का गठन नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इतने विलम्ब से बिना कोई पोर्टफोलियो, मन्त्री शपथ लेने के बाद बने रहे हों, पांच दिन तक पोर्टफोलियो न बटे, यह बहुत ही गलत उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। दूसरी बार जब मंत्रि मण्डल का विस्तार हुआ लगभग चार मन्त्री बिना विभागों के रहे, यह कहीं भी, चाहे केन्द्र में हो, कहीं भी हो, 24 घंटे, 30 घंटे में इसके अन्दर विभागों का वितरण हो जाना चाहिए। इस मर्यादा का परिपालन नहीं हुआ।

इस सदन में जब शपथ-ग्रहण हुआ तो यहां पर मन्त्री लोग उपस्थित नहीं थे। आदर-णीय सदन का वह पहला दिन था। शपथ-ग्रहण बहुत महत्व का दिन होता है। बहुत से मंत्रियों ने पहले दिन शपथ ग्रहण नहीं की। इसकी महत्ता को नहीं समझा या स्वीकार नहीं किया। बार-बार माननीय मंत्रियों के नाम पकारने पड़े। सारे सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद भी शासन के सदस्य उपस्थित नहीं थे और बाद में शपथ ली। यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है।

आज हम देखते हैं कि इस मंत्रि मण्डल के कई माननीय सदस्य अपने विभाग से परे नीति के बयान देते रहते हैं, जो उनके विभाग हैं उनके बाहर जाकर दूसरे विभागों के बारे में नीति की घोषणा करते हैं। हमने देखा कि केन्द्र में भी इस परिपाटी का स्पष्टीकरण अभी किया गया। 16 जुलाई के टाइम्स आफ इंडिया अख्बार में है लोक सभा में माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा "ओनली दोज स्टेटमेन्ट्स शड बी बाइंडिंग विच रिलेटड टु दि मिनिस्टर्स पोर्टफोलियों।" जो मन्त्री का विभाग है उससे सम्बन्धित बयान ही बाध्यकारी माने जायेंगे। दूसरे मंत्रियों के विभागों के बारे में बाध्यकारी नहीं माने जायेंगे। "ओनली स्टेटमेन्ट्स मेड बाई दि प्राइम मिनिस्टर विल बाइंड दि गवर्नमेंट"। यह केन्द्र को स्पष्टीकरण करना पड़ा। समाचारपत्र नित्य घोषणाओं से भरे रहते हैं जो दूसरे विभाग के बारे में माननीय मन्त्री करते हैं। उनका कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं आता या नहीं छपता कि आया शासन की वह नीति है या नहीं।

जब सदन चलता है तो माननीय मन्त्री जिलों में जाकर, दूसरी जगह जाकर प्रेस कांफ्रेंस के जरिए नीति सम्बन्धी घोषणाएं कर रहे हैं और इस सदन की जो परम्परा है, उसके विपरीत जाकर नीति की घोषणाएं सदन के चलते हुए हो रही हैं। माननीय मुख्य मन्त्री भी चाहें, उनकी भी कठिनाई है, मैं समझता हूं, लेकिन अगर ऐसी परम्पराएं शुरू से डाली जायेंगी, तो उनसे इस सदन के अधिकारों का ह्रास होगा। दो-तीन मिसालें मैं देना चाहता हूं। जैसे माननीय पुराने सदस्य, स्वायत्त शासन मन्त्री बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, हो सकता है समाचार गलत हो, लेकिन पत्रकार सम्मेलन में स्वायत्त शासन मन्त्री ने यह घोषणा

[श्री नारायणण दत्त तिवारी]

कर दी। हो सकता है, बहुत अच्छा है, आपत्ति नहीं है, बड़ी खुशी होगी कि इस प्रकार काम चला लें, कि जनता सरकार कोई टैक्स नहीं लगायेगी। यह पत्रकार सम्मेलन में नीति की घोषणा पढ़ी। इसी प्रकार माननीय वित्त मन्त्री ने बजट पहले ही पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। बजट आना बाकी है। ठीक है पांच साल के लिए घोषणा कर दी कि कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन क्या इस पर ठीक से विचार हुआ है ? इसी प्रकार हम यह देखते हैं कि आगरा में और दूसरे स्थानों में महत्व-पूर्ण बयान दिए गए संस्थागत वित्त मन्त्री द्वारा और उस पर बड़ी प्रतिक्रिया हुई और दैनिक जागरण को सम्पादकीय लिखना पड़ा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अफसरों की सम्पत्ति की जांच होगी और उनके निकटतम सम्बन्धियों की सम्पत्ति की जांच होगी।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

यह बात किसने कही, संस्थागत वित्त मन्त्री जी ने ?

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी अफसरों तथा उनके निकटतम सम्बन्धियों की सम्पत्ति की जांच कराने का निर्णय लिया गया है। यह प्रमाणिक रूप से तभी लागू होगा जब उत्तर प्रदेश मंत्रि मण्डल अपना निर्णय दे दे और केन्द्रीय सरकार की सहमति मिल जाय। सारे अफसरों की जांच की बात कह दी। सारे अफसरों की जांच क्यों होगी ? क्या उनके डिमारलाइज्ड करना है ? क्या उनके नैतिक बल का ह्रास करना है और क्या यह उचित है ?

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

क्या माननीय नेता, विरोधी दल के कोई रिश्तेदार आते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं। मैं उनसे बड़प्पन की आशा करता हूं। इस प्रकार की जो नीतियों के बयान हैं, उनको इस प्रकार से उद्घोषित न किया जाए। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हमारा जातिवाद में विश्वास नहीं है लेकिन हम यह देखते हैं कि आज देहली के शीर्षस्थ नेता आकर कहते हैं कि 30 साल के बाद सत्ता विशेष वर्ग के हाथ में आई है। वह बराबर यह कहते हैं। आज जिस पार्टी की सरकार है वह उसके बिलकुल विपरीत हैं और बराबर जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या यह उचित है ? क्या यह कहना ठीक है कि 30 साल तक सब गलतियां हुयीं ? मैं कहना चाहता हूं कि माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त, माननीय डा0 सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री चन्द्रभान गुप्त, माननीय चरण सिंह और माननीय श्री टी0 एन0 सिंह यह सब 1970-71 तक इस प्रदेश में सत्ता पर रहे और अब क्या यह कह देना उचित होगा कि जो इन शीर्षस्थ नेताओं ने किया, शासकीय दल के नेताओं ने किया, गलत किया ? अब चौधरी चरण सिंह को ले लीजिए, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं। जब वे मुख्य मन्त्री थे और जो काम उन्होंने किए क्या वे गलत हैं, जो आज यहां पर 30 साल का जिक्र किया गया कि यहां पर कुछ नहीं हुआ है। जो-जो संविद सरकारें यहां पर बनीं, पहली 11 महीने के लिए और दूसरी 5 महीने के लिए तो जो कार्य उन्होंने किया, वह सब गलत किया ? आज जिस क्रान्ति की बात कही जाती है, वह क्या है ? इससे मैं एक ही बात समझता हूं कि महामहिम राज्य-पाल का जो अभिभाषण लिखा गया है वह किसी हिन्दी के अच्छे ज्ञाता ने इसे लिखा है, एतिहासिक तथ्य इनके गलत हैं। लिखा गया है कि "पहली क्रान्ति सन् 1947 की

15 अगस्त को हुई थी" । 15 अगस्त की जो क्रान्ति हुई थी, वह तो क्रान्ति 1942 में हुई थी । 1942 की क्रान्ति, 1931 व 1940 के सत्याग्रह और 1942 की "करो या मरो" क्रान्ति हुई है । वह क्रान्ति एक निरन्तर चलती हुई क्रान्ति थी जिसकी परिणति से देश की गुलामी समाप्त हुई । 15 अगस्त को कोई क्रान्ति नहीं हुई (अत्यधिक शोर)

15 अगस्त, 1947 को क्रान्ति हुई, मैं समझता हूं यह वही व्यक्ति लिख सकता है जिसने उस समय क्रान्ति में हिस्सा नहीं लिया । हमारे समाजवादी भाई ऐसा नहीं लिख सकते हैं ।

इसमें दूसरी बात कही है और जो भी विचारवान व्यक्ति हैं जनता पार्टी के वे स्वयं कहें कि वह सत्य से परे है ।

श्री रमा शंकर कौशिक—

क्रान्ति के मायने ..... (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय सदस्य, मुरादाबाद, जो समाजवादी हैं, का आदर करता हूं । आगे इसमें लिखा है कि "विधान मण्डल का यह सत्र देश की द्वितीय क्रान्ति की एतिहासिक परिणति है"। मान्यवर, इसमें हिन्दी बड़ी मुश्किल लिखी गई है । परिणति का अर्थ क्या है ? मैं अपने विद्वान् सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इसका अपने दृष्टिकोण से विश्लेषण करें । ज्ञान मण्डल काशी के वृहद कोष में परिणति शब्द का अर्थ है : "अवसान, आरोपित आदि...." यह शब्द सरकार की ओर से लिखा हुआ है और समग्र क्रान्ति में विश्वास रखने वाली सरकार की ओर से लिखा गया है । अगर कोई विधायक जानकर लिखता तो ऐसी गलती न करता लेकिन यह तो सरकार की ओर से लिखा गया है । उनका कहना क्या है कि हमने चुनाव जीत लिए हैं, क्रान्ति पूरी हो गई है । इससे यह हुआ कि दूसरा रेवोल्यूशन खत्म हो गया है (शोर) पहली लाइन में ही रैवोल्यूशन कम्पलीट हो गया है, पूरा हो गया है ।

समग्र क्रान्ति आखिर क्या है ? हो सकता है कि जो इसकी परिभाषा है, जिसका उल्लेख किया गया है, सरकार को तो अपनी पार्टी की प्रतिनिधि कहलाने का ही हक नहीं रह गया इस पहली लाइन के अनुसार । क्योंकि जो सरकार यह समझ ले कि अब कुछ करने को नहीं है .....

एक सदस्य—

संजय के बारे में कुछ कह दीजिए .....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य व्यवधान न डालें, अपना स्थान ग्रहण करें ।

*श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

माननीय नेता, विरोधी दल इस सदन में कहीं-कहीं अर्थ का अनर्थ भी कर रहे हैं । "परिणति" का अर्थ समाप्ति भी होता है लेकिन 'प्रतिफल" भी होता है । यहां "प्रतिफल" घटित होता है । आपने शब्दकोष के दो-चार अर्थ देख लिए हैं, लेकिन भाषा को समझिए यहां पर अर्थ "प्रतिफल" है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें । माननीय नेता, विरोधी दल ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं अपने बुजुर्ग माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, जो विरोधी दल का आदर देने की आपने घोषणा की है उसके आधार पर तो कृपा करके बोलें। हम कैसे ही गलत आदमी हों, कमजोर हों, लेकिन यह पार्टी लोकतन्त्र के मूल्यों के लिए समर्पित है। हम जिन अधिकारों की बात कहते हैं तो यह सबसे बड़ा पैमाना होगा कि आप क्या व्यवहार हमारे साथ करते हैं .....

एक सदस्य—

आप गलत सही हमें अर्थ बतायेंगे तो क्या हम वही गलत अर्थ लगा लें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं, माननीय सदस्य व्यवधान न करें, शांति के साथ सुनें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्रान्ति को, यह खत्म हो गयी, कहते हैं। माननीय जयप्रकाश नारायण जी ने "समग्र क्रान्ति" की जो घोषणा की है, उसका परिभाषा बताना चाहता हूं सरकार को। मैं यह कहता रहा हूं कि सम्पूर्ण क्रान्ति में सात क्रान्तियां मिली हुई हैं—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सैद्धान्तिक, भौतिक और शैक्षणिक और नैतिक। इस सरकार की राय में अब कोई आवश्यकता नहीं है, काम खत्म हो चुका है। समग्र क्रान्ति के लिए समर्पित सरकार का श्रीमन्, यह भाषण है। और आज हम देखते हैं, जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि व्यवहार क्या हो रहा है ? चुनाव के परिणाम मौजूद हैं, जो भूतकाल में हुए। अब भविष्य के लिए क्या आधार होना चाहिए ? समग्र क्रांति मंच जो बना है, उसका कार्यक्रम देहली जाकर प्राप्त किया। आचार्य राममूर्ति जो समग्र क्रान्ति मंच के हैं, उनके द्वारा, घोषित कार्यक्रम है। इसमें है कि लोकनायक द्वारा प्रस्तुत यह यात्रा-पथ उससे भिन्न होगा, जो अब तक हुआ है। इस पथ में विरोध तो होगा किन्तु शत्रुता नहीं। लेकिन आज हम देखते हैं कि शत्रुता निभाई जा रही है प्रदेश भर में। "तुम ने कांग्रेस को वोट दिया, तुम से बदला लिया जायगा" यह हो रहा है शत्रुता निभाने में। "तुमने दूसरे दलों को वोट दिया" इसमें क्या दोष है ? लेकिन आज बड़े पैमाने पर सरकारी अफसरों के ट्रांसफर हो रहे हैं, जहां-जहां कांग्रेसी दल जीता या दूसरे दल जीते हैं। यह लोकनायक द्वारा जो प्रोग्राम बना है हो सकता है कि वह मुख्य मंत्री जी को मालूम न हो हमारे जो विधायक हैं उनको मालूम न हो लेकिन यह हो रहा है। (आवाज—हां हां हां!) कहते हैं इस पथ में विरोध तो होगा किन्तु शत्रुता नहीं! आंदोलन तो होंगे किन्तु तोड़-फोड़ और हिंसा नहीं" आज पक्षों, मतों एवं सम्प्रदायों में बटे मानव को समीप लाया जायगा और इस कार्यक्रम में है कि समग्र क्रान्ति के लिए न केवल जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस तथा अन्य दलों का भी सहयोग लिया जाएगा। तो क्या आज इस सहयोग को लेने का वातावरण पैदा किया जा रहा है? मुझे अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी जो अभी ब्राडकास्ट किया और जो उन्होंने टेलीविजन में कहा उसमें उन्होंने यह कह दिया कि चन्द राजनीतिक दल आज छात्रों को उकसा रहे हैं, हरिजनों को उकसा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो सूचना उनको दी गयी वह सत्य से बिल्कुल परे है, असत्य की परिधि के अन्तर्गत है, क्योंकि आज जितने भी आन्दोलन चल रहे हैं, चाहे बिजली मजदूरों का हो, चाहे होम्योपैथिक छात्रों का हो, ये राज्यपाल शासन में भी चल रहे हैं, हमारे समय में भी चल रहे। 18-20 दिन ही इस सरकार के गठित हुए थे। इस समय कौन सा राजनीतिक लाभ उठाने की बात हो सकती है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को अधिकारिक रूप से कहना चाहता हूं कि यह ठीक है, हमारी सहानुभूति हो सकती है, कोई हमारे पास आता है तो हम उनकी मांगों को सुनते हैं और सहायता करने की बात कहते हैं, लेकिन उनको उकसाया हो, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमें शुरूआत अच्छी करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि हमने भूलें की हैं, मैं मानता हूं कि हमसे भयंकर भूल भी हुई है। इसलिए हमने उसके बारे में जहां पर जो गलती हुई,

उसका उल्लेख किया है, उसके लिए खेद भी प्रकाशित किया है और क्षमा याचना भी जनता से की है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि गलतियां हमने की हैं वह आप दोहरायें। इस लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति जो सरकार ने अपना विश्वास व्यक्त करने की बात कही है, उन मान्यताओं को शुरूआत से ही लागू करना है। प्रारम्भ अगर ठीक होगा तो आगे भी ठीक होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सरकार को प्रारम्भ में ही सचेत करूं कि वह बदले की भावना के रास्ते पर न चले। मेरा उनसे यही आग्रह है। अब मैं श्रीमती नन्दनी सतपथी जी के भाषण की दो, चार लाइनें पढ़ना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह जनता पार्टी के लीडरशिप के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह स्टेट्स मैन जून, 26 का है :

"I am afraid we are going to make enquiries, the main step of Government. This will have a very unwholesome impact on administration and will ultimately lead to negligence of action than will promote peoples welfare. Officials and politicians will tend to do nothing more than somehow to continue in office. The Indian bureaucracy will lose the little initiative it might possess and its members will only look forward to drawing its salaries."

(मुझे लगता है कि शासन का मुख्य काल जांच करना होने जा रहा है। इसका शासन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा जो अन्त में उन कामों की ओर उदासीन कर देगा जो जनता की भलाई के लिए हैं। सरकारी अधिकारी और राजनीतिज्ञ पहल करना छोड़ देंगे और केवल किसी तरह अपने पद पर आसीन रहने का प्रयत्न करेंगे।) अब जो यह कहा गया था कि सभी आफिसरों की जांच होगी, तो यह जो नयी नीति कार्यान्वित होगी वह अधिकारियों के द्वारा ही तो होगी और अब उन्हीं को करना है तो एक वातावरण उनको डीमारेलाइज करने का बनाया जा रहा है ताकि कार्य करने का कोई इनीशियेटिव न रहे।

श्रीमन्, इस घोषणा-पत्र में एक दूसरी बात यह कही गयी है कि हम आगे चल कर फिजूलखर्ची को कम करेंगे। उसके लिये कदम क्या उठाया गया है कि कानपुर देहात का जो अलग जिला बनाया गया था, उसको तोड़ दिया है। मुरादाबाद मन्डल को तोड़ दिया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर देहात जिला क्यों बनाया गया था? माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने अभी 8 जुलाई, को यह भी घोषणा की थी कि गाजियाबाद जिला खत्म कर देंगे, मगर बाद को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बहुत सोच विचार कर उसे कायम रखा। मैं यह कह रहा था कि कानपुर देहात जिला क्यों बनाया गया? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 8 में यह स्पष्ट दिया है जिसे मैं पढ़ देना चाहता हूं: —

METROPOLITAN AREAS—(1)

The State Government may, by notification, declares that, as from such date as may be specified in the notification, any area in the State comprising a city or town whose population exceeds one million shall be a metropolitan area for the purposes of this code."

श्रीमन्, कानपुर शहर इतना बड़ा शहर है, उसकी अपनी समस्यायें हैं, 10 लाख से कहीं ज्यादा आबादी का वह शहर हो गया है, करीब 20 लाख की आबादी उसकी हो गयी है। इसलिए इस धारा 8 के अन्तर्गत उसको मेट्रोपालिटन एरिया घोषित किया गया। यह समय का तकाजा था, समय की मांग थी जिसके अनुसार किया गया। इसी धारा के अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता, और अहमदाबाद जैसे शहर पहले ही हो चुके हैं। कलकत्ता के बाद यू0 पी0 में यह सबसे बड़ा महानगर है। अच्छे शासन के लिए, अच्छे न्याय के लिए यह बहुत आवश्यक हो गया था कि उसको मेट्रोपालिटन शहर घोषित किया जाए, वहां एक मैट्रापालिटन मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो तथा अन्य नियुक्तियां हों। मद्रास में भी मदुरायी शहर अलग एक और देहात अलग है। एक डी0 एम0 या एस0 पी0 अकेले इतने बड़े शहर की देख-भाल अच्छी तरह से

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

नहीं कर सकता। फिर उसका ध्यान सदा ही शहर की तरफ पहले जाता है। देहात की ओर उतना ध्यान उसका जा ही नहीं पाता। देहात बहुत ही पिछड़ा हुआ रह जाता है। कानपुर शहर में तो बड़े-बड़े उद्योग हैं, मगर जो ऐन्सिलरी उद्योग हैं, छोटे-छोटे उद्योग हैं, जिनको कि देहात में लगाया जा सकता है, उनको वहां पर लगाया जाय। श्रीमन, बिजनौर जिले को मेरठ के साथ मिलाया गया है, जहां पर कोई पुल नहीं है। अगर रुहेलखंड डिवीजन बड़ा है, इससे मान लीजिए कि बिजनौर को मेरठ से मिला दिया गया तो मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर को मिलाकर एक कमिश्नरी बन गयी। श्रीमन्, एक डिवीजन बनाने का फायदा कितना होता है ? अब मुरादाबाद मन्डल तोड़ने का नतीजा क्या होगा? जो एक करोड़ पूंजी से काम शुरू हुआ वह टूट गया। जो मुरादाबाद डिवीजन में इन्स्टीटयूट बना दिया है, वह समाप्त हो गया और फिजूलखर्ची की बात श्रीमन, मैं इसीलिए कहूंगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी जरा इसलिए देखें कि फिजूखर्ची कहां से आई। सबको मालूम है कि सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन बना है। कोई भी बुद्धिमान शासक उनसे मांग सकता है कि हमें रुपया दीजिए। दूसरे राज्यों ने फाइनेंस कमीशन से रुपया ले लिया है। मैं तो यह कहता हूं कि इस प्रश्न को फिर से देखें। सेवेन्थ फाइनेन्स कमीशन बन चुका है, उससे रुपया लिया जा सकता है। यह जो तथ्य दिए गए हैं, माननीय मुख्य मन्त्री जी को वह गलत दिए गए हैं। इसके बारे में मुझे लगता है कि जनता पार्टी के मैनिफैस्टो को ही नहीं पढ़ा गया है। अगर जनता पार्टी ने मैनिफैस्टो को पढ़ लिए होते तो शायद यह गलत, कानपुर देहात जिला और यह तोड़ने का निश्चय आप न करते। श्रीमन, मैं, चुनाव घोषणा-पत्र जनता पार्टी पृष्ठ 14 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। "सत्ता का विकेन्द्रण और जन-सहयोग" यह पैराग्राफ है। राष्ट्रीय जीवन के समस्त स्तरों पर जनता पार्टी का व्यापक सहयोग प्राप्त किए बिना हम यह दावा नहीं कर सकते कि सरकार जनता की है और जनता ही उसे चला रही है। जनता पार्टी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सत्ता को यथेष्ट बिखेर कर विकेन्द्रीयकरण करेगी। जन-सहयोग का मार्ग प्रशस्त करने और आर्थिक प्रबन्ध को सुगठित करने के लिए यह जरूरी है कि हमारे जिलों तथा विकास-खण्डों को छोटा किया जाए। जनता अपने-अपने इलाकों के लिए अपनी-अपनी योजनाएं स्वयं बना सकती है। जनता पार्टी इस मामले में सारे देश को एकमत करने का प्रयास करेगी यानि छोटे जिले बनाने के लिए और विकास खंड छोटे करने के लिए सारे देश को छोटा करेगी। छोटे जिले बनाने के लिए नेशनल कांसेन्सस हो। जो जिला बन गया वह भी तोड़ दिया और कांसेन्सस में हम लोग भी आते हैं, विरोधी दल के लोग भी आते हैं कांसेसन्स में। तो हमारी राय आपने नहीं ली। हम देखते हैं कि देहात और शहर तोड़े जा रहे हैं।

एक सदस्य—

क्या आपने हमारी राय ली थी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं कह रहा था.....

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सवाल यह है कि पिछले दिनों में भी और आज भी मैंने देखा कि जब सदन चल रहा है तो कुछ माननीय सदस्य फ्लोर को क्रास करके आ जा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था दें कि कोई भी माननीय सदस्य फ्लोर क्रास न करें ?

श्री अध्यक्ष—

यह नियम के अनुसार अनुचित है। माननीय सदस्य इसका ध्यान रखें और कृपया फ्लोर क्रास न करें और न सामने से आएं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, इस सरकार का एक रुख और उभर कर आया है। इसमें पृष्ठ 6 पर लिखा हुआ है कि "पिछले 20 वर्षों से सरकार का रुख शहरों की ओर रहा है"। यह पंक्ति लिखी गई है। यह लगता है कि यह सरकार शहरों की विरोधी हो गयी है। शहरों का भविष्य अन्धकारमय है। एंटी सिटी सरकार है। तो श्रीमन्, अरबन रिनुअल का क्या होगा, मलिन बस्तियों का क्या होगा ? पेयजल योजनाओं का क्या होगा ? अरबन सीलिंग का क्या होगा ? स्वायत्त शासन मन्त्री जी यहां बैठे हैं . . .

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह सब कुछ है। जैसे फर्स्ट रीडिंग, सेकेण्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तो पढ़िए तो सही।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने पढ़ा है।

मान्यवर, कहा है कि रुख शहरों की ओर नहीं रहेगा। रुख दूसरी ओर रहेगा। रुख कैसा रहा कि कानपुर देहात को शहर में मिला दिया। कहा है कि शहरों की ओर नहीं रहेगा। कानपुर देहात जिला बना था, वह खत्म कर दिया। तो कथनी कुछ और करनी कुछ और। डाक्टर लोहिया कहा करते थे कि कथनी और करनी एक होनी चाहिए।

एक सदस्य—

डाक्टर लोहिया कैसे याद आ रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यानी शहरों की ओर रुख है। शहरों में गरीब बसते हैं या नहीं, इसका पता नहीं शायद। तो इस शासन का जो बुनियादी रुख है, यह कहा जाता है कि देहात की ओर जायगा। बड़ी चर्चा हो रही है कि खेती के विकास की ओर जायेंगे। साहब 3 महीने हो गए। केन्द्र तो कह ही रहा है, यहां भी बार-बार कहा जा रहा है, लेकिन खेती के लिए क्या करना है, कुछ पता नहीं है। अभी तक योजना फाइनल नहीं हुई है। यह भाषण में लिखा हुआ है। लेकिन 77–78 की योजना फाइनल हो चुकी है, पिछले राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहा जा चुका है कि 675 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना होगी। यह वार्षिक योजना तय हो गयी है। अब कौन सी योजना है जो नयी बनानी है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। 675 करोड़ रुपए की योजना प्लानिंग कमीशन ने मंजूर कर ली है। अब क्या घटाने का इरादा है ? बढ़ा कर दिखाएं तो जानें। हमारी सरकार ने 675 करोड़ की योजना प्लानिंग कमीशन से मंजूर करा ली थी, उसको अब बढ़ाकर दिखाएं तो हम सब आप को बधाई दें।

यह कहते हैं कि फाइनल नहीं है। खेती के लिए यह आंकड़े हैं। पिछले वर्ष में खेती के लिए लगातार प्रतिशत बढ़ता रहा है। पहली योजना में 62 प्रतिशत है। खेती जब यह कहते हैं, तो सिंचाई को भूल जाते हैं। सिंचाई और बिजली जो खेती के लिए है, उसको जोड़ना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में पानी पीने की योजनाएं हैं, उनको जोड़ना पड़ता है। दूसरी योजना में 65 प्रतिशत खर्च खेती पर हुआ, जब मुख्य मन्त्री गुप्ता जी थे और चौधरी चरण सिंह, गृह मन्त्री, राजस्व मन्त्री थे। तीसरी योजना में 68 प्रतिशत जब मुख्य मन्त्री, श्रीमती कृपलानी जी थीं। अध्यक्ष जी भी मन्त्रि परिषद् में उस समय थे। आप लोगों की समझ में तो 30 सालों में कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि 30 साल में बहुत कुछ हुआ है। चौथी योजना में जिसमें हम लोग थे और गुप्ता जी मुख्य मन्त्री थे तो 73.95 प्रतिशत खर्च खेती पर हुआ। इसके अलावा 5 प्रतिशत व्यय पानी गांवों में देने के लिए हुआ। पांचवीं योजना जो है और इस साल की जो है, उसमें पेयजल योजना तथा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

खेती, सिंचाई और बिजली को मिलाकर 72 प्रतिशत खर्चा है । बाकी जो बचता है 28 प्रतिशत उसमें शिक्षा, स कें और उद्योग आदि आते हैं। तो मान्यवर, मैं भी जानना चाहूंगा कि किस योजना को काट कर लेना चाहते हैं ? पहले खेती में कुछ नहीं हुआ और अब खेती में जा रहे हैं। तो आप बताएं कि कौन से आइटम को अब काटेंगे और खेती का प्रतिशत बढ़ायेंगे ? 'जागरण' में है कि मुख्य मन्त्री जी ने एक नया विभाग ग्रामीण उद्योग विभाग खोला है। लेकिन उसका काम क्या होगा, यह पता नहीं।

अब आप देखें कि विभागों का बंटवारा कैसे हुआ ? ग्रामीण उद्योग विभाग उद्योग मन्त्री के पास रहना चाहिए था लघु, भारी और मध्यम उद्योग उद्योग मन्त्री के पास हैं लेकिन ग्रामीण उद्योग सहकारिता मन्त्री जी के पास हैं और पंचायत मन्त्री के पास नहीं है। यदि अलग कर दिया था तो पंचायत मन्त्री जी के पास होना चाहिए था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

विभागों का वितरण करना मुख्य मन्त्री जी के पास है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, अब एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को ले लीजिए तो वह कृषि मन्त्री जी के पास है, पंचायत विभाग पंचायत मन्त्री जी के पास और लघु उद्योग उद्योग मन्त्री के पास लेकिन ग्रामीण उद्योग सहकारिता मन्त्री जी के पास हैं। इसलिए अलग बनाने से क्या लाभ होगा ? बुनियादी चीजों पर विचार नहीं किया गया। इसी प्रकार वित्त विभाग को तोड़ दिया गया है। वित्त विभाग को तोड़ने से क्या फायदा होगा ? इसके दो मन्त्री हैं। एक तो माननीय दिघे जी हैं जो साधन वगैरह देख रहे हैं और दूसरे मन्त्री संस्थागत वित्त के हैं। दिघे साहब को जो विषय दिए गए हैं वे रिसोर्सेज हैं। सेल्स टैक्स और एक्साइज के अलावा और कौन से रिसोर्सिज हो सकते हैं ? इसलिए वित्त विभाग को दो विभागों में तोड़ना कोई प्रशासनिक बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है। अब श्रीमन्, देखें कि ग्रामीण और लघु उद्योग कहां आते हैं। चतुर्थ योजना में 4.18 खर्च हुआ। तीसरी योजना में 3.94 था और अब 4.18। अब तो हमने रखा था वह लगभग 7 प्रतिशत आता है। इसमें लघु और भारी दोनों थे। हां, इसमें चीनी मिलें भी जरूर थीं। यहां अगर माननीय मन्त्री जी बैठी हों तो जानती होंगी कि चीनी मिलों की कितनी मांग है। चीनी मिलों को भारी उद्योग मानना गलत होगा। चीनी की सहकारी मिलें लगेंगी, किसान उसका मालिक होगा। इससे वहां का विकास होगा इसलिए चीनी मिलें लगाई जा रही थीं। चीनी मिलों का विरोध करें, तो यह अच्छा नहीं। मुजफ्फरनगर में मौराना में मांग है, बरेली में मांग है, मुरादाबाद में गजरौला में लग रही है और और जगहों पर भी मांग है। चीनी मिलों से इंफ्रा स्ट्रक्चर बनाना है। श्रीमन्, आप जिस जिले से आते हैं, वहां छाता के पिछड़े क्षेत्र में चीनी मिल बन रही है। अब यह कहा जाय कि भारी उद्योग है, तो कौन से भारी उद्योग लगें ? मथुरा में रिफाइनरी है, लगनी चाहिए। लेकिन अब भारी उद्योगों को कोसा जा रहा है। जरूरत इस बात की थी कि उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग लें। अब तक उसके लिए वातावरण बना तो यह कह कर कि भारी उद्योग नहीं लगने चाहिए, हमें उस वातावरण को नहीं बिगाड़ना है। फूलपुर में फर्टीलाइजर फैक्टरी लग रही है तो क्या उसकी आवश्यकता नहीं है। मथुरा या अन्य किसी जगह पश्चिम में भी खाद का कारखाना लगना चाहिए। लेकिन शासन ने तो एक मन्त्र पढ़ लिया है कि भारी उद्योगों के खिलाफ हैं। लेकिन यह मन्त्र पढ़ना काफी नहीं है। व्यावहारिक होना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रदेश के हित में क्या आवश्यक है। हर भारी उद्योग आवश्यक नहीं लेकिन कौन सा भारी उद्योग आवश्यक है, यह देखना जरूरी है। अब चुनाव का समय भी नहीं । अब मन्त्रोच्चारण न करके आप हमें अपने कार्यक्रम बताएं। यह ठीक है कि 52 प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व विरोधी दल करता है।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

46 आदमी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

46 आदमी नहीं . . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेता विरोधी दल कृपया अपना भाषण जारी रखें। माननीय सदस्य टोका टोकी न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

52 प्रतिशत मतदाताओं की ओर से हम नहीं, पूरे प्रदेश की ओर से मांग करता हूं कि मन्त्र पढ़ने या फारमूला दोहराने के बताए, यह बतलाएं कि ग्रामीण उद्योग कौन से लगने वाले हैं। मैंने इसको जानने की बहुत कोशिश की कि क्या लगने वाले हैं। मुझे मुख्य मन्त्री जी का एक ब्राडकास्ट मिला जो उन्होंने आल इंडिया रेडियो से घोषित किया और सूचना विभाग द्वारा प्रसारित है मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि सरकार हरिजनों को उनके द्वारा गांवों में लघु स्तरीय कुटीर उद्योग खोलने के लिए और रोजगार के अधिकाधिक अवसर सुलभ कराने के लिए सिलाई की मशीनें तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा रही हैं। ये सिलाई की मशीनें जो हैं, लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है कि ग्राम उद्योग हैं, कौन सी उद्योग है सिलाई की मशीनें। अगर यही प्रोग्राम है कि सिलाई की मशीनें भेजी जा रही है जैसे कि आज तक सिलाई की मशीनें न बांटी गयी हों और यदि ग्रामीण उद्योग विभाग का मुख्य काम यही हो तो बलिहारी है इस सरकार की।

तो ठीक यह हो सकता है कि ग्रामीण उद्योग सिलाई की मशीनें बांटे, उनके पुर्जे बांटे और यह उद्योग धन्धा भी लगाए लेकिन आज यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न गहराई में जाने का है कि हमारी प्रदेश की इण्डस्ट्रियल पालिसी क्या होनी चाहिए। यह आज हमारी देखने की चीज है।

दूसरी बात जो इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है वह यह है कि कीमतें कितनी बढ़ रही हैं और कीमतें क्यों बढ़ रही हैं क्योंकि कीमतें बढ़ाने वालों का डर खत्म हो गया है और जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री चन्द्र शेखर जी को कहना पड़ा क्योंकि मन्त्री तो कहते नहीं हैं। अध्यक्ष को कहना पड़ा, समाजवादी विचार के हैं कि सरकार इस महीने के आखिर तक नहीं करेगी तो जरूर कदम उठाने पड़ेंगे। अब आप देखें श्रीमन्, शासन नहीं बोल रहा है, शासन चुप है, चेयरमैन को रक्षा करने के लिए कहना पड़ा। यह आज तक कभी नहीं हुआ कि पार्टी का अध्यक्ष . . . .

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बिना मेरी आज्ञा के बोलने का प्रयास न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पार्टी के प्रेसीडेण्ट को आज कहना पड़ा कि कीमतें बढ़ रही हैं। वह अप्रत्यक्ष रूप से शासन को सही रास्ते में लाने की कोशिश कर रहे हैं।

(श्री हरी सिंह के कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरी सिंह जी आप बैठें। सदन की कार्यवाही शान्तिपूर्वक चलने दें। आप नेता विरोधी दल के भाषण को अच्छी तरह सुनें। शान्ति बनाए रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन् आज के समाचार पत्र में हमारे प्रदेश और दूसरे सारे प्रदेशों में कितनी बेतहाशा कीमतें बढ़ रही हैं, उसका सर्वे दिया है। सब अखबारों में आज पहला पृष्ठ छपा है, समाचार एजेन्सी द्वारा जो हमारी नहीं है, आपकी है। श्रीमन्, बहुत बात की गयी। वह स्वतंत्र नहीं है, परतन्त्र है। आज हमारे मित्र कह रहे थे कि आकाशवाणी बहुत स्वतन्त्र हो गई है। आकाशवाणी स्वतन्त्र कहां है? विरोधी दल को तो कभी-कभी इलेक्शन के दौरान बोलने का मौका मिलता है। तब से मौका नहीं मिला। तो आकाशवाणी की आल इंडिया रेडियो की आलोचना की जाती थी कि आल इन्डिया रेडियो है लेकिन आज कोई भी आकाशवाणी सुनने वाला होगा तो उन्हें लगेगा कि आल इंडिया रेडियो ऐंटी इन्दिरा रेडियो, ऐन्टी कांग्रेस रेडियो के अलावा कुछ नहीं है।

एक सदस्य—

देश की जनता ऐंटी इन्दिरा है।

श्री अधिष्ठाता—

सुनिए। आप बैठें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं निवेदन कर रहा था कि श्रीमन्, ... मैं विद्वान सदस्य से आग्रह करूंगा। मैं तो पार्लियामेंट्री पद्धति का एक सेवक हूं। श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विनम्रता-पूर्वक मेरा निवेदन यह है कि मैं कोई व्यक्तिगत आरोप किसी प्रकार के करने का साहस नहीं कर सकता, खासतौर से ऐसे माननीय मित्रों पर, जिनसे भविष्य में मिल कर देश और प्रदेश के कल्याण काम हमें करना है। मैं तो केवल नीति व रीति की बातें कह रहा हूं। मैं यह कह रहा था कि कीमतें बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले महीनों में 20 फीसदी से ले कर 80 फीसदी तक कीमतें बढ़ी हैं। कास्ट आफ लिविंग इण्डेक्स बढ़ा है। एच0 एम0 पटेल ने कल परसों लोक सभा में उत्तर दिया। इकोनामिक्स टाइम्स का सर्वे अलग है जो एक निष्पक्ष अखबार है। उसने कहा है कि कास्ट आफ लिविंग 298.83 से बढ़कर मई में 305.33 हो गया। मई, जून तथा जुलाई तीन महीने बाकी हैं। इस बीच में 20 फीसदी से ले कर 80 फीसदी तक दाम बढ़े हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

माननीय नेता विरोधी दल से जानना चाहूंगा कि पिछले वर्ष इन्हीं दिनों गेहूं, दालों की कीमतें ज्यादा थीं या कम?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कम।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

ज्यादा थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य काशी से आते हैं जो विद्वानों का नगर है। कास्ट आफ लिविंग इण्डेक्स क्या कहलाता है इसे वह जानते हैं। हम इसके लिए एक वस्तु की कीमत नहीं देखते, सारी आवश्यकता की वस्तुओं की कीमत का इण्डेक्स निकालते हैं। मैं तो इकोनामिक्स-का विद्यार्थी हूं, वह शायद विद्वान हों। कास्ट आफ लिविंग इण्डेक्स में इस तरह आप देखेंगे लगभग 6 फीसदी वृद्धि हुई है। प्रदेश की सरकार ने एक मन्त्री की तरह उत्तर दिया कि इसको रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। कितने मुनाफाखोर पकड़े गए हैं? कितने जखीरेबाज पकड़े गए हैं। "जागरण" अखबार जो कानपुर से निकलता है, उसमें कल निकला है कि सभी उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में वृद्धि। इस प्रकार आप देखेंगे कि हर उपभोक्ता वस्तु के दाम बढ़े हैं। आम जनता को जो इस सम्बन्ध में कठिनाई हो रही है

उस तरफ शासन का ध्यान जाना चाहिए। इसके लिए मेरा सुझाव है कि हर जिले में प्राइस विजिलेंस सेल बनाया गया था, शहरों में कन्ट्रोल रूम बनाया गया था जो कीमतों पर कन्ट्रोल रखते थे, क्या सरकार ने उनको कायम रखा है ? कोई नियमन किया है ? पहले दूकानों पर कीमतें प्रदर्शित की जाती थीं अब वह बन्द हो गया है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, अथवा मुख्य मन्त्री सम्मेलन होगा तभी कोई बात उसमे तय होगी ? उचित यही होगा कि इस बीच शासन दाम नीति को दृढ़ता से कायम रखे ताकि उपभोक्ता वस्तुओं के दाम प्रदेश में न बढ़ सकें।

साथ ही साथ हमारे यहां ला ऐंड आर्डर की क्या स्थिति है। अभी शुरू में प्रस्तावक महोदय तथा समर्थक महोदय ने यह कहा—यह कहा गया कि हमारे विरोधी दल के लोग चाहे कांग्रेस के हों, या कम्युनिस्ट हों या प्रगतिशील विधायक दल के हों राजनीति के लिए हरिजनों के अलगाव की बातें कह रहे हैं। श्रीमन्, हम क्या कह रहे हैं यह प्रश्न नहीं है। आज सारे देश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको देखने से मालूम होगा कि वे राजनीतिक दृष्टि से हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। चन्द लोग समाज में ऐसे हैं जो उच्छृंखल हो गए है, वह हरिजनों और निर्बल लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। यह कहना कि राजनीतिक दृष्टि से हो रहे हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी के ब्राडकास्ट को फिर पेश करना चाहता हूं। यह बात विरोधी दल नहीं कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि माननीय मुख्य मन्त्री ने स्वयं अपने ब्राडकास्ट में कहा है। यह 9 तारीख जुलाई के पायनियर में उनकी ब्राडकास्ट छपी है। इसमें कब्जे की बात कही है—एक लाइन मैं पढ़ देना चाहता हूं :—

'In most cases where possession had been given to the allottees the influential farmers, land owners had reoccupied such lands by forcibly ejecting the allottees.

इसकी हिन्दी हुआ, अधिकांश मामलों में, ज्यादातर मामलों में जहां पर कि कब्जा दिया गया था एलाटीज को वहां पर जिनसे जमीनें ली गयीं थीं, उन्होंने दुबारा कब्जा उन जमीनों पर कर लिया है और एलाटीज को बेदखल कर दिया है। तो महाराज यह अधिकांश के क्या माने हैं ? यह माननीय मुख्य मन्त्री जी की स्वीकारोक्ति है। यह आज सारे प्रदेश में हो रहा है। सारे प्रदेश में लगभग 18 लाख लोगों को कब्जा मिल चुका था।

(व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है—

in most cases .... land owners had reoccupied such lands by forcibly ejecting the allottees.

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)—

मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। (व्यवधान) व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप क्यों बीच-बीच में बोल रहे हैं, आप बैठें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, यह सदन की परम्परा के अनुकूल है कि जब भी कोई, माननीय सदस्य बोले तो कोई भी माननीय सदस्य खड़े होकर उनसे स्पष्टीकरण करा सकता है। यह इसी सदन की परम्परा रही है। चाहे मुख्य मन्त्री हों, चाहे नेता, विरोधी दल हों या कोई सदस्य भाषण दे रहे हों, वह खड़े हो कर पूछ सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

हमारी इसमें स्पष्ट व्यवस्था है यदि नेता, विरोधी दल या नेता, सदन जो कोई बोल रहे हों अगर अपने आप बैठ जायं तो माननीय सदस्य को टोका-टोकी का अधिकार है। अगर वह नहीं बैठते हैं तो आप नहीं टोक सकते हैं। माननीय नेता, विरोधी दल आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरे पास प्रदेश भर से प्रत्येक जिले से इन घटनाओं के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र आ रहे हैं जहां पर हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। मसजिदें तक नहीं बनाने दी जा रही हैं, जिनको इजाजत बनाने की थी . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप सुनें, टोका-टोकी न करें। नेता, विरोधी दल अभी बैठे नहीं हैं।

मेरे माध्यम से आप कोई सूचना चाहते हों तो पूछें। तिवारी जी बैठ जायं तो आप पूछ सकते हैं, वरना आप उनको केवल सुनें।

एक सदस्य—

मैं आपके माध्यम से एक सूचना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं अपने भाषण के बाद बैठ जाऊंगा, तब आप बोलने के लिए, मेरी बातों का जवाब देने के लिए स्वतन्त्र हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

नेता, विरोधी दल स्थान ग्रहण करें।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मैं आपके माध्यम से तिवारी जी से जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा कई जगह मस्जिदें गिरा दी गई हैं और माइनारिटीज पर अत्याचार किए गए हैं, तो क्या विरोधी दल के नेता बता सकते हैं कि जब से जनता पार्टी शासन में आई है तबसे कहीं भी इस प्रकार के माइनारिटीज पर अत्याचार हुए हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं इसकी सूचना को देने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं बता दूंगा, मेरे पास सब सूचनाएं मौजूद हैं। आज भी कुछ सूचनाएं आई हैं, नित्य तमाम सूचनाएं आती हैं। रोजाना निर्बल और अल्पसंख्यक वर्ग पर अत्याचार की खबरें साप्ताहिक और दैनिक पत्रों में छप रही हैं। मेरठ के ग्राम इस्लामाबाद, हिलौटा, लोहड़ा, झरनावती, रामराज, हदीपुर, सीराजपुर आदि में इस तरह के तमाम अत्याचार हुए हैं, पूरी लिस्ट है। जिला बांदा में और उन्नाव में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। लखनऊ के नरही में धानुक मैकू लाल वाली घटना आपको याद ही होगी। सीतापुर में विष्णुखेड़ा में तथा जौनपुर, सहारनपुर व बदायूं सभी जिलों में यह हुआ है। सारे प्रदेश से यह कहानियां आ रही हैं। यह बड़े दुःख की बात है। मैं यह नहीं कहता कि यह किसी पार्टी का विषय है, यह चिन्ता का विषय है।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह से खड़े होकर बोलने की मैं किसी को आज्ञा नहीं देता हूं। उनके भाषण देने के बाद आपको बोलने का अधिकार है। इस समय आप उनका भाषण ध्यान से सुनें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं कह रहा हूं कि क्या कारण है कि इस बीच में निर्बलों पर, हरिजनों पर अत्याचार बढ़ गए? क्या कारण है कि जिन्हें जमीन मिल गई है, उनकी जमीन छीन ली गई है। इसका कौन सा सामाजिक कारण है, यह आपको देखना है। केवल जिला अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा देने से इसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। वे किस-किस चीज के लिए जिम्मेदार होंगे?

एक सदस्य—

अल्पसंख्यकों पर इमरजेंसी में मुजफ्फरनगर में जो भयानक अत्याचार हुए थे, वह आपके समय में हुए थे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से और खासकर सत्ता पक्ष के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे शांति और धीरज से नेता विरोधी दल के भाषण को सुनें। यह परम्परा गलत है, आप टोका-टोकी बन्द करें। गम्भीरता से और शान्ति से सदन को चलने दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

दूसरा प्रश्न बिगड़ती हुई शान्ति व्यवस्था के सम्बन्ध में है। किस प्रकार से हमारे प्रदेश में क्राइम्स बढ़ रहे हैं? अभी जैसे ही अखबार उठाकर देखा, पाया संसद सदस्य श्री कैलाश प्रकाश के घर पर चोरी और डकैती। चाहे मेरठ हो या इलाहाबाद, चाहे कानपुर हो या लखनऊ, चारों ओर चोरी-डकैती और कत्ल लगातार बढ़ रहे हैं। और स्वयं इंस-पेक्टर जनरल पुलिस ने अखबारों को उत्तर देते हुए कहा है कि 50 फीसदी क्राइम बढ़ गया है पिछले महीनों। आज अखबार मौजूद हैं। उससे केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

पहले एफ0आई0आर0 के अन्दर नोट नहीं किया जाता था, अब नोट किया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

काश जो माननीय सदस्य ने कहा वह गवर्नमेंट की ओर से घोषित होता, तो बड़ा अच्छा होता। माननीय सदस्य ने घोषणा कर दी कि एफ0 आई0 आर0 में लिखा जाता है। अगर माननीय सदस्य गवर्नमेंट के सदस्य हो जायं तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

आपके कार्यकाल में एफ0आई0आर0 लिखी ही नहीं जाती थी। अब एफ0आई0 आर0 लिखी जा रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं वही कह रहा हूं। जो आप कह रहे हैं वह गवर्नमेंट नहीं कह रही है। गवर्नमेंट कहती तो मान लेता। गृह मन्त्री जी बैठे हैं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मन्त्री का वक्त आयेगा, तो कहेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

नेता, विरोधी दल हमारी तरफ मुखातिब होकर अपना भाषण जारी रखें। माननीय सदस्य से मैं कहूंगा कि बार-बार टोकना बन्द कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय सदस्य को बड़ी परेशानी हो रही होगी।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

हम लोग संयम से काम ले रहे हैं। लेकिन जिनके हाथ लाखों की हत्या में रंगे हुए हैं, वह सदाचार की बात कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

साधारण नियम को समझें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

उन्होंने सारे अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को मैं आदेश देता हूं कि आप बैठें। मैं फिर आपसे कहूंगा कि टोका-टोकी बन्द करें। माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुनें। उसके बाद माननीय सदस्यों को उत्तर देने का मौका मिलेगा। जम कर उसका उत्तर दें। आपको काफी समय मिलेगा। समय तो बरबाद न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

लाउड स्पीकर का इस प्रकार से मुंह है, मैं चाहता हूं कि यहां पर ऐसी व्यवस्था हो जाय, आपको ही केवल देख सकूं। लाउड स्पीकर का प्रबन्ध ऐसा कर दिया जाय, जिससे बाध्य हो कर ऐसे देखना पड़ता है। लाउड स्पीकर का ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय जिससे आपकी तरफ ही देख सकें।

श्री अधिष्ठाता—

यह सदन की पुरानी व्यवस्था है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हरदोई जिले में हर तीन घंटे में एक अपराध—14 जुलाई का "आज" है। "पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इस जिले में इस समय" मैं 'इस समय' पर जोर देता हूं। "लगभग प्रति तीन घंटे में कोई न कोई अपराध होता है। गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जून के अन्तिम पखवाड़े में अपराधों की संख्या में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है।" यह हरदोई जिला है। जो समाचार पत्रों में रिपोर्ट निकली है उसके अनुसार क्राइम बढ़ा है उसका औसत 50 फीसदी से ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। शान्ति व्यवस्था के प्रश्न पर पुलिस और पुलिस के अफसरों को डिमारलाइज करने से यह काम नहीं होने वाला है। आपको कोई निश्चित व्यवस्था करनी होगी। हमने सात जिलों में विशेष क्राइम अभियान चलाया था जिनमें ज्यादा क्राइम होते हैं। आज तरीका क्या है? जो काम कांग्रेस शासन ने किया है सब उलट डालो। यह नीति बन गयी है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह जो अभियान चलाया गया था आपातकाल के दौरान या उससे पूर्व?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आपातकाल में बहुत से कार्य थे जिनकी आपने नेता विरोधी दल होने के नाते आपत्ति नहीं की थी। उनमें से एक यह भी था।

(हंसी)

मेरा निवेदन यह था कि आप मुख्य मन्त्री जी से कहें, क्योंकि वे बिलकुल नए हैं और नए विचारों को लेकर यहां आए हैं तो वह दबाव में न आवें और गुणावगुण के आधार पर देखें कि कौन सा काम अच्छा था। आप ऐसे अफसरों से बहुत सावधान रहिए जो चाटु-कारिता करना चाहते हैं जो आपको प्रसन्न करने के लिए कहेंगे कि सर, ऐसा कर दिया जाये।

इसका नियन्त्रण बहुत आवश्यक है। अब श्रीमन्, एक बात यह कही गयी कि शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही साथ हम लोकपाल की नियुक्ति कर रहे हैं। यह कहा गया कि हम ऐक्ट को लागू कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐक्ट लागू होगा और लोकपाल अभी भी नियुक्त हुए नहीं। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अगर कोई शिकायत भेजना चाहे तो किसको भेजे ? मैं कहता हूं कि जोश में कह दिया कि ऐक्ट लागू कर दिया लेकिन अभी लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जा सकी।

एक सदस्य—

आप संजय गांधी को नियुक्त कर दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप संजय गांधी को लोकपाल बनाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है।

(हंसी)

मैं कहना चाहता हूं कि लोकपाल बनाए बिना ऐक्ट लागू हो गया। बड़े जोर से घोषणा की गयी कि हमने मुख्य मन्त्री को भी इसमें शामिल कर दिया है। 7 जुलाई का मेरे पास अखबार है जिसमें छपा है कि लोकपाल बिल केन्द्र में भी बनेगा और उसमें मुख्य मंत्रियों को शामिल किया जायेगा। यह घोषणा माननीय गृह मन्त्री, श्री चरण सिंह ने की है। उनका कहना है कि मुख्य मन्त्री को, केन्द्र द्वारा जब लोकपाल विधेयक बनाया जायेगा, उसमें शामिल किया जायेगा। यहां पर जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, 11 जुलाई को उसमें घोषणा हुई। दूसरे पेज के अन्त में है कि इसके अतिरिक्त मेरी सरकार का यह भी निश्चित मत है कि लोकपाल अथवा लोक आयुक्त की परिधि में मुख्य मन्त्री को भी होना चाहिए। श्रीमन्, अभी तक लोकपाल बनाया नहीं आपने। राज्यपाल के अभिभाषण में यह भी कहा गया कि लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के अतिरिक्त जनता को प्रति अन्याय की अन्य विशिष्ट शिकायतों पर भी स्वतन्त्र व निष्पक्ष रूप से विचार करके प्रभावी कार्यवाही कर सकेगी। यानी अब तक तो भ्रष्टाचार के लिए ही था, अब ग्रिवान्सेज को भी दूर करने के लिए कर दिया गया है। अगर ग्रिवान्सेज को वैन्टीलेट करना होगा तो भी उसे लोकपाल के पास जाना होगा, इसका अर्थ होगा कि ग्रिवान्सेज को दूर करने में देरी होगी। तो एक ओर तो उसका हैरेसमेंट होगा और दूसरी ओर जनता की जो-जो ग्रिवान्सेज होंगी, उनमें देरी होगी। जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी है, मंत्रि मण्डल की जिम्मेदारी है। विभाग के मन्त्री अगर शिकायतों को सुनकर ऐक्शन लें तो तुरन्त काम कर सकते हैं और कुछ मंत्रियों ने कुछ अधिकारियों को मुअत्तल वगैरह किया भी है लेकिन आप उनके अधिकारों को छीन कर लोकपाल को दे रहे हैं तो यह कोई बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता है।

इसी तरह से निगमों के बारे में यह कहा जा रहा है कि जो निगम है उनके कार्य-कलापों तथा कार्य-प्रणाली व उनकी आर्थिक व सामाजिक उपलब्धियों की सरकार जांच करेगी और इनको राजनैतिक उपहार का माध्यम नहीं बनने दिया जायगा। क्या घोषणा की गई है ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो मन्त्री होता है, वह तो बुद्धिमत होगा बाकी जो राजनीतिक कार्यकर्ता जो होंगे वे राजनैतिक उपहार के ही काबिल होंगे। हम तो गलती कर सकते हैं लेकिन जो बुद्धि, ज्ञान, अनुभव जनता पार्टी में है क्या वह सारा का सारा मंत्रि-मण्डल में आ गया है ? क्या हम कह सकते हैं कि जितना अनुभव, जितनी बुद्धि, सिनियोरिटी, जितना तजुर्बा जनता पार्टी के विधायकों में है क्या सब का प्रतिनिधित्व यह सरकार कर सकती है ? कोई भी नहीं कर सकता है और यह तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। इनमें से 2–4 लोगों को छोड़ कर बाकी तो नई स्लेट पर लिखने लायक है। तो अब आप देखें कि इसका क्या अर्थ है ? जो मंत्रि मण्डल में शामिल नहीं किया गया है, स्टेट मिनिस्टर नहीं बना है या डिप्टी मिनिस्टर नहीं बना है क्या वह किसी कारपोरेशन को डायरेक्टोरेट के लायक नहीं है ? क्या उसमें ब्योरोक्रेसी के लोग नहीं रह सकते ? हमने गलती की हो

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

लेकिन ये कह देंगे कि यह तो राजनैतिक उपहार है, ये बातें राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए उपहास की है। राजनीति में जो कार्य करता है अगर वह डायरेक्टर बना दिया गया या चेयरमैन बना दिया तजुर्बे के आधार पर या योग्यता के आधार पर तो क्या हुआ ? अगर माननीय दिनेश चन्द्र रस्तोगी बर्तन कारपोरेशन के अध्यक्ष हो जायं तो क्या बुराई है ? मैं जानता हूं कि जितना इन्हें मुरादाबाद के बर्तन उद्योग का ज्ञान है उतना सबको नहीं हो सकता है। मैं मुख्य मन्त्री बन सकता हूं लेकिन मुझे बर्तन उद्योग की जानकारी नहीं हो सकती है। अगर उनको बर्तन के कारपोरेशन में ले लिया जाय तो उनके अनुभव का उपयोग हो सकता है। एक तरफ तो यह कहना कि हम नौकरशाही की शक्ति का विकेन्द्रीयकरण करेंगे, हर एक जगह लोकशाही मजबूत करेंगे, जन समितियां बनायेंगे लेकिन अगर उन अधिकारी नहीं होंगे तो क्या होगा ? हर एक को राजनीतिक उपहार मान लेना मैं समझता हूं यह जल्दी में लिखा गया जो वाक्य है, यह हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि आप किसी को ओबलाइज कर ही नहीं सकेंगे। लेकिन यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। यह राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपमान है। आप पत्रकारों को नहीं बना सकते, इकोनामिस्ट्स को नहीं बना सकते, प्रोफेसरों को नहीं बना सकते। प्लानिंग कमीशन में लकड़वाला साहब हैं डिप्टी चेयरमैन। क्या यह उनके लिए उपहार है जो उनको दिया गया है डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बना करके ? जो बुद्धिजीवी हैं, इन्टेलेक्चुअल्स हैं, उन सब का हमें सहयोग लेना होगा और उनको शासन के यन्त्र में घटाना होगा, कारपोरेशन में लेना होगा। तो यह कहना कि इन निगमों को राजनीतिक उपहार का माध्यम नहीं बनने दिया जायगा, यह विवेकहीन घोषणा है जो किसी प्रकार से भी हमारे उद्देश्यों को सार्थक नहीं करती। इन निगमों के खिलाफ एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि हर निगम गलत बनाया गया है। काश यहां संस्थागत वित्त मन्त्री होते। हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। संस्थागत वित्त का जैसा वातावरण है ? आज बैंकों में कितना रुपया हमारे प्रदेश का जमा होता है ? महाराष्ट्र, गुजरात, तामिलनाडु, बंगाल ने कैसे तरक्की की ? उन्होंने बड़े-बड़े अपने यहां वित्तीय निगम बनाए हैं और उनसे अधिक से अधिक धनराशि अपनी खेती के लिए, उद्योग और लघु-उद्योग के लिए निगम बनवाकर उनके जरिए ऋण लिया है। क्योंकि सरकार को ऋण नहीं मिलता। तो पहले बुनियादी बात आपको सीखनी चाहिए। आप सीखे नहीं हैं, क्योंकि हमारे बहुत से साथी नए हैं। मुझे भी सीखना चाहिए। मैं थोड़ा-बहुत सीख चुका हूं और सीखने की कोशिश में हूं। आज हमें यह देखना है कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश में इनवेस्टमेंट बढ़े, विनियोजन बढ़े।

ट्यूबवेल कारपोरेशन की बात हमारे एक मित्र ने कही। मुझे इस बात की जानकारी है कि यह रिजर्व बैंक के कहने से, एग्रीकल्चर फाइनेंस कारपोरेशन के कहने से, प्रदेश और देश के इकोनामिस्ट्स के कहने से बना। कोशिश यह होनी चाहिए कि स्टेट बजट से जितना रुपया लगे उससे ज्यादा अलग से लगे। बैंक कारपोरेशन को ऋण दे सकते हैं। सरकार को नहीं। बहुत से ऐसे कारपोरेशन बम्बई और दूसरे प्रदेशों में बने हुए हैं जो सरकार को ऋण नहीं देते। सरकार केवल मार्केट ऋण के जरिए से अपना काम पूरा नहीं कर सकती है। उसके वित्तीय नियम हैं। इसलिए कारपोरेशन के जरिए से ही ऋण लिया जा सकता है। दूसरे प्रदेशों ने इस ओर बड़ी तरक्की की है। तो मैं आपके द्वारा आग्रह करूंगा कि इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता के हित में निगम विरोधी मत बनिए। अगर कोई अफसर नालायक है, कोई कर्मचारी अगर ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो उनको निकाल दीजिए, लेकिन इसलिए नाराज न हो जाइए कि सी0 बी0 गुप्ता ने या मिसेज कृपालानी ने टी0 एन0 सिंह ने या कमलापति ने बनाया है . . .

एक सदस्य—

या आपने बनाया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

या मुझे नाचीज ने बनवा दिया। लेकिन काम जरूर देखें। आज जो वातावरण बनाया जा रहा है कि कारपोरेशन बेकार है, यह हमारे प्रदेश के हित में नहीं है और इस वातावरण को आज बदलना होगा।

इसी प्रकार से जो हमारे कई निर्णय थे उनको लागू नहीं किया गया, उनको रोक दिया गया। श्रीमन्, मैंने अपने संशोधन में विस्तार से उन कदमों की चर्चा की है जो पिछली सरकार ने लिए थे। ये कब लिए थे, क्यों लिए थे, सत्य प्रकाश मालवीय जी, स्वायत्त शासन मन्त्री, सौभाग्य से यहां विद्यमान हैं। जब राज्यपाल का अभिभाषण पिछली सरकार की ओर से यहां प्रस्तुत हुआ था तो जैसे आज मैंने संशोधन पेश किए हैं, उन्होंने कुछ संशोधन पेश किए थे और उनके दल की ओर से संशोधन पेश हुए थे। हमने उनमें से कई संशोधनों को मान लिया था।

अगर हमने कभी भूल से ही सही कोई लोकतांत्रिक कार्य किया हो तो आप उसको तो कह दिया करें कि यह लोकतांत्रिक कार्य तुमने किया था। हमने विरोधी दल के सुझावों को मानते हुए कुछ कदम उठाए थे और उन कदमों का उस समय की जनता पार्टी ने स्वागत किया था। मेरे पास तत्कालीन नेता, विरोधी दल का भाषण रखा है जिसमें उन्होंने हमारे पुराने लगान का रेट कम करने पर, 15 रु0 हार्स पावर से 12 रुपए हार्स पावर करने पर, सिचाई का कमान्ड एरिया खत्म करने पर हमें बधाई दी थी। हमने चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत सरकार को फिर लिखने के लिए कहा था, उसका आपने स्वागत किया था। मैं जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने जो तत्कालीन विरोधी दल के संशोधन माने और हमने उनको लागू किया, वह क्यों रोके गए? गवर्नर शासन में दिल्ली से सलाहकार आए, उन्होंने रोका। आज सारी रबी की फसल का लगान पुरानी दरों पर देने के लिए किसानों को बाध्य किया जा रहा है। मैं तो आपकी इजाजत से एक डाक्युमेंट सदन के पटल पर रखने जा रहा हूं—"उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय"। इसमें तत्कालीन विरोधी दल के सुझावों की बात और दूसरे जो हमने फैसले लिए वह सब सूचना विभाग ने छाप दिए। इस पैम्फलेट की 5 हजार कापियां जिलों में जानी थीं, विधायकों और संसद सदस्यों को जानी थीं, मगर वह रोक दी गयी। मैं आपकी आज्ञा से यह डाक्युमेंट हाउस की टेबुल पर रख रहा हूं। (पैम्फलेट की प्रतियां सदन के पटल के लिए तथा माननीय मुख्य मन्त्री को दी गयीं)

नेता विरोधी दल द्वारा एक पुस्तिका सदन के पटल पर रखने के सबन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय अध्यक्ष से इस बात की अनुमति मांगी कि एक परिपत्र को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं। ऐसा प्राविधान हमारी विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में नहीं है और अगर है भी तो माननीय अध्यक्ष की अनुमति मिलने के बाद ही उनको उसे माननीय मुख्य मन्त्री के पास भेजना चाहिए था। मेरी व्यवस्था यह है . . . .

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी व्यवस्था दे सकते हैं? यह कन्टेम्ट आफ दि हाउस है। मैं इसकी नोटिस देता हूं और कल लिख कर दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी से कहता हूं कि आप जो व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं उसको दोबारा ठीक से उठाइए जिससे माननीय सदस्यगण समझ सकें और मैं भी समझ सकूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी परिपत्र को सदन के पटल पर रखना चाहते हैं तो अनुमति देने के पहले अध्यक्ष उसको देखते हैं और यदि उसे ठीक पाते हैं तो अनुमति देते हैं। तभी वह सदन के पटल पर रखा जा सकता है। प्रश्नगत विषय में माननीय नेता विरोधी दल ने एक परिपत्र को सदन के पटल पर रखने की चर्चा की और यह भी निवेदन किया कि मैं इसको माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेजता हूं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं इस पर अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखता हूं। निर्णय बाद को दूंगा और इस समय, यह जो पुस्तिका हमारे पास भेजी है, इसे आप (नेता विरोधी दल) वापस ले लें।

(व्यवधान)

(इस समय 2 बज कर 40 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री रियासत हुसैन—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

यह व्यवस्था पर व्यवस्था उठा रहे हैं।

*श्री रियासत हुसैन—

कोई भी माननीय सदस्य अगर कोई डाकूमेंट से कोई चीज पेश करता है तो वह माननीय अध्यक्ष के पास उसे भेज सकता है। यह अधिकार उसे है। यह इस सदन की परम्परा भी रही है। माननीय नेता विरोधी दल ने अभी अपने भाषण में एक पुस्तिका का जिक्र किया जो सरकार की तरफ से छपी थी और उसे माननीय अध्यक्ष के पास भेज दिया। अगर उसे वापस कर दिया जायेगा, या पेश नहीं करने दिया जायेगा तो भविष्य में कोई भी माननीय सदस्य यदि किसी डाकूमेंट को आपके पास भेजना चाहेगा तो नहीं भेज पायेगा। इस पर आपकी मैं व्यवस्था चाहता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

आपके आने के पूर्व पीठासीन अधिकारी अपनी व्यवस्था दे गए हैं।

(व्यवधान)

कई सदस्य—

व्यवस्था नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

अध्यक्ष महोदय, आपके आने के पूर्व माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न यह उठाया था कि माननीय सदस्य क्या कोई डाकूमेंट या कागजात अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन के पटल पर रख सकते हैं? उस पर माननीय अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था दी और उसे वापस करा दिया। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, कोई व्यवस्था नहीं दी। व्यवस्था रिजर्व रखी।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, वह किताब अधिष्ठाता महोदय ने वापस कर दी कि बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई डाकूमेंट टेबिल नहीं किया जा सकता। उसी पर माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उसी पर मैं कह रहा था कि व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया नहीं जा सकता। इसीलिए माननीय सदस्य के प्रश्न पर कोई विचार या व्यवस्था दी ही नहीं जा सकती।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, आपके पूर्व जो माननीय अधिष्ठाता पीठासीन थे, नेता विरोधी दल ने, एक पुस्तक जो सूचना विभाग से प्रकाशित थी, यह कहा कि इसको मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं और उसको माननीय सदन के पटल और माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास भेज रहे हैं। हमारी जो विधान सभा की नियम प्रक्रिया है, उसके अन्तर्गत निश्चित रूप से यह तय हो चुका है कि यदि कोई माननीय सदस्य चाहें शासक दल का हो, या विरोधी दल का हो, यदि किसी प्रपत्र को सदन के पटल पर रखना चाहेगा, तो इससे पूर्व वह अध्यक्ष को देगा और जब अध्यक्ष उसको देख लेंगे, समझ लेंगे कि ऐसा डाकूमेंट है जो सदन के पटल पर रखने लायक है, उसी हालत में सदन के पटल पर रखा जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप किस नियम का उल्लेख कर रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैंने अपने व्यवस्था के प्रश्न में ही माननीय अधिष्ठाता महोदय का इस ओर ध्यान दिलाया, जो विधान सभा नियम प्रक्रिया है उसके अन्तर्गत ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि कोई भी माननीय सदस्य बोलते हुए कोई डाकूमेंट सदन के पटल पर रखे। मैंने श्रीमन्, पहले ही स्पष्ट कर दिया था।

श्री श्यामवर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आपके पीठासीन होने से पहले अधिष्ठाता महोदय ने अपनी रूलिंग सुरक्षित कर दी थी। इसके माने यह हुए कि इस विषय में आपको अन्तिम विचार करना है। अब उस सम्बन्ध में कृपया हम लोगों के विचार सुन लें। यह जो पुस्तक सामने रखी है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई डाकूमेंट ऐसा नहीं है कि सदन के पटल पर रखा न जा सके, बल्कि यह सूचना विभाग का सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित तथा प्रेम प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित हुआ है। इस सम्बन्ध में नेता, विरोधी दल यह कह रहे थे कि यह छप कर किताब 5 हजार की रखी हुई है और वितरित नहीं हुई है। यह सहूलियत होगी अगर माननीय सदस्यों में वितरित कर दी जाय या सभा पटल पर रख दी जाती है, तो अपने आप सबको यह विषय मालूम हो जायगा। मैं यह समझता हूं कि इसके सम्बन्ध में आपकी आज्ञा होनी चाहिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, नियम 310 देख लें। इसी ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था कि बगैर अध्यक्ष की अनुमति के सदन के पटल पर नहीं रखा जाना चाहिए।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय सत्य प्रकाश मालवीय ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, वह व्यवस्था का प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि कोई भी डाकूमेंट अगर अपने भाषण के सन्दर्भ में, आपके पास भेजा जाता है तो वह टेबिल करना नहीं हुआ। 310 के माने तो यह हैं कि अगर कोई चीज सदन के अन्दर विवाद के लिए या चर्चा के लिए हम ले आना चाहते हैं तो उसको पूर्व ही आपके पास भेजा जाना चाहिए और आपके निर्णय के मुताबिक उस पर सदन के अन्दर चर्चा हो सकती है। 310 के माने यह नहीं हैं कि हम अगर भाषण में कोई चीज आपको रिफर करें और आपको दे दें तो वह विवाद का मुद्दा नहीं बनता। आपके पास तो इसलिए रिफर किया कि यह सरकारी पुस्तिका है। इसको अध्यक्ष जी वितरित करायें। इसलिए माननीय मालवीय जी ने जो प्रश्न उठाया वह 310 के अन्तर्गत नहीं आता। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष —

इस पर अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना निर्णय इस पर दे रहा हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था इस पर नहीं है।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए। आपके आने के पूर्व माननीय अधिष्ठाता ने अपनी व्यवस्था को सुरक्षित रख दिया और इसके साथ ही साथ यह भी कहा कि यह जो किताब है इसको माननीय नेता, विरोधी दल वापस ले लें। यह व्यवस्था वह दे चुके हैं और इस व्यवस्था को देने के उपरान्त या तो आप इस व्यवस्था को रद्द करें। उन्होंने व्यवस्था तो जरूर सुरक्षित रखी थी लेकिन कहा था कि माननीय नेता, विरोधी दल इस किताब को वापस ले लें। तो उसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूं। या तो उनकी व्यवस्था को आप रद्द करें तभी कोई सवाल दूसरा उठ सकता है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए। माननीय मालवीय जी ने स्पष्ट बात कही थी। ऊदल जी ने उसको एक दम ट्वीस्ट कर दिया। माननीय नेता, विरोधी दल ने बार-बार कहा है कि मैं इसको टेबिल करता हूं। 3 बार कहा है। इस पर मालवीय जी ने केवल यह सवाल उठाया कि क्या अध्यक्ष महोदय की बिना अनुमति के कोई डाकूमेंट रखा जा सकता है? मेरी इस सम्बन्ध में मान्यता है कि बिना आपकी इजाजत के कोई भी प्रपत्र सदन के पटल पर नहीं रखा जा सकता जो विवाद का विषय है। माननीय नेता, विरोधी दल ने टेबिल किया है इसलिए मैं माननीय मालवीय जी की बातों से सहमत हूं।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष—

इसमें ज्यादा विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं बड़ी नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं। आपकी व्यवस्था पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है बल्कि माननीय नेता, विरोधी दल ने 2 पत्रक दिए थे कि एक अधिष्ठाता महोदय के पास भिजवा दें और दूसरा माननीय मुख्य मन्त्री को दे दें। तो इस पर माननीय मालवीय जी ने प्रश्न उठाया था कि अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई भी डाकूमेंट पटल पर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन मेरी व्यवस्था का प्रश्न दूसरा है कि क्या आपकी इजाजत के बगैर, आपकी अनुमति के बगैर कोई भी माननीय सदस्य किसी भी माननीय सदस्य को कोई भी कागजात या डाकूमेंट दे सकते हैं ?

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली से पेज 83 पर नियम 310 का उल्लेख कर रहा हूं।

(सम्मिलित स्वर में—हो गया है)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, हो चुका है।

श्री कैलाश नाथ सिंह (जिला वाराणसी)—

आपके आने के पूर्व अधिष्ठाता महोदय ने इस प्रपत्र को लौटा दिया और दुबारा विचाराधीन करने को कहा। इसलिए इस सम्बन्ध में अब कोई विवाद का प्रश्न नहीं बनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, जो प्रश्न उपस्थित हुआ है वह एक औपचारिक प्रश्न है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सदन के पटल पर रखना—यह शब्द हमारी नियमावली में औपचारिक रूप से इस्तेमाल किया गया है। मेरा मतलब औपचारिक से टेक्निकल है। इस सदन के कार्य-वाही के सन्दर्भ में। इसलिए ऐसे स्थानों पर यह अवश्य हुआ करता है कि जो नियमावली में जो नियम दिया हो उसका पूरा-पूरा अक्षरशः पालन किया जाय। उसमें दिया हुआ है कि कोई भी प्रपत्र सदन के पटल पर नहीं रखा जायगा जब तक कि अध्यक्ष महोदय उसको पहले न देख लेंगे।

श्री अध्यक्ष—

310 नियम के अनुसार कोई भी डाकूमेंट बिना अध्यक्ष के अनुमति के नहीं रख सकते हैं। लेकिन पीठासीन अधिष्ठाता महोदय ने यह कहा कि मैं इसमें अपना निर्णय रिजर्व

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

रखता हूं। मैंने उसको देख लिया है और यह सूचना विभाग का प्रकाशन है जोकि सूचना जन-सम्पर्क उत्तर प्रदेश द्वारा 29 अप्रैल, 1977 को प्रकाशित किया गया है। जब कोई माननीय सदस्य भाषण में किसी डाकूमेंट का उद्धरण देते हैं तो उनको पूरा पढ़ना चाहिए और साथ ही यह मांग की जाय कि इसको पटल पर रखा जाय। तो वह पटल की सम्पत्ति हो जाती है। उन्होंने अपनी रूलिंग रिजर्व रखी थी और अब इस सम्बन्ध में अध्यक्ष की अनुमति से माननीय नेता, विरोधी दल इस पुस्तिका को जो सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित की गयी है वह सदन के पटल पर रख सकते हैं, लेकिन अनुमति लेकर।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें।)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैंने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया था . . . .

श्री अध्यक्ष—

उसका उत्तर दे चुका हूं। रूलिंग सुरक्षित थी। तो बिना इजाजत के नहीं रख सकते हैं। यदि इजाजत दिया है तो रखने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

कोई भी माननीय सदस्य क्या किसी डाकूमेंट या प्रपत्र को आपकी अनुमति के बिना सदन के किसी सदस्य को दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं। मैं इस पर रूलिंग दे चुका हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं आपका आभारी हूं कि काश मैंने अपने सारे तर्क प्रस्तुत कर चुका हूं . . .।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैंने संसदीय शिष्टाचार के सम्बन्ध में सवाल किया था और जानकारी दिया है कि एक किताब सूचना विभाग की माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय अधिष्ठाता महोदय को दिया था और जिसकी कापी मुख्य मन्त्री को दिया था। यदि आपको यह व्यवस्था है कि बिना अधिष्ठाता महोदय, बिना अध्यक्ष के इजाजत के कोई भी कागज किसी भी सदस्य को नहीं दे सकते हैं। तो मैं व्यवस्था चाहूंगा कि जो माननीय सदस्य ने किताब मुख्य मन्त्री जी को दिया है उसके सम्बन्ध में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी, जब तक कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं, सदस्य किसी भी मन्त्री जी को या मुख्य मन्त्री को पत्र भेज सकता है और कोई पुस्तिका भी दे सकता है। मेरी इजाजत बिना भी दे सकता है। मेरी व्यवस्था से पहले जो कागज यहां रखा गया वह सदन के पटल पर नहीं माना जा सकता। मुख्य मन्त्री को दिया बहैसियत मुख्य मन्त्री के, सदन में नहीं रखा, न वह सदन की सम्पत्ति मेरी रूलिंग से पहले मानी जायगी। लोग रोजाना मुख्य मन्त्री को प्रतिवेदन भेजते हैं, पत्र भेजते हैं, पुस्तिका भेजते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। इसी तरह से यदि नेता विरोधी दल ने कोई कागज भेजा तो मुख्य मन्त्री के रूप में भेजा। अब उन्होंने इजाजत ले ली है इसलिए मैं इस पुस्तिका को सदन के पटल पर रखने की अनुमति देता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मैं आभारी हूं कि आपने कृपा कर इस निर्दोष प्रकाशन को रखने की अनुमति दी जिसको मैं समझता कोई आपत्ति की बात नहीं थी और जिसका स्वागत होना चाहिए था। इसमें जो निर्णय लिए वे आपकी आज्ञा से लिए, तत्कालीन विरोधी दल के लोगों की राय से लिए। मेरी राय यह थी कि यह सूचना विभाग का प्रकाशन है। इसमें जो निर्णय लिए गए वह सदन में लिए गए। उनकी इसमें सूचना थी जिसे रोक दिया गया। आज भी जो इस सदन की सर्वसम्मति से फैसले हुए उन पर अमल रुका हुआ है। आज भी लगान पुराने दरों पर लिया जा रहा है जबकि आर्डिनेंस तैयार है। 15 से 12 रुपए घटा कर हार्स पावर का किया गया था, वह भी आदेश रुके हुए हैं। जो कमाण्ड एरिया टैक्स था, जिसको घटाने की मांग हुई और घटाया गया उसके बारे में क्या आदेश हुए ?

पिछड़े वर्ग की बहुत बात कही जाती है। क्या इतना ही काफी है कि उनका कोई मन्त्री हो जाय तो वह खुश हो जायं ? 15 फीसदी बैकवर्ड क्लासेज के लिए सुरक्षित किया गया सीट्स में। अगर उस समय आदेश हो जाते तो न जाने कितने लोगों को जगह मिल जाती। लेकिन 15 प्रतिशत रिजर्वेशन के आदेश रोक दिए गए और अभी तक रुके हुए हैं। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों के लिए व्हिटले कौंसिल बनाने का निर्णय हुआ था जिले में और यहां ज्वाइंट कन्सल्टेशन कमेटी बनाई जायगी, वह भी रोक दिया गया। पहाड़ों में लोग जाना पसन्द नहीं करते थे। कौन दूर हिमालय की गोद में जाना पसन्द करे। लेकिन उत्तराखण्ड में, बार्डर में हिल एलाउन्स मिल जाय तो लोग जायेंगे। कैबिनेट कमेटी की कई मीटिंग्स के बाद यह निर्णय हुआ कि हिल एलाउन्स दिया जाय लेकिन वह भी रोक दिया गया। प्रावीडेंट फण्ड में शिकायतें होती थीं। यह निर्णय था कि सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों के लिए पास-बुक बनाई जायगी लेकिन वह भी रोक दिया गया। जो टीचर्स थे डिग्री कालेजेज के उनके लिए यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के ग्रेड्स की बात थी लेकिन वह भी रोक दिया गया, इस प्रकार से यह था कि पेंशन दी जायगी, वह भी रोक दिया गया।

इसी तरह से बिक्री-कर, जिसकी बहुत बात करते हैं, एक्साइज में बदल सकें तो बहुत बड़ा कदम होगा। अब देखेंगे कि यह उसमें क्या करते हैं इतना बड़ा वायदा है हमने कहा था कि पच्चीस हजार रुपए जो हैं मिनिमम कर सेल्स टैक्स का उसे ऊपर बढ़ायेंगे तीस हजार, पचास हजार तक। इसे सिद्धान्त रूप में मन्जूर किया था। वह भी रोक दिया गया।

इसी तरह उर्दू के बारे में यह था कि जहां कहीं बीस फीसदी उर्दू जानने वाले हैं वहां सेकेण्ड लैंग्वेज का उसे स्टेटस दिया जाय। कमेटी भी अफसरों की नियुक्त की गयी थी। वह भी रोक दिया गया। तमाम बातें जो पिछली सरकार द्वारा की गयी थीं, रोक दी गई। यह भी था कि व्यापारियों के खाद्यान्न पर अन्तिम सूत्र पर कर लगाया जाय। उसका भी उल्लेख नहीं है। जो बातें सर्व सम्मति से थीं उनको रोक दिया गया। आज भी रुकी हुई हैं जबकि माननीय मुख्य मन्त्री जी से और सब लोगों ने, इस सम्बन्ध में जो और लोग थे, उन्होंने निवेदन किया था कि कोई कारण नहीं है कि सर्व सम्मति से लिए गए जो निर्णय हैं उन्हें रोका न जाय। हमने ग्रामीण विकास कर अनइकानामिक होल्डिंग में माफ

[श्री नारायण दत्त तिवारी--]

कर दिया था; अलाभकर जोत पर लगान माफ कर दिया था। लेकिन यह भी रोक दिया गया। तो जो सर्वसम्मति से बातें तय हो गयी हैं उनको भी रोका जाय और इस पैम्फलेट को जो सरकार ने प्रकाशित किया है पढ़ने में भी कटाई की जाय किसी प्रकार उचित नहीं है।

मेरी यह मांग होगी कि राज्यपाल के अभिभाषण का उत्तर देते समय यह सरकार यह घोषणा करें कि जो कोई भी पिछले सदन में सर्व सम्मति से विरोधी दल ने और शासन दल ने निर्णय लिए वे अविलम्ब लागू होंगे। यह घोषणा मुख्य मन्त्री को करनी चाहिए। इस में कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए और मैं यह समझूंगा कि प्रदेश में एक अच्छा वातावरण बनेगा और मैं समझता हूं कि उससे किसी का नुकसान होने वाला नहीं है। जनता इससे लाभान्वित ही होगी।

श्रीमन्, मैं काफी समय नहीं लेना चाहता। दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। छात्रों और युवकों के बारे में उल्लेख किया जाता है, करना चाहिए। छात्र शक्ति और युवा शक्ति का बड़ा, उल्लेख होता है। होना चाहिए। अभी-अभी जो ब्राडकास्ट मुख्य मन्त्री जी ने किया उसमें छात्रों से कहते हैं कि वे चुनाव जीतने के जिम्मेदार हैं। छात्रों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। अपने भाषण में उन्होंने छात्रों को बधाई दी। अब चुनाव में वोट मिलने के बाद जिसकी आशा की जाती थी छात्रों के लिए, एक शब्द भी अभिभाषण में नहीं लिखा गया। छात्रों के लिए यूनियन बनेगी या नहीं बनेगी, यूनिवर्सिटीज में, कालेजों में, छात्र कल्याण के लिए क्या होगा, लोक शक्ति के लिए क्या होगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। किस प्रकार छात्र और नौजवान शक्ति का समाज के नव-निर्माण के लिये प्रयोग होगा जैसा कि जयप्रकाश नारायन जी ने कहा था कि समग्र क्रान्ति के लिए समाज की कुरीतियों से लड़ना होगा। उन्होंने कई और बातें भी कही थीं लेकिन उनकी समग्र क्रान्ति, समाजवाद की ध्वनि इस अभिभाषण में नहीं निकली यह अत्यन्त खेद का विषय है।

आज पिछड़े वर्ग के लिए केवल राजनीति का एक नारा लगाया जाय। पिछड़े वर्ग के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। यह अत्यन्त खेद का विषय है। मजदूरों के लिए क्या होने जा रहा है, इंडस्ट्रियल कोड की बात का कोई उल्लेख नहीं है। मजदूर साझेदारी कारखानों में वर्कर्स पार्टीसिपेशन मैनेजमेंट के आधार पर प्रबन्ध हो गया था प्रदेश के 102 कारखानों में, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। वर्कर्स पार्टीसिपेशन की रूप-रेखा क्या होगी, इसका उल्लेख नहीं है। पब्लिक सेक्टर को कमजोर करने की बात हो रही है। दो-तीन दिन पहले समाचार-पत्रों में उद्योग मन्त्री ने कहा है कि पब्लिक सेक्टर में अब काम नहीं करेंगे। पब्लिक सेक्टर के बारे में श्री जय प्रकाश नारायन जी ने अपनी डायरी में लिखा हुआ है कि सार्वजनिक सेक्टर को मजबूत करना होगा। लेकिन आज इस प्रदेश में कहा जा रहा है कि हम पब्लिक सेक्टर को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करेंगे। पब्लिक सेक्टर के विरोध में आप काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में बड़े उद्योग लगायेंगे नहीं और कोआपरेटिव सेक्टर के बारे में कोई स्पष्ट बात कही नहीं गयी, तब प्रदेश की उन्नति होगी कैसे? कोआपरेटिव सेक्टर के लिए पूंजी आएगी कहां से? प्रदेश के कई जिलों में इसलिए उद्योग नहीं लग सके क्योंकि कोआपरेटिव सेक्टर के लिए शेयर कैपिटल नहीं है और वह तभी कायम हो सकते थे जब शेयर कैपिटल होती। एक सहकारी चीनी

मिल खोलने के लिए 80 लाख रुपए की शेयर कैपिटल चाहिए । बिना उसके साढ़े 8 करोड़ रुपया कोई बैंक देने को तैयार नहीं है । कोआपरेटिव सेक्टर को आपको अपनाना होगा पब्लिक सेक्टर भी रखना होगा तभी समाजवाद की स्थापना हो सकती है । अन्त्योदय वाली सरकार यह नहीं हो सकती । महात्मा गांधी ने रस्किन साहब से प्रभावित हो कर उनकी पुस्तिका "अनटु दि लास्ट" का हवाला दिया था और अन्त्योदय का जिक्र किया था जिस का मतलब है कि जो सबसे बड़ा गरीब है शासन को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए । तो यह पब्लिक सेक्टर विरोधी जो नीति है यह अन्त्योदय की नीति नहीं है, पूंजीवादी नीति है ।

यह गांधीवादी नीति नहीं है । यह वह गांधीवादी है जिसमें आपकी मोहर लगी हुई है । (व्यवधान)

आप देखें कि एक बड़ा उत्तरदायित्व इस सरकार के कन्धों पर आ पड़ा है । प्रदेश की जनता ने किसी भी कारण इतना बड़ा विश्वास आपको दिया है । अगर इस विश्वास को आप खोते हैं तो आप प्रजातन्त्र की जड़ों को कमजोर करेंगे । मेरे पास यह जागरण अखबार 15 जुलाई, 1977 की कापी है जिसमें प्रदेशीय सर्वोदय सम्मेलन में किए गए सम्बोधनों का जिक्र है जिनसे आपको ज्ञात हो सकेगा कि यह सरकार कितनी जल्दी सर्वोदय के लोगों का विश्वास खोती जा रही है ।

एक सदस्य--

पहले छपने की स्वतंत्रता नहीं थी । आज छपने की स्वतंत्रता है तभी छप गया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह छापने की स्वतंत्रता है तभी छपा हुआ है । आप इसे सुन कर दंग रह जायेंगे जो इसमें छपा हुआ है "मंहगाई, भ्रष्टाचार तथा गरीबी" हटाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, सम्पूर्ण क्रान्ति जिसके कार्यान्वियन के लिए सर्वोदय कार्यकर्ताओं का लक्ष्य जनता पार्टी को केवल समर्थन देना है, उसमें शामिल होना नहीं । यह इसलिए कि लोक शक्ति एवं राज्य शक्ति में संघर्ष अनिवार्य है । यहां लोक शक्ति का प्रतीक सर्वोदय है और राज्य शक्ति का प्रतीक जनता पार्टी है । सम्मेलन की अध्यक्षता महावीर भाई कर रहे थे । मैं इसे टेबिल करने नहीं जा रहा हूं ।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

आप तो महावीर भाई को देश द्रोही मानते थे ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें कोई विरोधाभास नहीं है ।

आप समाप्त कीजिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उस सम्मेलन में जो प्रस्ताव हुआ श्रीमन्, उसमें कहा गया है कि 'आगे टिकट जनता पार्टी को नहीं दिया जायगा, उसमें लिखा है कि अब जनता पार्टी जनता का पर्यायवाची नहीं रह गई है । इसलिए सर्वोदय के लक्ष्य के अनुसार सत्ता को जनता तक पहुंचाने के लिए लोक सभा और विधान सभाओं में उम्मीदवारों के चयन का काम लोक समिति या जन-समितियां किया करेंगी ।' . . . . (व्यवधान)

मैं नम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि हम रचनात्मक सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा

[श्री नारायण दत्त तिवारी—]

वर्तमान शासक दल लोकतांत्रिक भावनाओं के आधार पर सहयोग मांगे। लेकिन एक तरफ यहां प्रतिशोधात्मक कार्यवाही हो रही है, लाखों कार्यकर्ताओं पर,लाखों लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोक हित में लिए गए निर्णय हैं, उनको रोक दिया गया है। तो मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा आप अपनी नीतियों को स्पष्ट करें, उनका पुनरीक्षण करें। 10 करोड़ जनता की जो आशा और आकाक्षाएं हैं तभी पूरी हो सकती हैं। जब आप ईमानदारी से अपनी नीतियों का पालन करें, तभी उनको मूर्त-रूप दिया जा सकता है। मुझे विश्वास है यह प्रारम्भ है लेकिन प्रारम्भ में ही अगर इस प्रकार की नीति और भ्रष्ट कार्यवाही होने लगी तो इसे प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि इस प्रारम्भ की बेला में यह शासन जो मैंने चेतावनी दी है उन्हें स्वीकारे इनमें कोई कलुषता नहीं है, कोई द्वेश की भावना नहीं है। प्रजातन्त्र को परिपुष्ट करने के लिए, इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता की भलाई के लिए, उसकी सेवा के लिए हम विधान सभा में समवेत हुए हैं और हम चाहते हैं कि मिल कर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपने दायित्व को पूरा करें। इसी भावना से यह संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे आशा है माननीय मुख्य मन्त्री और शासक दल इन प्रस्तावों का समर्थन करेंगे और यह शासक दल इतना उदार होगा कि इन्हें स्वीकार करेगा। यह बात एक लोकतांत्रिक होगी और एक नया उदाहरण पेश करेगा कि विरोधी दल के सभी संशोधन हमने स्वीकार कर लिए हैं। एक नया उदाहरण यह देश के सामने पेश करेगा।

(शेष संशोधनों के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 196–208 पर)

*श्री राज नाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह उचित ही कहा है कि 'विधान मण्डल का यह सत्र देश की द्वितीय क्रान्ति की ऐतिहासिक परिणति है।' मैं समझता हूं कि यह बात स्वागत योग्य है। हमारे माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने इस पर किंचित सन्तोष व्यक्त किया है उन्होंने कहा है सम्भवत: यह कोई कारण नहीं है। मैं जानता हूं कि जिस समय देश में 15 अगस्त, 1947 को आजादी प्राप्त हुई उस समय इस देश के नागरिकों के सामने उनके स्वप्नों का भारत कैसा रहा होगा, इसकी हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं। 30 वर्ष तक कांग्रेस शासन करती रही और जनता की आकांक्षाओं को वह पूरी नहीं कर सकी और आज कुछ ही वर्षों में जो देश की निवृतमान प्रधान मन्त्री हैं उन्होंने इस देश में आपातस्थिति की घोषणा कर दी और व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया। उस समय इस देश की जनता जो ईश्वर में विश्वास करने वाली है उसने यह प्रतिज्ञा की कि हम इस हुकूमत को, इस शासन को बदलेंगे। जनता ने एक निर्णय लिया और फलस्वरूप उसने अपने शासकों को बदला और उसकी व्यवस्था को बदला। तो 30 वर्षों की यह दूसरी क्रान्ति हुई है।

आपात्काल के दौरान जिस प्रकार के अत्याचार हिन्दुस्तान के नागरिकों पर ढाए गए हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। महोदय,मैं आपके माध्यम से अपने यहां की एक घटना का जिक्र कर देना चाहता हूं। मिर्जापुर जनपद में एक 16 वर्षीय बालक को जिस समय गिरफ्तार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करके थाने में ले जाया गया और वहां पर उसे जोरों से पीटा जा रहा था। थाने के बाहर खड़े उसके मां-बाप अपने लड़के की दर्दनाक चीत्कार सुन रहे थे। इसके बाद जिस समय उस लड़के को वहां से जेल ले जाया जा रहा था, उसकी मां की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, फिर भी उसने अपने लड़के को यही आशीर्वाद दिया कि तानाशाही के विरुद्ध लड़ते-लड़ते भले ही तुम बलिदान हो जाना, किन्तु जालिमों के आगे घुटने न टेकना। उसके पिता ने भी अपने लड़के के लिए यही कहा कि तुम देश के लोकतन्त्र की रक्षा के लिए बलिदान हो जाओगे तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। इस तरह से देश के जिन अनेकानेक नागरिकों ने अपने लड़के-लड़कियों को जो शहीद किया है, उसका ही आज यह परिणाम है कि हम सब इस हाउस में बैठकर यहां पर अपने विचार रख रहे हैं। अब जब कभी किसी पर किसी प्रकार का अत्याचार या ज्यादती होती है, तो वह उसके खिलाफ यहां सदन में या इसके बाहर अपने विचार निडरता पूर्वक प्रकट कर सकते हैं।

इस समय हिन्दुस्तान का हर नागरिक स्वतंत्र है। न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। आपात्काल में उस पर भी कुठाराघात हुआ है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। जो प्रायः गांवों में पंचायत हुआ करती थी, उसके 5,6 पंच यदि कोई निर्णय किसी विषय पर ले लिया करते थे, तो उसके सामने सिर झुकाकर प्रतिद्वन्दी लोग भी उसे सहर्ष मान लेते थे, वे उसे ईश्वर का आदेश मानते थे। लेकिन इसके विरुद्ध प्रयाग उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधान मन्त्री के विरुद्ध जो अपना निर्णय दिया, उसकी उन्होंने घोर अवहेलना की, यह बात किसी से छिपी नहीं है। चाहिए तो यह था कि वह उसका पालन करके, उसे परमेश्वर का आदेश मानकर, उसका पालन अनुशीलन करके तुरन्त प्रधान मन्त्री पद से अपना त्याग-पत्र दे देतीं; लेकिन उन्होंने अपने कारनामों से उच्च न्यायालय की गौरव गरिमा को ठेस पहुंचाई और उसका अपमान किया। इतना ही नहीं उच्चतम न्यायालय तक के निर्णय को ठोकर मारी है। लेकिन अब जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में और तमाम प्रान्तों में बन गई है, अब अत्याचार और अन्याय के सारे जमाने लद गए हैं और जनता चैन की सांस ले रही है। माननीय नेता विरोधी दल सदन से उठकर जा रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि एक बार जब वह एक सार्वजनिक सभा में अपने साथ संजय गांधी को लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे संजय महाभारत के संजय हैं। मैं समझता हूं कि हमारे विरोधी दल के नेता ने उस समय स्वीकार कर लिया था कि यह जो कांग्रेस है और जो कांग्रेस पार्टी है, यह कौरवों की सेना है। इसलिए उन्होंने संजय को महाभारत का संजय बताया था। अब जब कौरवों की सेना बन चुकी थी, तो वहां पर पाण्डवों की भी जरूरत थी और पांच पांडव भारतीय लोक दल, जनसंघ, कांग्रेस (संगठन), सोशलिस्ट तथा कांग्रेस-फार-डेमोक्रेसी ने मिलकर कौरवों की सेना को भारी शिकस्त दी है। इससे हमारी जनता पार्टी की सरकार केन्द्र और प्रान्तों में बनी है। हमारे तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने संजय को महाभारत का संजय बताया था, तो उस समय कोई धृतराष्ट्र भी अवश्य रहा होगा। पता नहीं वह धृतराष्ट्र कौन था-बरुवा जी थे या वह तिवारी जी स्वयं थे। लेकिन जब यहां उन्हें आज फाइल लेकर पढ़ते हुए देखा तो समझा कि विरोधी दल के नेता, तत्कालीन मुख्य मन्त्री, धृतराष्ट्र नहीं रहे होंगे।

(हंसी)

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जहां पर शासन को कुशल और सक्षम बनाने की बात कही है, वास्तव में वह एक स्वागत योग्य बात है।

[श्री राज नाथ सिंह--]

लेकिन इस सम्बन्ध में हमारा कुछ सुझाव भी है। जो भी भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनका स्थानान्तरण, निष्कासन या निलम्बन करने से भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। यदि हम भ्रष्टाचार को मूलतः समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अपरिहार्य है कि इस देश के चारित्रक बल को ऊंचा उठाएं। मैं यह कदापि नहीं मानता कि सत्ता में जाकर कोई दल चारित्रक स्तर को ऊंचा उठा सकता है, या कोई विशेष दल उठा सकता है। उसके लिए हर नागरिक को आगे बढ़ना होगा और प्रयास करना होगा। यदि इस देश में ऐसे समाज सेवी संगठन कायम करें जिन्होंने नौजवानों को नई प्रेरणा दी है, उनको एक निश्चित दिशा दी है, तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए चाहे वह शासक दल का हो या विरोधी पक्ष का हो।

मैं उस समाजसेवी संगठन का नाम ले लूं विरोधी पक्ष के नेताओं को उछलने की जरूरत नहीं। वह संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इस संगठन ने देश के नौजवानों को एक निश्चित दिशा दी है, उनको कर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ बनाया है, उनके अन्दर देश-भक्ति की भावना को जाग्रत किया है। इस प्रकार यदि बहुत सारे संगठन देश में पैदा होते हैं और इस प्रकार के लोगों का निर्माण करते हैं तो हम सबको चाहिए कि इस प्रकार के संगठनों के प्रति आदर का भाव व्यक्त करें और उनको सहयोग देने का प्रयास करें। लेकिन कांग्रेसी हुकूमत में ऐसे संगठनों का जिन के अन्दर काम करने वालों में समाजसेवकों की भावना रहती है, उनको रौंदा गया। 1948 में प्रयास किया गया गांधी जी की हत्या का आरोप लगा कर जेल में ठूसने का और फिर आपात्काल में जेल में ठूंसा, लेकिन उस संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह आगे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार के संगठनों के प्रति आदर का भाव रखें, उनका आदर करें। तत्कालीन प्रधान मन्त्री, श्री लालबहादुर शास्त्री ने इस प्रकार के संगठन का स्वागत किया। महात्मा गांधी ने इस प्रकार के संगठनों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित किया था। उन्होंने कहा था कि नौजवानों के चारित्रिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए इस प्रकार के संगठनों का होना आवश्यक है। कोई दल इस प्रकार के कार्य नहीं कर सकता जिस प्रकार के कार्य समाजसेवी संगठन कर सकता है।

जनता सरकार ने कहा है कि हरिजनों तथा कमजोर वर्ग के लोगों को इस प्रकार का संरक्षण प्रदान किया जायगा। वास्तव में सरकार का यह कथन बहुत सराहनीय है, स्वागत के योग्य है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य, अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राज नाथ सिंह---

दो मिनट। कांग्रेस की तरफ से बराबर कहा जाता है कि जनता पार्टी के राज्य में हरिजनों पर जोर-जुल्म हो रहा है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, एक घटना जो मिर्जापुर जनपद के महडौरा ग्राम में जो काण्ड हुआ है, जिसमें एक कांग्रेसी के इशारे पर हरिजनों के ऊपर पुलिस द्वारा अत्याचार ढाए गए, जिसमें केवल पुरुषों को पीटा ही नहीं गया, मकानों को जलाया ही नहीं गया बल्कि बालिकाओं के साथ बलात्कार किया गया, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हो सकी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वहां के कांग्रेसी लोग ही जिम्मेदार हैं। . . . . (व्यवधान)

यहां पर समाचार पत्रों का उल्लेख करना आवश्यक है। आज के नैशनल हेराल्ड में एक समाचार प्रकाशित हुआ है। उस पर मुझे आपत्ति है।

"HARIJAN'S HUT SET ON FIRE—The six month-old feud between caste Hindus and Harijans of Devdar Tula village about 30 km. from here reached its climax when the hut of a Harijan, Algoo was set on fire on Friday morning"

हम सभी जानते हैं कि यह नेशनल हेराल्ड पत्र किसके इशारे पर चलता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इसका हिन्दी अनुवाद करें।

श्री राज नाथ सिंह—

महोदय, मैं हिन्दुस्तान का नागरिक हूं। हमारी भाषा हिन्दी है। हो सकता है मैं इसका सही-सही अनुवाद न कर सकूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

तो आपने क्यों इसको पढ़ दिया ?

श्री राज नाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर में एक देवदार तुला गांव है। वहां पर हिन्दुओं और हरिजनों के बीच झगड़ा कराया गया। अलगू नामक व्यक्ति की झोपड़ी में आग लगा दी गयी।

श्री देव बहादुर सिंह—

आपको इसका पता रखना चाहिए।

श्री राज नाथ सिंह—

हो सकता है कि यह सब आपकी ही साजिश से हो रहा हो।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राज नाथ सिंह—

इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का स्वागत करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन के सभी साथियों।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य साथियों न कहें।

श्री राम प्यारे—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव आया है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि जो हमारे कांग्रेसी भाई हैं और जिन्होंने संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है, वास्तव में उन्हें अपनी करनी पर पहले विचार कर लेना चाहिए। वही कहावत है कि सूप कहे तो कहे, चलनी क्या कहे जिसके बहत्तर छेद। अब तक जो 30 वर्ष तक वे सत्ता में रहे हैं सत्ता का कसकर दुरुपयोग किया है।

श्री देव बहादुर सिंह--

आप कभी कांग्रेस में रहे हैं ?

श्री राम प्यारे--

मैं भी कांग्रेस में रह चुका हूं ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

अब आगे बढ़िए ।

श्री राम प्यारे--

बढ़ रहा हूं । घबड़ाइये नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आपस में वाद-विवाद न करें ।

श्री राम प्यारे--

मैं चाहूंगा कि जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बातें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कही गयी हैं, उन पर जो मैंने अध्ययन किया है और मैंने महसूस किया है कि जब तक हिन्दुस्तान में घूसखोरी को समाप्त नहीं किया जायगा तब तक जो बरबादियां हो रही हैं, वह समाप्त नहीं होंगी और प्रशासन में स्वच्छता और ईमानदारी नहीं आ सकेगी । इसके लिए मेरा सुझाव है कि पहले जैसा कि पं० गोविन्द बल्लभ पन्त, मुख्य मन्त्री थे, तो उन्होंने यह कानून बनाया था कि घूस लेने वाले के खिलाफ अगर दो गवाह मिल जायं तो उसको मुअत्तल किया जायगा और बरखास्त किया जायगा । मैं उदाहरण भी दे सकता हूं । मिर्जापुर में एक थाने पर जो नायब दरोगा थे, उन्होंने एक बुढ़िया से घूस लिया था और एक ही गवाह की गवाही पर एस०पी० ने उनको बर्खास्त कर दिया था । बाद में वे हाई कोर्ट तक लड़े लेकिन उनकी बर्खास्तगी बहाल रही । कुछ दिनों के बाद हिन्दुस्तान में एक कानून बन गया कि घूस देने और घूस लेने वाला, दोनों समान पापी हैं और अपराधी हैं । परिणाम यह हुआ कि घूस देने वाला इतना लुक-छिप कर घूस देता है कि जिले के किसी अधिकारी को यह मालूम न हो जाय कि अमुक आदमी ने घूस दिया है, नहीं तो घूस लेने वाले अधिकारी से पहले उसे ही सजा मिल जायगी । यह कांग्रेसी सरकार का बनाया हुआ कानून है । जब से यह कानून बना है तब से घूसखोरी बन्द नहीं हुई है बल्कि बढ़ी ही है । तो मेरा सुझाव यह है कि घूस को लेने वाला ही पापी और अपराधी समझा जाय, देने वाला अपराधी न समझा जाय । गांव में जब काली जी की पूजा होती है तो उनके पूजन में गांव में 4 पैसा भेंट का देना भी कोई पसन्द नहीं करता है और उसे देना गुनाह समझता है लेकिन मजबूरी में ही वह घूस देता है । तो मेरी प्रार्थना है कि कानून में ऐसा प्राविधान कर दिया जाय कि घूस लेने वाला ही जुर्मवार हो देने वाला नहीं और एक ही गवाही के आधार पर उसे सजा मिल जाय जिस प्रकार से प्रत्यक्ष गवाही पर किसी को फांसी या 7-7 वर्ष की सजा हो जाती है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

वह एक वाकया की बात है । जब ये कांग्रेस में थे तो मैं भी इनके साथ था . . .

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए, आप व्यवधान न डालें । यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हों तो उनके भाषण के बाद कर लीजिए ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, इन्होंने कहा कि 57 के पहले घूस लेना . . .

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री राम प्यारे--

श्रीमन्, वर्ष 1957 में मैं विधान सभा का सदस्य नहीं था, इसलिए मैं गांवों में ही सुझाव देता था, लेकिन आज विधान सभा में एक सदस्य होने के नाते अपनी आत्मा की बात यहां पर रखना चाहता हूं ताकि सदन के सभी माननीय सदस्य इस पर मनन कर सकें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में विकेन्द्रीयकरण की बात कही गई है, हमारे नेता विरोधी दल, जब 1974 के अप्रैल में वे उद्योग मन्त्री थे, उनकी उद्योग समिति में मैंने एक सुझाव दिया था कि वे गांधी जी के कथानुसार यदि समाज को सच्चा सुख और सच्ची शांति की उपलब्धि कराना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे समाज में कोई भी आदमी बेकार न रहे, बिना काम के न रहे। क्योंकि हमारे यहां मसल है कि बेकार की बुद्धि शैतान की हुआ करती है, वह समाज में बेकार की बातें सोचता है, बेकार के काम करता है और बेकार के प्रयास करता है। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि सत्ता का विकेन्द्रीयकरण करो, पूंजी का विकेन्द्रीयकरण करो और कुटीर उद्योगों और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा दो। यह बात मैंने ग्राम उद्योग के सम्बन्ध में उद्योग विभाग की मीटिंग में कही थी कि यदि आप देश और समाज के लोगों को और सरकार को मशीनों के प्रति दीवाना बना देंगे, केवल मशीनीकरण की बात करेंगे तो परिणाम यह होगा कि जब लोहे की मशीनें काम अधिक करने लगेगी और उनकी ही तरक्की होने लगेगी तो भगवान का बनाया इनसान ही बेकार होने लगेगा, उसे फिर काम नहीं मिलेगा। जब जनसंख्या बढ़ रही है और काम नहीं बढ़ेगा तो निश्चित रूप से बेकारी, बेरोजगारी बढ़ेगी। इसलिए उस समय भी मैंने निवेदन किया था कि आप प्रयास कीजिए कि गांव के मरे हुए उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दीजिए और मशीनों को वहीं लगाइए जहां इनसान काम न कर सकें। जहां इनसानों की छोटी-छोटी इकाइयों के द्वारा काम न बनाया जा सकता हो उसके लिए ही मशीनों को लगाइए तब लोगों के लिए काम ज्यादा पैदा होंगे और लोगों को काम मिल सकता है और समाज की बेकारी दूर हो सकती है।

जैसे कि चीनी मिल की बात कह रहे है कि पब्लिक सेक्टर में हो, सहकारिता में हो। श्यामधर जी, औराई सहकारी चीनी मिल के व्यवस्थापक है। वह जानते हैं कि 6-7 वर्ष में दो-सवा दो करोड़ का घाटा हुआ है, वह यहां कबूल करें या न करें लेकिन यह सही है कि एक वर्ष में 34-35 लाख का घाटा हुआ है। ऐसे ही यदि पब्लिक सेक्टर में, सहकारिता में उद्योगों को चलाना है और पब्लिक पर टैक्स लगाकर उस घाटे को पूरा करना है तो ऐसे चलाने से समाज की कसे तरक्की होगी ? मैं तो बराबर कहता रहा कि चीनी की बड़ी मिलों के बजाय आप खाण्डसारी चीनी बनाने की छोटी-छोटी मशीनें लगवाएं।

श्री अध्यक्ष--

कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री राम प्यारे--

5 मिनट और दे दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो मेरा निवेदन है कि चीनी मिल में 1 हजार आदमियों को काम मिलता है तो छोटी-छोटी मशीनें खाण्डसारी की लगायेंगे तो 1 लाख परिवार को काम मिल सकता है और उनको रोजी-रोटी मिल सकती है, बेकारी और बेरोजगारी दूर हो सकती है।

हमारे विरोधी दल के लोगों का कहना है कि हमारा जनता पार्टी का रुख गांव की तरफ हो गया है, शहरों की तरफ ज्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है। शहरों की आबादी . .

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राम प्यारे--

जनता नहीं चाहती कि शक्ति भवन जैसे भवन बनाने में जनता का पैसा खर्च हो, जवाहर भवन जैसे भवनों पर पैसा खर्च हो। जवाहर भवन को देखते हैं तो गांव के लोग चकाचौंध में पड़ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपने दो मिनट ज्यादा ले लिया।

श्री राम प्यारे--

इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और कांग्रेस के लोगों को कहूंगा कि उनकी अकल दुरुस्त हो जाय, पहले वे अपने अन्त:करण का निरीक्षण कर लें फिर दूसरों को देखें।

श्री अध्यक्ष--

कृपया माननीय सदस्य लाल बत्ती देखने के बाद दो मिनट में अपना भाषण समाप्त किया करें।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल के भाषण को बड़े गौर से सुन रहा था। सबसे बड़ी आपत्ति उनको जांच वगैरह के मामले में मुझे नजर आई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर जांच से उनको इतनी घबराहट क्यों है? जांच की परिधि में आज जो सरकार चल रही है अगर लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति हो जाती है तो उसके चलाने वाले भी आयेंगे। लेकिन उनकी घबराहट से ऐसा लगता है कि जैसे अभी हमारे एक साथी ने कहा कि "चोर की दाढ़ी में तिनका"। जिसने सब से ज्यादा बदमाशी किया है, जिसने लोगों को सताया है, जब लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति हो जायगी तो उसकी चपेट में सब से पहले उस समय की कांग्रेसी सरकार के चलाने वाले लोग आयेंगे और उनकी चाटुकारिता में जो ब्यूरोक्रेसी रही, वह आएगी। इसलिए नेता विरोधी दल को जांच आयोग से, लोकपाल और लोक आयुक्त की नियुक्ति से घबराहट हो रही है।

एक तड़पन नेता विरोधी दल को नौजवानों के विषय में ज्यादा महसूस हो रही थी। मैं पूछना चाहता हूं कि यह त पन उस समय कहां गयी थी जब इमरजेंसी के दौरान श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी के इशारे पर पूरे देश के तमाम ऐसे नौजवान जेलों में ठूंस दिए गए थे? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के विद्यार्थी और नौजवान साधारण कैदी की हैसियत से पूरे 20 महीने तक जेलों में बन्द रहे। अगर किसी का मामला कोर्ट में गया तो

सुरक्षा नियमावली में संशोधन कर दिया गया और पूरे 20 महीने तक उनको साधारण कैदी की भांति जेलों में बन्द रखा गया। उस समय हमारे तत्कालीन मुख्य मन्त्री की तड़पन कहां गयी थी ? क्या उस समय उनकी अक्ल कुंठित हो गयी थी ? उस समय उनको एक ही नौजवान दिखायी दे रहा था और वह था, श्री संजय गांधी। वैसे तो हम लोग जेलों में थे, कभी-कभी अखबार पढ़ लिया करते थे और वह भी जो इनकी ही बातों को छापते थे। कभी-कभी इतने शर्मनाक दृश्य सामने आए कि श्री संजय गांधी भाषण देते हुए अपनी चादर फेंकते थे और तत्कालीन मुख्य मन्त्री उनकी चादर सम्भालते हुए गिरने तक की नौबत आ जाती थी। जो बुड्ढे राजनीतिक लोग श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी का विरोध कर रहे थे, उनको भले ही बन्द रहने देते लेकिन नौजवानों को तो छोड़ देते। लेकिन उस समय इनकी अक्ल श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी के इशारे पर चल रही थी।

निगमों के विषय में नेता विरोधी दल ने बहुत सी बातें कहीं। जनता पार्टी का दृष्टिकोण है और जिसका राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लेख है, उससे साफ जाहिर होता है कि जितने भी निगम बनाए गए थे वह हारे हुए कांग्रेसियों की शरणगाह थे। जो भी कांग्रेसी चुनाव के मैदान में पिट जाते थे, उनको इन निगमों का अध्यक्ष बना दिया जाता था। इसी तरह जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो 14 में से करीब 10 बैंकों का कस्टोडियन हारे हुए कांग्रेसी लोगों को बनाया गया था। इन सारी चीजों पर नजर रखते हुए राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि इन निगमों को हारे हुए लोगों की शरणगाह नहीं बनाया जायगा। सचमुच जो उसके काबिल होगा वही उन निगमों में बिठाया जायेगा ताकि निगमों का काम सुचारु रूप से चल सके। माननीय नेता विरोधी दल के भाषण के समय और लोग तो चुप थे, पर कांग्रेस के ही कुछ लोग कभी-कभी चुपके से उनकी बात का समर्थन कर दिया करते थे जिसको देखकर एक कहावत याद आ गई –

"कानी धेरिया के सराहे, कानी की महतारी"

नारायण दत्त जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन लोगों के बहकावे में न आवें। समाजवाद का जो सबक आपने जवानी में सीखा है, यदि वह याद आ रहा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप बाहर आ जायं। इन लोगों को राम भरोसे छोड़ दें।

अब मैं प्रतापगढ़ के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। पूर्वी जिलों में, अन्य जिलों की अपेक्षा प्रतापगढ़ सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। अन्य जिलों की तरक्की के लिए, कई-कई योजनाएं बनी हैं, लेकिन प्रतापगढ़ जिले के लिए, यद्यपि वहां के दो-दो मन्त्री रहे हैं, कोई योजना नहीं बनाई गयी। वहां दो मन्त्री रहा करते थे, एक तो सभापति हुआ करता था, दूसरा मन्त्री होता था और जितने भी प्रतिनिधि हुआ करते थे वे मन्त्री का सदा मुंह ताकते रहते थे, वे सोचते थे कि जो हमारे मन्त्री कर देंगे वह ठीक होगा। शेष लोग चुप रहा करते थे। इसका कारण यह हुआ कि कोई योजना वहां की तरक्की के लिए बनी ही नहीं। प्रतापगढ़ इसलिए निरन्तर पिछड़ता गया।

मान्यवर, वहां पर कई छोटी-छोटी नदियां हैं जो उल्टी सीधी व तिरछी होकर बहती हैं जिनके कटाव से तमाम भूमि बरबाद हो जाती है। पहले नदियों को सीधा करने के लिए एक योजना बनाई गई थी, मगर उस पर कोई अमल नहीं हुआ। राज्यपल महोदय के अभिभाषण में भी प्रतापगढ़ जिले की तरक्की के लिए कोई बात नहीं कही गयी है। नदियों के कटाव से भूमि को बचाने के लिए मैं चाहता हूं एक योजना अविलम्ब बनाई जाये।

[श्री संगम लाल—]

इसके अलावा वहां पर ऊन का काम अच्छा होता है। वह काम पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। वहां एक कुसुआपुर गांव है जहां के कम्बल आदि आस-पास काफी बिकने के लिए जाते हैं। यदि वहां के कारीगरों के उपयोग के लिए और इस उद्योग की तरक्की के लिए कोई योजना बनाई जायें तो उससे उस क्षेत्र को बड़ा लाभ पहुंचेगा।

हमारे यहां एक कस्बा है, मानिकपुर जो फलों के लिए अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। फलों की तरक्की के लिए यदि वहां एक विभाग खोल कर कोई योजना बनायी जाय तो उससे बड़ा लाभ हो सकता है। फलों की नई-नई किस्में पैदा की जा सकती हैं।

हमारे यहां एक महुली बाजार है जहां सन और पटसन वगैरह का काम बड़े पैमाने पर होता है। साधन के अभाव में और सरकार की उदासीनता के कारण यह उद्योग फल फूल नहीं पा रहा है। जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां के कुटीर उद्योगों को यह सरकार प्राथमिकता दे। इससे वहां की बेरोजगारी दूर हो सकेगी।

एक बात मैं आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड के बारे में कहना चाहता हूं। उसके लिए बड़ी मुश्किल से जमीन आदि एक्वायर की गयी थी। उस जमीन पर किसान अपनी खेती भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब पता चल रहा है कि उसको, उसका जो मालिक है, मुखिया है अन्यत्र ले जाना चाहता है। मैं आपके मार्फत अर्ज करना चाहता हूं कि आटो ट्रैक्टर लिमिटेड, प्रतापगढ़ से कहीं और न जाने पावे, ताकि वहां की भुखमरी, बेरोजगारी का निदान निकल सके। धन्यवाद।

श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्यपाल जी का अभिभाषण मैंने पूरी तरह से पढ़ा व सुना। पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उत्तर प्रदेश की 54 प्रतिशत जनता जोकि पिछड़े वर्ग की है, पिछड़े कौम की है, इनके विषय में, इनके उत्थान के विषय में राज्यपाल महोदय ने कोई भी जिक्र नहीं किया है। वर्तमान सरकार ने इस ओर कोई भी फैसला इस प्रकार का नहीं लिया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में कोई रिजर्वेशन रखा है या कि उनके विद्यार्थियों के लिए कोई विशेष राहत दी हो। जबकि मैं समझता हूं कि पिछली सरकार ने अपने अन्तिम कार्यकाल में 15 प्रतिशत रिजर्वेशन राजकीय नौकरियों में किया था, लेकिन उनका भी कार्यान्वयन नहीं हुआ है। साथ ही साथ मैं समझता हूं कि इस पिछड़ी कौम के उत्थान के लिए 15 प्रतिशत को बढ़ाना चाहिए था और अगर बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, तो कम से कम कायम रखना चाहिए। इस पिछड़ी कौम के विषय में कोई भी जिक्र इस वर्तमान शासन ने, जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है, जब कि विशेष-कर यहां के मुख्य मन्त्री जी जोकि पिछड़े वर्ग के हैं, बहुत से मंत्रिगण पिछड़े वर्ग के हैं। इस पिछड़ी कौम के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले शासन में जोकि हरिजनों के मुकदमें तफतीश नहीं हुआ करते थे, पिछले शासन ने उनको तफतीश कराया। जिनके पास आराजी नहीं थी, उनको आराजी दी गयी।

आवास उप मन्त्री (श्री भगौती सिंह)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को यह नहीं कहना चाहिए कि माननीय मुख्य मन्त्री जी पिछड़े हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी, मुख्य मन्त्री हैं।

श्री सत्य पाल सिंह यादव--

मैं श्रीमन्, पिछड़े वर्ग की बात कह रहा था। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था कि यदि हरिजनों के लिए कहीं पर अत्याचार और जुल्म ढाया गया तो पिछले शासन ने फौरन उनको राहत पहुंचायी। विधान सभा के चुनाव में इस अनुसूचित वर्ग ने कांग्रेस का साथ दिया। हरिजनों के साथ इस समय बेहद जुल्म ढाए जा रहे हैं। जिला शाहजहांपुर में थाना जैतपुर है। वहां पर एक ऊंचे वर्ग के सज्जन एक हरिजन के घर जाते हैं और उसके घर के एक नवजवान व्यक्ति को गोली से उड़ा देते हैं, जिसने कांग्रेस के कैन्डीडेट का साथ दिया था और जनता पार्टी का विरोध किया था। उन्होंने एक गरीब घराने का चिराग गुल कर दिया। शासन ने कोई भी कदम नहीं उठाया, जिससे कि वहां के व्याप्त आतंक में कोई राहत मिलती या हरिजन वर्ग राहत की सांस ले पाते।

यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जनपद में ही नहीं, जिला बिजनौर के अन्दर कुछ घटनाएं हुई हैं। वहां पर एक गांव नौमरा बुड़हन है। वहां के पुराने जमींदारों ने वहां के हरिजनों के घर में आग लगा दी। क्योंकि उन लोगों ने जनता पार्टी का साथ नहीं दिया था। ऐसे ही आज देहातों में आप जाकर देखें तो मिलेगा कि वहां पर हरिजन वर्ग के लोगों को रास्ता निकलने नहीं दिया जा रहा है। उच्च वर्ग के लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग हमारे खेतों, चारागाहों व खलिहानों से होकर न निकलें। वह कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों के खेतों से निकालो, कांग्रेस के लोगों को चरागाहों से निकालो। इसी प्रकार से अनेक अत्याचार किए जा रहे हैं। उनकी दरख्वास्तों पर पुलिस प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज के वर्तमान समय में मैं समझता हूं कि हरिजनों पर अत्याचार, जुल्म किए जा रहे हैं, उनको बहू-बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। उनके ऊपर हर तरीके से जुल्म ढाए जा रहे हैं। मैं आगाह करना चाहता हूं यह जुल्म की नीति आप की सफल नहीं होने वाली है।

साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि छात्रों को अनेक कठिनाइयां हो रही हैं। पिछली सरकार के समय में आपने देखा है कि विद्यार्थियों की परीक्षाएं सही समय से हो रही थीं। कालेजेज में सही समय पर कक्षाएं होती थीं। सरकार का सारे का सारा कार्यक्रम व्यवस्थित हो रहा था। आज यह हो रहा है कि परीक्षाएं सही समय पर नहीं हो रही हैं। कानून की परीक्षा, एल0एल0एम0 की परीक्षा अभी नहीं हुई है। शायद अगस्त के महीने में होने की सम्भावना है। आज इस सरकार में, जनता पार्टी के राज्य में उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है। विद्यार्थियों की जो मांगें हैं, जो उचित मांगें हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अनुशासनहीनता बढ़ रही है। विद्यार्थी वर्ग की सही समय पर परीक्षाएं न होने से विद्या का स्तर गिर रहा है। शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सके इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस समय जनता पार्टी ने बड़े जोर से घोषणा की थी कि हम कृषि की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंचाई की दरें कम नहीं की गयी हैं। लगान जो पिछली सरकार ने कम किया था, वह कम नहीं किया गया है। आज कृषि यन्त्रों, ट्रैक्टर्स की जो कीमतें थीं पिछले महीने के अन्दर सवाई और ड्योढ़ी कर दी गई हैं। मैं समझता हूं कि कृषि के उत्थान की बात आप

[श्री सत्यपाल सिंह यादव—]

करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। आपका फर्ज हो जाता है कि कृषि के लिए आवश्यक चीजें जैसे खादें, पानी, कृषि यन्त्रों को आप उनके लिए मुहैय्या करिए। सही दामों पर मुहैय्या करिए। हमको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी सरकार केवल कहने में सक्षम है करने में सक्षम नहीं है। इसी तरीके से मंहगाई और बढ़ते हुए ला-एण्ड-आर्डर की पोजीशन आपके सामने है। जनता पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य आया है। लेकिन मैं समझता हूं कि वह केवल वक्तव्य अखबारों के पन्नों पर सीमित है अभी वास्तविक दुनियां में नहीं आ पाया है। आवश्यक वस्तुएं जैसे सीमेंट, सरसों का तेल, डालडा बाजारों में जाकर देखें, मिल ही नहीं रहा है। और अगर मिल भी रहा है तो उनकी कीमतें आकाश को चूम रही हैं। आपको कोई ठोस कदम उठाना चाहिए था, केवल कह देने से काम नहीं चलता है। कहें और न करें तो सफलता नहीं मिलेगी। आप मुनाफाखोरी, बेईमानी को रोक नहीं सकेंगे। आज आपके नेता लोग यह स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है लेकिन रोक नहीं पा रहे हैं।

अब मैं अपने जनपद की बात कह देना चाहता हूं। हमारे यहां दिन दहाड़े कत्ल होते हैं, डकैतियां पड़ी हैं। जिन गांवों में बन्दूक वगैरह के लाइसेन्स नहीं हैं वहां के लोग डकैतियों से बचने के लिए लाइसेन्स लेना चाहते हैं, लेकिन आपके अधिकारियों ने बंदिश लगा रखी है। यदि एक हजार से लेकर 10 हजार रुपए अल्प बचत योजना में जमा नहीं करते हैं तो कितने ही बड़े आप व्यक्ति हों आपको लाइसेन्स नहीं दिया जायगा। माननीय अध्यक्ष जी, आज पूंजीपति था जो बेईमान है वह तो अपनी सुरक्षा कर सकता है, लेकिन ईमानदार नहीं। इसलिए मुख्य मन्त्री जी, आपको देखने की आवश्यकता है। आपके यहां कमियां हैं। तो जहां लाइसेन्स नहीं हैं वहां गरीबों को यदि एक हजार से 10 हजार रुपए तक जमा करना पड़ेगा और 4 हजार से 8 हजार रुपए का असलहा खरीदना होगा तो वह लुट सकता है, लेकिन वह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता है लाइसेन्सी हो सकता है। इसलिए आपका उत्तरदायित्व है कि आप ऐसे कानूनों को समाप्त करें जिससे जनता की सुरक्षा हो सके।

मान्यवर, हमारे वहां एक भी पोस्ट-ग्रेजुएट कालेज नहीं है, लेकिन 2 डिग्री कालेज हैं। इसलिए छात्रों को बड़ी परेशानियां हो रही हैं और छात्रों को बरेली, लखनऊ आगे पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस ओर भी ध्यान दें और शिक्षा जगत में विशेषकर पोस्ट ग्रेजुएट कालेज जहां-जहां नहीं हैं वहां खुलवाने की कृपा करें। अतः राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करते हुए अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता और विपक्ष के काफी मित्रों ने समर्थन किया लेकिन मैं समर्थन के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। मैं तो सम्मानित मित्रों के सामने एक बहुत बड़ी बात रखना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि सदन के लोग इस बात पर विचार करेंगे। आज विधान सभा जनता पार्टी की सरकार का निर्माण उत्तर प्रदेश

में थोड़े दिन पूर्व में हुआ है। विधान सभा का नया सत्र प्रारम्भ होते ही किसी बुद्धिजीवी और नवजवान युवक को यह विश्वास नहीं था कि विधि की परम्परा होते हुए विधान सभा के सामने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा छात्रों के ऊपर इस सरकार द्वारा लाठी प्रहार कराया जायगा। लेकिन छात्रों पर लाठी प्रहार हुआ जो शर्मनाक बात है शासन के लिए। इस सदन में सरकारी पक्ष में बैठे हुए मित्र जिनके साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर नवजवानों ने उनका साथ [दिया था, उन्हीं के ऊपर आज लाठियों का प्रहार हो रहा है, इस पर विचार करना होगा। यदि उनकी समस्याएं उचित हैं तो हमारा फर्ज है कि शासन को चाहिए कि उनको पूरा करें। उनकी समस्याएं हल नहीं हुईं तो उनको जब कोई वश नहीं चला तो उन्होंने अनशन किया जिसकी जयप्रकाश नारायण जी ने प्रेरणा दिया है। भूतपूर्व कांग्रेस ने जब दमन-चक्र चलाया तो प्रदर्शन किए गए। हमारे नवजवानों ने जे0पी0 के आवाह्न पर आन्दोलन किया है। जे0पी0 की सम्पूर्ण-क्रान्ति के होते और शासन में बैठकर, जो संघर्ष कर रहे हैं उन पर, लाठियों का प्रहार करते हैं तो क्या यह जे0पी0 की सम्पूर्ण क्रान्ति के लिए कलंक की बात नहीं है? आपको पहले उनसे बात करना चाहिए था। इसलिए मान्यवर, किसी को आशा नहीं थी जैसा कि 12 जुलाई, 1977 को विधान सभा के सामने लाठियां चलवाई गयीं। गिरफ्तारियां 15 जुलाई को की गई हैं। आज भी गिरफ्तारियों का सिलसिला चल रहा है। यह सब मुख्य मन्त्री ने किया है और भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक दल का हाथ है। यह तो आपकी अपनी समझदारी की बात है। अगर सूबे का नौजवान, मजदूर या छात्र अपनी मांगों के लिए आन्दोलन कर रहा है, मौन-प्रदर्शन करता है, सत्याग्रह करता है तो चाहे बिजली के कर्मचारी हों, चाहे विद्यार्थी हों तो आपका फर्ज है कि सरकार उनकी बात सुनें और उनकी बातों को मानें। लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आपने विधान भवन बन्द करके 15 तारीख को गिरफ्तारियां करायीं। आपने विधान भवन के सामने धारा 144 लगाई। मोहन होम्यो कालेज के विद्यार्थी आ रहे थे। उन्होंने कोई कानून नहीं भंग किया। बहुत से ऐसे छात्रों को भी गिरफ्तार किया जिनका होम्योपैथिक छात्रों से कोई रिश्ता नहीं था। आप गिरफ्तारी करके छात्रों को आन्दोलन करने से रोकना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में अराजकता और बेचैनी मची हुई है। न कोई कानून है और न कोई व्यवस्था है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि श्री सत्य प्रकाश मालवीय और सरकारी पक्ष के दूसरे मित्र जो जय प्रकाश जी की सम्पूर्ण क्रान्ति में विश्वास रखते हैं, उन्होंने ऐसा आचरण नहीं किया। उनको राज्यपाल को अपना भाषण पढ़ने नहीं देना चाहिए था। आप उस अभिभाषण का समर्थन करते हैं। जय प्रकाश जी ने कहा था, चौधरी चरण सिंह ने कहा था . . .

(व्यवधान) (मेजों की थपथपाहट)

आज छात्रों को पढ़ाई के लिए एडमीशन नहीं मिल रहा है। आज उनको मारा जा रहा है। जनता पार्टी की सरकार के गठन के बाद जो राज्यपाल का भाषण हुआ यह भाषण प्रदेश के हित में नहीं था बल्कि जनता पार्टी के लोगों ने अपनी नीतियों को, अपनी बात को राज्यपाल के माध्यम से कहलाया था। जय प्रकाश जी की सम्पूर्ण क्रान्ति में विश्वास रखने वाले लोग उस भाषण को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप खेत की बात करते हैं. . .

(व्यवधान)

आप सुनिए, हल्ला मत करिए। आप बहुत हल्ला मचाते हैं। सुबह से देख रहा हूं।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित--]

उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जबसे आपने सरकार बनाई है अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं । हरिजन मारे जा रहे हैं। यहां जहां मुख्य मन्त्री और दूसरे मन्त्री रहते हैं। नरही में पुलिस ने एक हरिजन को मारा। बाराबंकी में मारे जा रहे हैं। वहां के भूतपूर्व मन्त्री और अब कांग्रेस अध्यक्ष हैं श्रीमती मोहिसिना किदवाई, वहां के गरीबों में आतन्क मचाने का काम शुरू किया है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा महत्वपूर्ण जनपद है जहां स्व० श्री रफी अहमद किदवाई तथा अन्य नेता पैदा हुए जिन्होंने समाजवाद के आन्दोलन में, देश की क्रान्ति के लिए अपनी भूमिका निभाई।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने पी० ए० सी० के लोगों . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य आप अपना भाषण समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमन्, यह अजीब बात देखने को मिलती है कि विरोधी दल के माननीय सदस्य इस किस्म की चिल्लाहट करते हैं कि दूसरों की समझ में नहीं आता कि वे बोलते क्या हैं। इसका पता ही नहीं चल पाता कि क्या हो रहा है।

एक सदस्य--

माइक नहीं खुला है . . . . सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री हरी सिंह--

मेरा माइक भी खुला है और गला भी खुल रहा है। घबराइए नहीं।

श्री अध्यक्ष--

आप बोलें। बाहें न चढ़ाइए, कुश्ती नहीं है।

श्री हरी सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के नेता, श्री तिवारी जी का भाषण बहुत ध्यानपूर्वक सुना परन्तु जब इधर बैठते थे तब कुछ और भाषण और इससे पहले जब वहां बैठते थे तब कुछ और भाषण और आज फिर दुबारा उधर बैठे हैं तब कुछ और भाषण दे रहे हैं। आशा यह थी कि देश के हित के लिए कुछ न कुछ मनन करेंगे, विचार करेंगे और ऐसी बातें रखी जायेंगी जिससे कि हमारे प्रदेश की उन्नति हो, उत्थान हो। यह बात नहीं है कि आज इधर बैठा हूं, लेकिन आज भी लाल टोपी को पहले की तरह दोस्त मानेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

सफेद लाल करनी पड़ेगी।

श्री हरी सिंह---

आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस की योजना बना कर आपने लोगों को बेईमान बनाया। आपके शासन को यह चाहिए था कि हरिजन वर्ग को बैंक से कर्जा दिला कर उसके सूद को माफ कर देते। लेकिन उसे बेईमान कहा गया और उससे किश्तों में कर्जा वसूल किया गया। सरकार के पास लाखों एकड़ बचत की जमीन पड़ी है, लेकिन शासन ने बचत की जमीन न देकर किसान और मजदूर को आपस में लड़ाया है। इस प्रकार के कारनामे महाभारत के जमाने में भी नहीं हुए होंगे जोकि श्रीमती इन्दिरा गांधी के राज्य में हुए हैं और जिससे देश का चरित्र हनन और अहित किया गया है। इसलिए लोग नई कांग्रेस, पुराने कांग्रेस को छोड़ कर जनता पार्टी में आए और यदि इस पार्टी ने भी इस गरीब हरिजन वर्ग व किसान के साथ ऐसा ही कार्य किया तो उनका भी साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। जैसे कि आज आप 40, 45 की संख्या में बैठे हैं। छोटे उद्योग धन्धों का विरोध उधर से किया गया, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपके नेताओं की पुरानी स्कीम है कि छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोले जायं। तब अगर कांग्रेस ने छोटे उद्योग धन्धे नहीं खोले तो यह जनता पार्टी की सरकार छोटे उद्योग धन्धे को खोलेगी ताकि हरिजनों और पिछड़ी जाति के लोगों को काम मिल सके और साधन उत्पन्न हो सकें। कांग्रेस सरकार के राज्य में हरिजन अधिकारियों के साथ जो भेदभाव व ज्यादतियां हुई हैं, वे जनता सरकार के राज्य में नहीं होंगी। इसलिए आप अपने कारनामों को जनता पार्टी पर मत थोपिए। जनता पार्टी अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगी तो हम उसका भी विरोध करेंगे। कांग्रेस सरकार ने हरिजनों को गिरफ्तार किया, उनकी जमीन व जायदादों को जब्त किया। लेकिन आज आप हरिजनों के ठेकेदार बन रहे हैं। उधर से कहा गया कि मेरठ में हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं उनसे कहता हूं कि विरोधी दल के नेता मेरे साथ मेरठ चलें और उनको पता चल जायगा कि वास्तव में हरिजनों के साथ कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा है। सारे बीज आपके ही बोए हुए हैं जिससे झगड़े होते हैं और उस सबके इल्जाम आप जनता पार्टी पर थोप रहे हैं। जनता पार्टी तो वह कर रही है जो आज तक किसी ने नहीं किया। अगर जनता पार्टी की सरकार ने हरिजनों का भला नहीं किया तो हम उसकी भी मुखालिफत जोरदार तरीके से करेंगे। उधर से पूज्य राम मनोहर लोहिया का नाम लिया गया, जिसने देश के लिए अच्छे काम किए लेकिन आप उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सके और न ही उनके बताए हुए सिद्धान्तों पर अमल किया। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह हैं। हम उनके बतलाए हुए रास्ते पर चलेंगे। आपने तो किसी की जमीन जब्त कर ली, किसी का कारोबार रोक दिया था, किसी को जेल भेज दिया। यह सब जनता पार्टी की सरकार करने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

कृपया टिप्पणी न कीजिए।

श्री हरी सिंह---

आपके बड़े-बड़े नेताओं का शासन देखा, अब यादव जी का शासन पहले देखिए और उनसे कुछ सीखिए और आपने जो कारनामे किए हैं, उनकी याद मत दिलाइए। इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय नेता, विरोधी दल ने इस सदन में कुछ ऐसी बातें प्रारम्भ कीं कि यह आवश्यक हो गया है कि इस दिशा में मैं अपने विचार उनके सामने स्पष्ट कर दूं। उन्होंने श्रीमन्, एक बात कही कि 15 अगस्त, 1947 को देश में कोई क्रांति नहीं हुई। श्रीमन्, माननीय नेता, विरोधी दल तो एक अनुभवी और संसदीय ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं। किन्तु ऐसा लगता है कि क्रांति की परिभाषा उन्होंने ठीक नहीं की। मान्यवर, क्रांति संक्रमण को कहते हैं। सारा संसार जानता है कि 15 अगस्त, 1947 को हमारे यहां सत्ता का संक्रमण हुआ था। तो क्या वह सत्ता का संक्रमण नहीं था? क्या वह क्रांति नहीं थी? मान्यवर, उन्होंने एक और बात रखी उन्होंने परिणति शब्द के बारे में कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में एक तकनीकी त्रुटि रह गई है और उसकी ओर ध्यान दिलाया। मैं माननीय नेता, विरोधी दल को कहना चाहता हूं कि 'परि' जो है यह उपसर्ग है व्याकरणों ने स्पष्ट कहा है कि एक ही धातु के अर्थ उपसर्ग के कारण बदल जाया करते हैं जैसे उपहार, विहार, परिहार एक 'हृयहरणे' धातु से बनते हैं 'उपसर्गेण धात्वर्था बलात् अन्यत्र नीयते—प्रहार, अपहार, बिहार संहार, विहार परिहार वत्'। श्रीमन्, उन्होंने जो परिणति की परिभाषा की है सदन में वह गलत की है। मैं नेता, विरोधी दल से कहूंगा कि वह इस पर ध्यान दें।

मान्यवर, तीसरी बात उन्होंने की शहर बनाम गांव, बड़े उद्योग बनाम कुटीर उद्योग और मन्त्री बनाम सदस्य की बात उठा कर विभेदकारी नीति का परिचय दिया है। उन्होंने निगमों की चर्चा की। श्रीमन्, ये निगम जो हैं शरण गाह नहीं चरागाह हैं। इन पर बड़े-बड़े सफेद हाथी रखे गए हैं जो बिना सुण्ड के सफेद हाथी हैं और 30 वर्ष तक स्वतंत्ररूप से इनमें विचरण करते रहे और देश की गाढ़ी कमाई को लूटते रहे। ये कारपोरेशन करप्शन के अड्डे बन गए। यह निगम शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किये जायं। तो श्रीमन्, जब उनका समय हो जाता है तो उसमें मुझे श्री रमेशचन्द्र विकट की एक रचना याद आती है—जब सी आर0पी0सी0 का एमेंडमेंट हो रहा था उस वक्त की मुझे विकट की रचना याद आई थी—इसी सदन में मैंने कहा था जब कांग्रेस सत्तारूढ़ थी :—

समय की धार में अरमान सारे डूब जाते हैं,
बुरा जब वक्त आता है सितारे डूब जाते हैं,
किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने वालो,
कभी ऐसा भी होता है किनारे डूब जाते हैं।

श्रीमन्, उस समय को याद करें यह केवल परिहास की बात नहीं है। लोकशाही की गरदन पर सवार होकर जो नंगा नाच किया गया, जो ताण्डव नृत्य किया गया। मान्यवर, मैं दुष्यन्त के शब्दों में उसे उपस्थित करना चाहता हूं—उस भय के वातावरण को, उस आतंक के वातावरण को, आराजकता तथा वैमनस्य को यहां पर प्रस्तुत करना चाहता हूं—

यहां पर तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं,
खुदा जाने यहां पर किस तरह जलसा हुआ होगा,

इस शहर में वह कोई बारात हो या वारदात
अब किसी भी बात पर खुलती नहीं हैं खिड़कियां,
मेरे सीने में हो या फिर तेरे सीने में सही
हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं
मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।

श्रीमन, प्रतिशोध से नहीं, प्रतिक्रिया से नहीं, बदले की भावना से और चुटकी काटने की भावना से हम नहीं। अपितु दुसत्य है कोई निरंकुश न हो जायं, अपनी मान मर्यादाओं और अपनी पुनीत परम्पराओं पर हम कुठाराघात न करें, यह हमें सबको ध्यान रखना भी है।

मैं सत्ता-पक्ष की ओर इंगित करना चाहता हूं---'एक बात बराबर कायम रहनी चाहिए, मेरे सीने में हो या फिर तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए।' आज स्थिति श्रीमन्, कुछ और है। हमें तो ये एक बुनियादी लड़ाई लड़नी है। आप रचनात्मक विरोध की भूमिका निभाएं। हमें तो अपने सन्त कबीर की वाणी इस सम्बन्ध में याद आती है, जिसके बारे में विदेशी विद्वानों ने अब्राहम लिंकन आदि ने प्रजातंत्र के बारे में चाहे जो कहा हो, भले कुछ भी कहा हो और जो पढ़ा लिखा भी नहीं था---मसि कागद छुयो नहीं हाथ, कि 'निन्दक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए'। क्या यह साधारण देन है? अभी एक बड़ी लड़ाई देश में प्रजातन्त्र की बाकी है। मुझे लगता है लोकतन्त्र अभीसतही रूप में यहां स्थापित हुआ है, अभी भीतरी इसकी लड़ाई बाकी है, इसे भीतरी तौर पर स्थापित करना शेष है। आज प्रजा अलग है और तन्त्र अलग है। मेरे मित्रों ने जो शासन अपने हाथ में लिया है, वह तन्त्र साधारण नहीं है। वह उच्छृंखल है, निरंकुश, उन्मादी और प्रमादी है। प्रजा अब भी भयग्रसासंत्रास्त आशंकित है, उत्पीड़ित है और आतन्कित है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि प्रजातन्त्र की सच्ची रक्षा करनी है तो प्रजा और तन्त्र को एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए और यह हमें अवश्य करना होगा। प्रजा अलग रहे और तन्त्र अलग रहे, तो इससे प्रजातन्त्र जीवित नहीं रह सकता है। इसके लिए हम सबको सतत प्रयास और संघर्ष करना होगा। मैं विरोधी पक्ष से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप भड़काने वाली नीति छोड़ दें, आप लड़कों और हरिजनों को भड़का रहे हैं, उनके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपने 30 वर्ष तक हरिजनों के कल्याण के नाम पर खूब गुलछर्रे उड़ाए हैं। मैं चाहूंगा कि इन सब चीजों की जांच हो।

मैं चन्द चीजों की तरफ सदन और माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कार्य हो रहा है---जल-निकासी की योजना चल रही है। इधर यह कार्य धीमा हो गया है। अतः ऐसे निरंकुश, पथ-भ्रष्ट और आलसी अधिकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जायं, जिन्होंने इस काम में गतिरोध पैदा कर दिया है। गण्डक योजना में गण्डक नहर की पटरी को ब्रीच कर दिया जाय तो प्रदेश का बड़ा कल्याण होगा, इससे नैपाल और उत्तर प्रदेश के बीच का एक बड़ा क्षेत्र यातायात की सुविधाओं से जुड़ जायगा। नलकूप जो काम कर रहे हैं, जैसे हरियाना में हुआ है नहर के आसपास की भूमि लवण और क्षार ऊपर ले आती है, जिससे लाखों लाख एकड़ भूमि के नष्ट

[श्री पुरुषोत्तम कौशिक---]

होने का भय पैदा हो गया है। इसलिए आवश्यक है कि अधिक से अधिक नलकूप उसके आसपास लगाए जायं, जिससे साथ ही साथ वाटर लेवेल की समस्या भी हल हो सके। एक अन्य महत्व की बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। कालीइल, लार्ड कनिंघमें और चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा तथा जिला गजेटियर में जिस पढरवन का उल्लेख किया गया है, अर्थात् पडरौना की जो चर्चा की गई है और जो भगवान तथागत की पावन भूमि है। बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। आप पुरातत्व विभाग के द्वारा उस पवित्र स्थान की खुदाई करवाइए। भगवान महावीर की निर्वाण भूमि का पता लगाए। समय हो गया है। मैं इस चीज की विस्तृत विवेचना नहीं कर सकता।

एक बात जरूर है। इस समय कुछ ऐसे तत्व काम कर रहे है, एक ब ी ज्वलन्त समस्या उठ खड़ी हुई है। वह यह है कि सवर्ण और असवर्ण के बीच खाई खोदी जा रही है, जहर फैलाया जा रहा है, घृणा और नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। हर विवेकशील नागरिक के लिए यह चुनौती है कि अगर इस प्रकार के नफरत के बीज बोए गए तो देश की आत्मा को इससे खतरा है। हर विवेकशील आदमी का फर्ज है कि नफरत के बीज समाप्त किए जायं।

एक बात और है। अगर प्रशासन चुस्त और दुरुस्त नहीं हुआ दिन पर दिन उच्छृंखल होता गया तो काम बिगड़ जायगा। हम स्वीकार करते हैं कि हमारी जिम्मेदारियां अधिक हैं। प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा। तीस साल का बिगड़ा हुआ प्रशासन है, बिगड़ी हुई आदतें है, उन्हें सुधारने की बात है। माननीय नेता विरोधी दल ने इतने विवेकशील हो कर यह कहा कि सारी नौकरशाही के विरुद्ध अभियान चल रहा है। उनकी इनक्वायरी हो रही है। पता नहीं आपने कहां से बात निकाली ? हम जो दोषी हैं, जिसके खिलाफ शिकायतें हैं, जिन्होंने आपात्काल में अपने अधिकारों का गलत प्रयोग किया है, निरीह लोगों पर बर्बर अत्याचार किए हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे सार्वजनिक कार्यकर्ता हो, या अधिकारी हो या कर्मचारी हो, बिना भेदभाव के होना चाहिए।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस देश और प्रदेश में शिक्षा का जितनी जल्दी हो सके राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। यह मेरी मांग है। शिक्षा संस्थाएं आज व्यावसायिक रूप में चल रही हैं। जितना भ्रष्टाचार शिक्षा के क्षेत्र में है शायद कहीं उतना भ्रष्टाचार नहीं है। शिक्षा का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तथा प्राचार्यों का पद स्थानान्तरणशील कर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

अब हम दफा 51 के अन्तर्गत जो नोटिस दिए गए हैं, उनको लेते हैं। अभिभाषण पर विवाद फिर कल जारी रहेगा।

इस समय दस सूचनाएं मुझको मिली हैं। दसवीं सूचना श्री सुन्दरलाल तथा श्री कन्हई सिंह की है। यह समय के बाद प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने केवल एक ही प्रति दी है। इसलिए वह तो वैसे अग्राह्य है। पहली श्री जनार्दन प्रसाद ओझा और

श्री पुरुषोत्तम कौशिक की है 'शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में समायोजन का जो अभियान चलाया जा रहा है उससे भ्रष्टाचार तथा नौकरशाही को बढ़ावा तथा अध्यापकों में भारी असन्तोष'। दूसरा, श्री गुलाब सेहरा की है, 'आगरा जनपद में हरिजनों को आवंटित भूमि पर बोई गई फसलों को प्रबल व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती काटे जाने, तथा उनसे भूमि वापिस छीनने से आगरा जनपद के हरिजनों में भारी असन्तोष।' तीसरी, श्री राजेन्द्र कुमार की है,'प्रदेश में नियंत्रित मूल्य पर अभ्यास पुस्तिकाएं तथा प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं की पुस्तकों के अभाव से छात्रों में असन्तोष।' चौथी सूचना, श्री श्यामधर मिश्र की 'जिला वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर के ग्राम छेछुहा व मुर्रा का गंगा नदी की बाढ़ के कटाव से उत्पन्न संकट'' पांचवीं, श्री हरि केवल प्रसाद की 'प्रदेश में व्यापक पैमाने पर अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण आदेश जारी करने से कर्मचारियों में तथा प्रदेश की जनता में भारी असन्तोष।' छठी सूचना, श्री हरि केवल प्रसाद की ''नलकूप लगाए जाने की योजना के अन्तर्गत गोरखपुर मण्डल की आवंटित सूची में देवरिया जनपद की बंधित करने से देवरिया जनपद की 30 लाख जनता को असन्तोष'। सातवीं, श्री शम्भू नाथ चौधरी की 'उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अभाव, खाद्य तेलों एवं दालों के मूल्यों में तेजी से जनता में उत्पन्न संकट'। आठवीं, श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी की 'ललितपुर जिले में 115-सी के जुर्मानों को किसानों से वसूल करने के कारण सैकड़ों किसानों के पकड़े जाने से जनता में रोष। नवीं सूचना, श्री डी0 पी0 बोरा और श्री रेवती शरण मौर्य की 'लखनऊ नगर महापालिका द्वारा भवन-कर जबरन वसूल करने के कारण शहर की जनता में रोष तथा क्वीन्क्वीनियल असेसमेंट 80 लाख से 2 करोड़ करने से उत्पन्न संकट' और दसवीं सूचना, श्री सुन्दर लाल और श्री कन्हई सिंह की '150 रुपया प्रति माह वसूली के कारण 80 हजार प्राइवेट नलकूपों के कनेक्शन काटने से प्रदेश की जनता में रोष'।

राज्य में सीमेन्ट के अभाव, खाद्य तेलों एवं दालों के मूल्यों में बढ़ोत्तरी से उत्पन्न संकट के विषय में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

7 नम्बर की सूचना जो श्री शम्भू नाथ चौधरी द्वारा दी गई है उसको आज के लिए स्वीकार किया है। यह उत्तर प्रदेश में सीमेंट के अभाव, खाद्य तेलों एवं दालों के मूल्यों में तेजी से जनता में उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में है। माननीय खाद्य मन्त्री जी कोई वक्तव्य देना चाहेंगे या समय चाहेंगे ?

खाद्य मन्त्री (श्री हरिशचन्द्र)---

आज ही कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इस समय बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं जानता हूं कि वस्तुओं की महंगी विशेष रूप से सीमेंट, खाद्य तेलों और दाल की महंगाई है। यह विशेष रूप से संकट का कारण बनी हुई है। शासन का ध्यान इस ओर है। इस सम्बन्ध में बहुत से ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे ऐसा लगता है कि थोड़े ही दिनों में हम इस संकट पर काबू पा जायेंगे। श्रीमन्, जहां तक महंगाई और अभाव का प्रश्न है, बीते दिनों की नीतियों का बहुत कुछ असर है और प्रदेश सरकार के साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार का भी इस सम्बन्ध में बहुत बड़ा हाथ है। यह जानकर हम सबको प्रसन्नता होगी कि केन्द्रीय सरकार ने इस विषय पर विचार करने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों

[श्री हरिशचन्द्र—]

का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया है और हमने भी अपने प्रदेश में एक सम्मेलन का आयोजन किया है और हमें आशा है कि हम निश्चित रूप से इस संकट पर काबू पा जायेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन यहां पर बुलाया जा रहा है ?

श्री हरिशचन्द्र—

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सुनने में चूक कर गए। 24 तारीख को उत्तर प्रदेश में खाद्य और तिलहन से सम्बन्धित व्यापारियों का सम्मेलन बुलाया गया है और 24 तारीख को ही इस विभाग से सम्बन्धित जिला स्तर के अधिकारियों का अलग से सम्मेलन बुलाया गया है। माननीय मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया है। आज की जो महंगाई है उसके सम्बन्ध में एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। जिस समय देश में आपातकालीन स्थिति थी उस समय भूतपूर्व प्रधान मन्त्री जी को चुनाव कराने के लिए जो विवश होना पड़ा, उसका कारण उनके सामने यह भी था कि उनके गुप्तचर विभाग के उच्चाधिकारियों ने कहा था कि चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं और आने वाले दिनों में ये और अधिक बढ़ जायेंगे। यह भी एक कारण था जिसके कारण वे चुनाव कराने पर मजबूर हुयीं।

जहां तक सरसों का प्रश्न है 26 जून, 1975, को एमरजेंसी के 4 दिन पहले सरसों के तेल का भाव 620 रुपए प्रति क्विंटल था और एमरजेंसी समाप्त होने के दिन 21-3-77 को उसके दाम 842 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था। इससे स्पष्ट है कि पूर्व सरकारों की नीतियों और उनके निर्णयों के कारण ये दाम बढ़ने लगे थे। इसी प्रकार मूंगफली के तेल की भी यही स्थिति थी। एमरजेंसी के आरम्भ में 780 रुपए प्रति क्विंटल थी और एमरजेंसी की समाप्ति होने पर उसका मूल्य 834 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था। इसी प्रकार से अरहर का दाम एमरजेंसी के पूर्व 239 रुपए प्रति क्विंटल था जो एमरजेंसी के समाप्त होने पर 381 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था। मसूर के दाम की भी यही स्थिति थी। तो एमरजेंसी के काल में खाद्यान्नों, दालों और तिलहन के दाम बढ़ने लगे थे। आज की मूल्य वृद्धि विगत सरकारों की गलत नीतियों का ही परिणाम है जिसको हम सभी भुगत रहे हैं। मैं माननीय नेता, विरोधी दल, श्री नारायण दत्त तिवारी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि अगर आज की सरकार आप की की गई गलतियों को सुधारने के लिए प्रयत्नशील है तो माननीय नेता विरोधी दल और विपक्ष से मैं आशा करता हूं कि इस कार्य में वे हमारा सहयोग करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या किसी मन्त्री के लिए यह उचित है, मर्यादित है कि मैंने इस विषय पर एक शब्द भी नहीं कहा और मेरे लिए कुछ कहा जाय ? यह मेरा प्रस्ताव भी नहीं है। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया उस पर इन्हें वक्तव्य देना है।

श्री हरिशचन्द्र—

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण संकट के प्रश्न पर मेरी मात्र इतनी अपील है कि इस संकट की स्थिति के निवारण के लिए माननीय नेता, विरोधी दल भी इसमें सहयोग करेंगे। कोई अनुचित बात नहीं थी जिससे माननीय नेता, विरोधी दल को कुछ कहने की आवश्यकता पड़ गई। स्थिति को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं।

जहां तक सीमेंट के अभाव का प्रश्न है, यह सत्य है कि सीमेंट, को कमी है। हमारे प्रदेश में जो 2 सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं डाला और चुर्क में उन पर हमारे विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं है। उत्पादित सीमेंट पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण है और जो कोटा हमें निर्धारित किया जाता है वह हमारी आवश्यकता से कम है। मैंने केन्द्रीय सरकार को एक पत्र भेजा है कि जो सीमा आपने निर्धारित की है, वह सीमा नीचे लाई जाय जिससे अधिक जो उत्पादन होगा उसका हम प्रदेश के लिए प्रयोग कर सकेंगे। मैं केन्द्रीय सरकार के मन्त्री महोदय से मिला था और कहा कि प्रदेश के लिए इस त्रैमास का कोटा 467 हजार मीट्रिक टन का है जबकि प्रदेश की आवश्यकता 8 लाख मीट्रिक टन त्रैमासिक है। इस कमी को पूरा करने के लिए दोनों फैक्ट्रियों का उत्पादन बढ़ाया जाय। हमें आशा है कि अगर 2 लाख मीट्रिक टन और मिल जायगा तो जो अभाव है उसे कुछ सीमा तक हम पूरा कर पायेंगे। वितरण व्यवस्था नहीं के बराबर थी। 3 दिन पहले जो वितरण व्यवस्था लागू की गयी है, उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि स्टाकिस्ट्स की नियुक्ति करने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है। मैंने मुख्य मन्त्री को लिखा है कि उनकी नियुक्ति का काम भी हमारे विभाग को सौंप दिया जाय। साथ ही जो स्टाक उनका अब आयेगा उसकी चेकिंग करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। पहले नहीं थी। कितना स्टाक आया, इसकी हम चेकिंग करायेंगे, उसकी एक प्रति सप्लाई कार्यालय को भी उन्हें भेजनी पड़ेगी। साथ ही यह निर्णय किया है कि शहर में रहने वाले व्यक्ति नकशे के आधार पर सीमेंट पायेंगे। नये निर्माण के लिए 25 बोरी से लेकर 75 बोरी तक मकान के नकशे के साइज के अनुसार उन्हें सीमेंट प्राप्त होगा। मरम्मत के लिए राशन कार्ड अथवा हाउस टैक्स की रसीद दिखाने पर दो बोरी तक उन्हें प्राप्त हो सकेगा। गांव में भी सीमेंट देने के लिए बी0डी0ओ0 के लिखने पर निर्माण के लिए 25 बोरी तक प्राप्त होगा और मरम्मत के लिए प्रधान के लिखने पर 1 बोरी प्राप्त हो सकेगा। यह वितरण व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में उपभोक्ता की भी चेकिंग हो और जो स्टाकिस्ट्स हैं, उनके स्टाक्स की भी चेकिंग हो पाए उसके लिए यह व्यवस्था 3 दिन से लागू की गयी है। मैं आशा करता हूं कि जो भी सामान है वह उचित प्रकार से लोगों तक पहुंच पायेगा, इसमें जितनी कड़ाई की आवश्यकता है, वह करने के लिए हम सन्निद्ध हैं और हम आशा करते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद अभाव के रहते हुए भी वितरण व्यवस्था को ठीक कर पायेंगे।

साथ ही जहां तक तेल का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि तिलहन और दाल का उत्पादन ही पिछले वर्षों में कम हुआ है। कम उत्पादन को लेकर आज तेल और दाल का अभाव निश्चित रूप से हमारे सम्मुख होगा। मैं कहना चाहता हूं कि दाल का उत्पादन 1972–73 में 29.22 लाख टन था, जबकि 1976–77 में घट कर वह 25.81 लाख टन हो गया। तिलहन का उत्पादन 1974–75 में 19 लाख टन था, वह 1975–76 में 18 लाख टन रह गया और इस प्रकार से विगत फसल भी घटी है। श्रीमन्, उत्पादन की घट्टोत्तरी को देखते हुए, जो पिछले वर्षों में हुई उसके कारण दाल और तेल का अभाव निश्चित रूप से हमें फेस करना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ भी है उससे कैसे आज के संकट का सामना किया जाय उसके लिए तात्कालिक प्रबन्ध . . . .

एक सदस्य—

इनके वक्तव्य से तो महंगाई बढ़ेगी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी को वक्तव्य देने दीजिए, यह विवाद नहीं है। विवाद का प्रश्न नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नियम में है कि वक्तव्य संक्षिप्त होगा। तो सदन का समय बढ़ाना पड़ेगा.. ..

श्री हरिशचन्द्र—

मैं कहना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर दो चार मिनट और समय दिया जाय। मैं वक्तव्य की आखिरी बातें बोल रहा हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

सदन का समय 15 मिनट बढ़ाया जाता है।

श्री हरिशचन्द्र—

जहां तक दाल और तिलहन का प्रश्न है, अभी तक जो उसके कमीशन एजेंट और थोक व्यापारी हैं, उनको इतनी मात्रा में खाद्यान्न और तिलहन रखने की छूट है कि जो अभाव में उचित नहीं प्रतीत होती। उनको ढाई हजार क्विंटल खाद्यान्न और तिलहन रखने का अधिकार है। आज जो निर्णय लिया गया है उसके अनुसार ढाई हजार की सीमा घटा कर 1 हजार क्विंटल कर दी गई है। इसी तरह से जो थोक व्यापारी हैं उन्हें 2 हजार क्विंटल स्टाक में रखने की छूट है, उसे घटा कर 500 क्विंटल तक की सीमा कर दी गई है और उन्ह निर्देश दिया गया है कि एक महीने के अन्दर अपना सरप्लस स्टाक बाजार में ले आयें जिससे आज जो कुछ भी स्टाक है वह निकल कर बाजार में आ जाए। साथ ही छोटे-छोटे व्यापारी जो लाइसेन्स की प्रणाली से बन्धे हुए थे तो 50 क्विंटल तक का व्यापार करने वालों को लाइसेन्स की प्रथा से मुक्त कर दिया गया है जिससे वे माल को लेकर गांवों में जा सकें और लोगों को माल उपलब्ध हो पाए।

केन्द्र से बात करने मैं गया था। उन्होंने सरसों के तेल का एक विकल्प दिया है जिसे रेपसीड आयल कहते हैं। साढ़े 8 रुपए किलो के हिसाब से उपभोक्ता को हम वह देंगे। कानपुर और लखनऊ में अभी तक उसकी 10 टन रोज की उठान है। 20 टन तक रोज हमको लखनऊ और कानपुर के लिए वह प्राप्त है। स्वास्थ्य विभाग को उसकी जांच का कार्य सौंपा गया है। साथ ही साथ लखनऊ और कानपुर के उपभोक्ताओं को भी लिखा है। जब हम आश्वस्त हो जायेंगे कि यह तेल उपयोगी है तो रेपसीड आयल को बनारस, इलाहाबाद, मेरठ जैसे शहरों में तुरन्त बिक्री के लिए भेजा जायगा। उसके लिए सहकारी उपभोक्ता संघ से बात भी की गयी है और वह इस व्यापार को करने के लिए तैयार हैं।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। बात आई थी मूल्य सूची की। मूल्य सूची टांगी जाय कठोरता के साथ उसका पालन कराने का प्रयत्न हो रहा है। साथ ही इसकी जो चेकिंग जून और जुलाई में हुई उसके अन्तर्गत 11,566 दुकानों की चेकिंग हुई, 266 पर अभियोग लगाया गया है, 105 की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मैं सदन से कहना चाहूंगा कि प्राइस-लिस्ट का कठोरता से पालन कराया जायगा और इसके विपरीत आचरण करने वाले को कठोर से कठोर दण्ड दिया जायगा।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि खाद्य विभाग के पास कोई ऐसा सेल नहीं है कि वह जान पाए कि कौन सी चीज जो जनता के उपयोग की है, वह कहां पड़ी हुई है।

श्री अध्यक्ष--

आप अपनी कठिनाई नहीं, वस्तुस्थिति पर आप अपने वक्तव्य को सीमित रखें ।

श्री हरिश चन्द्र--

अन्त मे मैं कहना चाहता हूं कि सरसों के तेल और दालों का जो भीषण संकट है, इस को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं और आगामी एक सप्ताह के अन्दर और भी कदम उठाए जाने वाले हैं। मैं केन्द्र का सहयोग इस पर ले रहा हूं और विपक्ष से भी चाहूंगा कि जनता के इस महान संकट की स्थिति में उनका योगदान हमें प्राप्त हो जिससे हम सब मिलकर इस सं कट को दूर कर पायें ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

अभी माननीय मन्त्री जी ने अपने बयान में यह बताया कि तिलहन और दालों का उत्पादन पिछले वर्ष कम हुआ। तो यह जानकारी होते हुए भी माननीय मन्त्री जी ने बाहर से तिलहन और दालों को मंगाने का कोई प्रबन्ध क्यों नहीं किया ?

श्री हरिश चन्द्र--

मैंने केन्द्र से बात की और दूसरे प्रदेशों में भी पता लगाने का प्रबन्ध किया है। केन्द्र ने हमें उत्तर दिया है कि दाल का प्रबन्ध हम नहीं कर सकेंगे, स्टाक में नहीं है। दूसरे प्रदेशों से अभी कोई उत्तर नहीं प्राप्त हो पाया है । अपने प्रदेश में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पता चला है कि दाल है इसलिए मैंने उसका कुछ प्रबन्ध किया है जिसको मैं इस समय कहना उचित नहीं समझता। जहां तक तिलहन का सम्बन्ध है, उसका विकल्प रखा गया है, अगर इन 5 जिलों में उसकी खपत होती है, तो उसे अन्य जिलों में भी बिक्री के लिए भेजा जायगा ।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

न केवल तिलहन, बल्कि गेहूं के दाम भी काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक रुपए 80 पैसे किलो तक गेहूं का भाव हो चुका है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार गेहूं, तेल और दालों को सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से बिकवाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हरिश चन्द्र--

गेहूं का स्टाक हमारे पास काफी है। जब 1.33 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानों से गेहूं दिया जा रहा था तब बाजार में उसका भाव सवा रुपए किलो था। अब बाजार की हालत देखते हुए आज ही हमने यह निर्णय लिया है कि जो भी गेहूं हमारे पास है उसे इन दूकानों से 1.33 रुपए प्रति किलो से हिसाब के बिकवाया जाय। इससे भाव नियंत्रित होंगे ।

(व्यवधान)

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

केन्द्र ने पहले सीमेंट की कटौती नहीं की थी। सीमेंट की कमी इधर मार्च तथा इन महीनों मे ही देखने को मिली। इन्हीं दो महीने में कमी उसकी क्यों हो गयी ?

श्री हरिश चन्द्र--

माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि त्रैमासिक कोटे में जो कमी हुई उसके कारण यह हुआ। जो कोटा 5 लाख 66 हजार मीट्रिक टन हमें प्राप्त होता था वह 4 लाख 67 हजार ही प्राप्त हुआ। यह कटौती ही इस अभाव का कारण थी।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)--

यह आफिसरों की बनाई हुई ही वितरण व्यवस्था है कि शहरों में मरम्मत के लिए दो बोरी और देहात में उसी मरम्मत के लिए एक बोरी। क्या माननीय मन्त्री जी दोनों जगह के लिए समान व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ? गांवों के लिए भी दो बोरी दिए जाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हरिशचन्द्र-

मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव पर निश्चित रूप से विचार करूंगा। उनके इस कथन के लिए कि सरकारी अधिकारियों द्वारा नीति या योजना बनाई जाती है, यह बात उनकी अपनी हो सकती है, सही नहीं है। लेकिन मैं उनके इस सुझाव पर कि दोनों जगह समान व्यवस्था हो, इसमें परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मई और जून के प्रथम सप्ताह में अरहर की दाल और उर्द की दाल दो-ढाई रुपए किलो थी जोकि आज 5-6 रुपए किलो तक बिक रही है। इतने भाव बढ़ने का क्या कारण है ? उसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? इसको रोकने में सरकार क्यों असफल रही है ?

श्री हरिशचन्द्र-

मैंने उन सब बातों पर निवेदन किया और मैं समझता हूं कि उनको फिर से दोहराना होगा। जो महंगी दाल के बारे में कहा इसलिए मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य ने उन्हें सुना होगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय मन्त्री जी ने जिन कदमों की चर्चा की है, यह कदम सारे वही हैं जो आज विरोधी पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य, जो इधर थे, जो उठाया करते थे और इन कदमों से प्रदेश में चोरबाजारी बढ़ी है और बहुतायतों की कठिनाई बढ़ी है। जो कदम सीमेंट वितरण और सरसों के तेल के करने का है, इससे परेशानी बढ़ेगी। क्या माननीय मन्त्री जी इन सारे मामले पर फिर से विचार करके निर्णय लेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न नहीं है। यह तो एक टिप्पणी है।

श्री श्याम धर मिश्र---

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि तिलहन के तथा दाल के अभाव में यानी कमी के कारण कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं। क्या यह बात सही है कि पिछली सरकार ने तिलहन के आयात के लिए परमिट दिया था, जो हमारी भारत सरकार के व्यापार मन्त्रालय ने इन तीन महीनों में उन परमिटों को कैंसिल कर दिया ? उसका नतीजा यह हुआ कि तेल के दाम बढ़ गए और अब 15 दिन के भीतर व्यापार मन्त्रालय द्वारा फिर से विचार हो रहा है। साथ ही साथ क्या यह बात सही है कि इन तीन महीनों में तेल का निर्यात लंका और मिडिल-ईस्ट में हुआ है जिसकी वजह से महंगाई हुई है ?

श्री हरिशचन्द्र---

इस सम्बन्ध में मुझे केन्द्र से उत्तर मंगाना पड़ेगा।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि श्री शिरोमणि शर्मा, आई0 ए0 एस0, अध्यक्ष, राज्य सीमेंट निगम, मिर्जापुर द्वारा श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी, माइनर इंजीनियर एवं खाद्यान्न उपभोक्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं ? वहां के भूतपूर्व अध्यक्ष की सिफारिश पर अन्य व्यक्ति को उनकी जगह पर रख दिया ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं पैदा होता। इसका कोई सम्बन्ध नहीं है; इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सीमेंट म अव्यवस्था हुई है, उसकी वजह से यह प्रश्न आया है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस सवाल पर माननीय मन्त्री जी जवाब दें। वह उत्पादन की वजह से है या जो चुर्क सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें जो मैनेजमेंट में अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, उसकी वजह से है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं पैदा होता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, जो माननीय मन्त्री जी ने अभी नीति बतलाई क्या उसका यह अर्थ लगाना सही होगा कि सीमेंट पर अब कन्ट्रोल लगा दिया गया है ? और यदि हां, तो जो ग्राम सभापति को अधिकार दिया गया है, कितना ग्राम सभापति के लिए, कितना ब्लाक का कोटा है, कितना शहर का कोटा है और कितनी सरकारी काम के लिए कोटा है, उसको बतला देंगे ?

श्री हरिशचन्द्र—

श्रीमन्, इसमें 4 लाख 67 हजार मीट्रिक टन में, 3 लाख मीट्रिक टन फ्री सेल के लिए है और 1 लाख 67 हजार मीट्रिक टन सरकारी काम के लिए। दूसरे जिस पर कि मूल्य का नियन्त्रण है इसे सेल के लिए निर्धारित किया गया है।

मान्यवर, जहां तक माननीय नेता, विरोधी दल ने गांवों और शहरों की जो बात कही तो मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि स्टाकिस्टों की नियुक्ति जब तक हमारे विभाग के अन्तर्गत नहीं आ जायगी, तब तक ठीक तरीके से व्यवस्था हम नहीं कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें। माननीय नेता, विरोधी दल ने प्रश्न किया है कि ग्राम के अन्तर्गत एक बोरी देंगे या बी0डी0ओ0 इतना देंगे। सवाल उनका यह है कि देहात के लिए कितना कोटा निर्धारित किया है, शहर के लिए कितना कोटा निर्धारित किया है ? अगर आप उत्तर दे सकें तो दीजिए वरना इसके लिए समय ले लीजिए।

श्री हरिशचन्द्र—

स्टाकिस्ट जो गांव में हैं उन स्टाकिस्टों को गांव के वितरण के लिए निर्धारित किया है और शहरों के जो स्टाकिस्ट हैं, उन्हें शहर के लिए नियुक्त किया है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शान्त रहें ।

श्री हरिशचन्द्र—

शहरों के जो स्टाकिस्ट हैं और जो गांवों के स्टाकिस्ट हैं, उनकी सूची मैंने अलग-अलग मांग ली है। इस सम्बन्ध में अगर जानकारी करना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, स्टाकिस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने 3 लाख टन फ्री सेल के लिए और कुछ परमिट से दिया जायगा, बताया है। अगर आपके पास सूचना है तो बताइए कि आपने कितना निर्धारित किया है। गांवों के लिए कितना और शहर के लिए कितना ?

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री हरिश चन्द्र—

मेरे पास इस बात की जानकारी है इसलिए मैं निवेदन कर रहा था। मैंने कहा है गांवों और शहरों के स्टाकिस्ट अलग-अलग हैं...

(अनेक सदस्य साथ-साथ बोलने लगे) (शोर)

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें। (शोर)

सुन लीजिए माननीय मन्त्री जी, सवाल यह है कि स्टाकिस्ट शहरों के हों या देहातों के हों, प्रश्न यह नहीं है। सभापति और बी0डी0ओ0 के डिस्पोजल पर कितना दिया है। अगर आपके पास सूचना है तो दीजिए वरना आप समय ले लीजिए। इसका उत्तर आप कल दे दीजिएगा।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मन्त्री महोदय ने बतलाया कि कोटे के अभाव में सीमेंट की कमी हुई है। ऊपर से कोटा नहीं मिला। तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि 2 कारण, एक बिजली की कमी और दूसरे कर्मचारियों के आन्तरिक विद्वेष के कारण यह कमी हुई ? अगर हां, तो क्यों ?

एक सदस्य—

मान्यवर, समय बढ़ाइए। समय खत्म हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

अभी समय है।

श्री हरिशचन्द्र—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया कि बिजली की कटौती के कारण कमी हुई वह सत्य है। बिजली की कटौती जो दोनों सीमेंट मिलों में थी, उसे अब समाप्त कर दिया गया है जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके।

एक सदस्य—

5 मिनट समय बढ़ा दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो कोटा हमें मिला है उसमें कितना सीमेंट का कोटा, डल्ला फैक्टरी से, कितना चुर्क फैक्टरी से और कितना प्रदेश के बाहर की फैक्टरियों से मिला है ? इसके अलावा जो प्रदेश से बाहर की फैक्टरी का सीमेन्ट है उसे प्रदेश में लाने की क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हरिश चन्द्र—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, विरोधी दल का उत्तर कल यह फीगर तैयार करके मैं दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
18 जुलाई, 1977 ।

विधान सभा दर्शन

नत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 170 पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में उपस्थित किये हुए माने गये संशोधन

श्री ऊदल, श्री फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री मित्र सेन, श्री राम सजीवन, श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री गोविन्द सिंह नेगी, श्री जयराम सिंह, श्री सुरेन्द्र पाल तथा श्री देव कुमार—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं है :—

1—पूरे प्रदेश में खेत मजदूरों और हरिजनों पर भू-स्वामी एवं सामन्ती तत्वों द्वारा संगठित हमले किए जा रहे हैं। हरिजनों की जमीनें छीनी जा रही हैं, पुराने माफ कर्जे वसूल किए जा रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी से वंचित रखा जा रहा है। बन्धुआ मजदूरी और बेगार की प्रथा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। बेगार करने से इन्कार करने पर मार-पीट और हत्या तक की जा रही है। बहू-बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है। पुराने मिले हुए पट्टे खारिज किए जा रहे हैं।

2—औद्योगिक मजदूरों को 8.33 प्रतिशत बोनस दिए जाने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से नहीं की गई है। अनिवार्य बचत योजना के नाम पर काटे गए मजदूरों के वेतन की वापसी का ऐलान नहीं किया गया है। कानपुर और अन्य स्थानों की बन्द मिलों को फिर से चालू करने की निश्चित घोषणा नहीं की गई है। मिल-बन्दी, छटनी और ले-आफ को समाप्त करने का संकल्प नहीं किया गया है।

3—प्रदेश में बिजली का संकट है। संकट की चुनौती का सामना करने के लिए बिजली कर्मचारियों और जूनियर इंजीनियरों के सुझावों पर घोर उपेक्षा की नीति बरती जा रही है। परिणाम स्वरूप प्रदेश के बिजली मजदूरों और कर्मचारियों की हड़ताल का फैसला करने के लिए विवश होना पड़ा है। यदि सरकार और राज्य विद्युत् परिषद् की अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण हड़ताल हो ही गई तो प्रदेश के औद्योगिक और कृषि उत्पादन पर गहरा धक्का लगेगा।

4—प्रदेश में महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी गति से दौड़ रही है। पिछले मार्च से जून तक 14 प्रतिशत थोक मूल्यों में वृद्धि हुई है। खुदरा मूल्य किसी भी वस्तु का ड्योढ़े से कम नहीं है। सीमेंट आदि आवश्यक वस्तुओं का अकाल भी पैदा हो गया है। इस कमर-तोड़ महंगाई और अभाव के कारण आम जनता का जीवन दूभर हो गया है।

5—खाद्यान्नों के थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण तथा किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने में किसी कदम का उल्लेख नहीं किया गया है।

6—सवा छः एकड़ तक के किसानों के लगान की माफी का उल्लेख नहीं किया गया। विकास-कर को समाप्त करने की घोषणा नहीं की गयी।

7—मिर्जापुर स्थित बिड़ला के हिण्डालको कारखाने के डेढ़ सौ से अधिक मजदूरों और कर्मचारियों का उत्पीड़न समाप्त करने की कोई घोषणा नहीं की गई।

8—प्रदेश में दिनों-दिन बढ़ती अपराधों की बाढ़ जैसे चोरियां, डकैतियां, हत्याएं और अराजकता को रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं किया गया।

9—होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के छात्रों की समस्याओं और मांगों और तत्सम्बन्धी आन्दोलन के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया ।

10—बी0 टी0 सी0 और बी0 एड0 आदि प्रशिक्षित हजारों अध्यापकों को सन् 1970 से कोई रोजगार नहीं दिया गया। शिक्षा के प्रसार, विशेषकर देहातों में लड़कियों की शिक्षा के प्रसार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कोई नीति नहीं बताई गई ।

11—पी0 ए0 सी0 के बरखास्त एवं निलम्बित कर्मचारियों को बहाल करने के सम्बन्ध में ।

12—नक्सलवादी बन्दियों को बिना शर्त रिहाई के सम्बन्ध में ।

2—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है :—

1—प्रदेश के सभी मुख्य गावों को मुख्य जन मार्गों से जोड़ दिया जायेगा और बाराबंकी के जनपद की हैदरगढ़ तहसील भी हैदरगढ़ से बछरावां, हैदरगढ़ से औसानेश्वर घाट रौनी–वारा हैदरगढ़ से सुवेहा, बाराबंकी से सिद्धौर देवी गंज, घाटमपुर सुवेहा, इन्हौंना (रायबरेली) से शुकुल बाजार से रेछ घाट तक की सड़कों को पक्का किया जायगा और गोमती नदी पर सुवेहा, रेछघाट और औसानेश्वर घाट, मझार के पास भानमऊ से गड़शाह-पुर को जोड़ने के लिए, राड़ी नाले पर घाटमपुर के पास कल्याणी नदी पर हथौधा के पास पुलों का निर्माण कराया जायगा और इनसे सम्बन्धित सड़कों को पक्का किया जायेगा ।

2—हैदरगढ़ (बाराबंकी) अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है यहां पर एक डिग्री कालेज स्थापना की जायगी और चलचित्र गृह का निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायगा ।

3—जिन लोगों के विद्युत् कनेक्शन जो बिजली का मिनिमम गारन्टी का बकाया अदा न करने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है, उन्हें कृषि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से तत्काल जोड़ दिया जायगा और बकाया धनराशि लैन्ड रेवेन्यू की भांति 2 किश्तों में वसूल की जायगी। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण पर विशेष ध्यान दिया जायगा ।

4—किसानों से जो विकास-कर लिया जाता है वह सम्पूर्ण धनराशि गांवों के विकास एवं ग्रामीण औद्योगीकरण में व्यय की जायगी और ग्रामीण क्षेत्र के निर्बल वर्ग की आर्थिक दशा सुधारने की ओर ध्यान दिया जायेगा।

5—बाराबंकी जनपद की हैदरगढ़ तहसील की हैदरगढ़, सुवेहा, सिद्धौर को टाउन एरिया घोषित किया जायगा।

6—गोमती नदी में शरीफाबाद चकौरा, क्षेत्रों में राजकीय नलकूप लगाए जायेंगे और नहरों की व्यवस्था की जायगी ।

7—उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक स्वास्थ्य सेवा के लिए पृथक निदेशालय का गठन किया जायगा, बोर्ड को भंग कराके विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाओं का संचालन किया जायगा और यहां के स्नातकों को समान अधिकार, समान वेतन की व्यवस्था की जायगी । होम्यो-पैथिक कालेजों का प्रान्तीयकरण किया जायगा और विधान भवन के समक्ष पुलिस द्वारा

12-7-77 को किए लाठी चार्ज की न्यायिक जांच कर अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायगी।

8—प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के बी0 ए0 एम0 एस0 एवं बी0 यू0 एम0 एस0 मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत आने वाले सभी छात्रों की मांगों पर विचार कर आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति घोषित किया जायगा, प्रत्येक जिले में आयुर्वेदिक एवं यूनानी जिला चिकित्सालय खोला जायगा।

3—श्री श्यामधर मिश्र—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कृषि उत्पादन के मूल्यों को उचित मात्रा में सरकारी रूप से नहीं दिया।

4—श्री रियासत हुसैन—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया :—

1—उर्दू जबान को राज्य की दूसरी सरकारी जबान बनाना।

2—कृषि क्षेत्र में खड़ी फसलों का बीमा किया जाना।

3—आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा मूल्य पर पूर्ण नियन्त्रण रखा जाना।

5—श्री देव कुमार—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में :—

1—बुन्देलखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए बुन्देलखण्ड विकास आयोग की नियुक्ति करने की घोषणा नहीं की है।

2—प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम 1857 में अपनी और अपनी बहादुर बेटी कुमारी राबिया बेगम की शहादत देकर आजादी की मशाल जलाने वाले नवाब अली बहादुर शानी की यादगार में स्मारक बनाने का जिक्र नहीं किया है।

3—बबेरू क्षेत्र में नहरों, लिफ्ट और ट्यूबवेल का विस्तार करने की घोषणा नहीं की है।

4—बबेरू में राजकीय कन्या इण्टर कालेज और बांदा में बलिका डिग्री कालेज खोलने की घोषणा नहीं की है।

5—यह कि बदौसा-कमासिन, कमासिन-दादौं, बबेरू-मकां रोड को पक्का बनाने की घोषणा नहीं की है।

6—बांदा जिले में बाक्साइट, सिका तथा अन्य खनिज पदार्थों का इस्तेमाल करके औद्योगिक विकास करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की घोषणा नहीं की है।

6—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में—

1—कालिंजर-बघेला बारी अधूरी सड़क, अतर्रा रूरल से बहेरी अधूरी सड़क, देवरार-अनयुवा अधूरी सड़क, नौहाई-पयोखर वाया नन्दवारा हड़हा कबौली कल्हरा सड़क, निर्माण, गिरवां से सेहुंडा शेरपुर सड़क निर्माण, बदौसा से ओरन सड़क निर्माण, अतर्रा से पनगरा नहर सर्विस रोड निर्माण आदि सड़कों, के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया है।

2—बागे नदी में परैनी से कालिंजर जाने वाली सड़क पर बर्धा के पास पुल बनाने का उल्लेख नहीं किया है।

3—नरैनी क्षेत्र में लिफ्ट, ट्यूबवेल और नहरों के विस्तार का उल्लेख नहीं किया है।

4—नरैनी, अतर्रा, बदौसा, कालिंजर, करतल, गिरवां में बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए कालेज व स्कूल खोलने का उल्लेख नहीं किया है।

5—नरैनी क्षेत्र के हरिजनों और निर्बल वर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं किया है।

6—नरैनी क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण को पूरा कराने का उल्लेख नहीं किया है।

7—अतर्रा कस्बे में औद्योगिक संस्थान खोलने का उल्लेख नहीं किया है।

8—आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति का विकास तथा आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा, बरेली, बघर्रा के प्रान्तीयकरण का उल्लेख नहीं किया है।

7—श्री सुखपाल पाण्डेय—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में—

1—जिला बस्ती बाढ़ से हमेशा पीड़ित होता है। हरैया तहसील का दक्षिणी भाग घाघरा नदी के कटान से पीड़ित होता है। ग्राम रानीपुर फठबनियां, मुडेरीपुर, गौरिया-नयन, कल्यानपुर, बाधानाला, सहजोर, समौड़ा, छतौना, खेंमाराजपुरा, त्रिलोकपुर, मौसिया, रैदासपुर, छतौना, शिम्भपुर पकड़ी संग्राम बेतार्ग, दुधौरा पूरेकुनार, जाजूपुर, बेदोलिया बानेपुर, काशीपुर, पहिया माफी, रुखरपुर, बरदिया लोहार, पिठियालसकरी, नियामतपुर, छपिया, अशोकपुर, अशोकपुर-चमरा, बरदियाकुआर, साड़पुर, बटरिया, बंजरिया, धर्मपुर, रमना-तौफीक पूरेबोरी राय, उपरोक्त गांवों का मकान तथा जमीन अधिकांश हिस्सा घाघरा के पेट में कटकर जा चुका है। इसके रोकथाम की कोई योजना का उल्लेख नहीं किया है।

2—लकड़मण्डी घाट के दुबौलिया बाजार तक तथा दुबौलिया बाजार से कल-बारी होते हुए खलीलाबाद-बस्ती, गोरखपुर की सीमा तक घाघरा के कटान की रोकथाम करने के लिए ठोकर लगाने अथवा स्थायी योजना का कोई वर्णन नहीं किया है।

3—अमोड़ा से काशीपुर सड़क तथा विशेसरगंज से महुघाट सड़क, महुघाट से अमारी होते नकटाघाट तक की सड़क, हरैया से लगी नारी सड़क, मडेरिया से छपिया स्टेशन तक की सड़क व सेवर-सेखाडीह से हरैया तक की सड़क का वर्णन नहीं किया है।

4—सिकन्दरपुर के मसकनवां सड़क निर्माण तथा कुशगौर में मनवर नदी पर तथा लकड़मण्डी से मखौड़ा तथा परसुरामपुर सड़क एवं मनोरमा नदी पर मखोड़ा में पुल के मिर्माण का वर्णन नहीं किया है।

5—हरैया तहसील सिंचाई के मामले में सबसे पिछड़ी हुई तहसील है। बस्ती जिले में प्राथमिकता के आधार पर राजकीय नलकूप लगाने का वर्णन नहीं किया है।

6—बस्ती जिले की पाठशालाओं के भवन निर्माण का वर्णन नहीं किया है ।

7—जिला परिषद्, बस्ती में लाखों रुपए का गबन एवं अनियमितताएं हैं, उसे भंग करने का वर्णन नहीं किया है।

8—राज्य विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष को हटाने का वर्णन नहीं किया है।

9—श्री श्रवण कुमार टंडन, आ0 जी0 पुलिस ने आपत्तिकाल स्थिति में जो जुल्म प्रदेश स्तर पर किया तथा कराया है, उसका उल्लेख नहीं किया है और न आई0 जी0 के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का वर्णन ही किया है ।

10—मई, 1977 में श्री बृजभूषण तिवारी, एम0 पी0 के नेतृत्व में तीन व्यक्तियों का एक शिष्ट मण्डल बस्ती जिले की अपराध स्थिति से अवगत कराने के लिए आई0 जी0 पुलिस से मिला। आई0 जी0 पुलिस ने शिष्ट मण्डल के साथ अभद्र व्यवहार किया जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों एवं राज्यपाल जी को दे दी गयी परन्तु आई0 जी0 के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का वर्णन नहीं किया है।

11—श्री बालिगा, अध्यक्ष, राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का जन-प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया ।

12—हरैया तहसील तथा बस्ती जिले के घाघरा के पीड़ित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सरकारी नौकरियों में करने का वर्णन नहीं किया है।

13—बस्ती जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है। इस जिले में छः तहसील हैं जिसमें विकास उद्योग लगाने का कोई वर्णन नहीं किया है।

14—बाढ़ नियन्त्रण विभाग, बस्ती में फैले हुए भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई ठोस कदम उठाने का उल्लेख नहीं किया है ।

15—बस्ती जिले में, जो प्रदेश का पिछड़ा जिला है, सड़क, सिंचाई के साधन, उद्योग, बेरोजगारी के साधन, शिक्षा की कमी का कोई उल्लेख नहीं किया है।

16—खेती के लिए खाद का दाम कम करने तथा नियमित रूप से बिजली देने तथा गलत ढंग से बिजली उपभोक्ताओं को परेशान करने के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया है।

17—पूर्व गन्ना आयुक्त, श्री सक्सेना ने गन्ना सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश तथा गन्ना विभाग में एवं मिल मालिक से सांठ-गांठ करके जो भ्रष्टाचार फैलाया, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई उल्लेख नहीं किया है।

18—खाद का दाम कम करने तथा सिंचाई के लिए अनुदान देने, कृषि उत्थान के लिए कोई विशेष योजना बनाने तथा गन्ने का दाम बढ़ाने के लिए कोई उल्लेख नहीं किया है।

19—होम्योपैथिक छात्र संघ, उत्तर प्रदेश तथा पशु चिकित्सक संघ एवं कृषि अमीन तथा चपरासी संघ, उत्तर प्रदेश तथा माध्यमिक शिक्षा संघ, उत्तर प्रदेश की मांगों का उल्लेख नहीं किया है।

20—आपातकालीन स्थिति में हर विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों की सेवा अकारण समाप्त की गई है, उसका उल्लेख नहीं किया है ।

21—प्रदेश की सभी चीनी मिलों पर मजदूर, किसानों के बकाए धन, को सरकार का धन जो चीनी मिलों पर बकाया है, उसको वसूल करने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

22—सभी मिलों के निकाले हुए मजदूरों को वापस लेने तथा 8003/3 बोनस मजदूरों में देने तथा अनिवार्य बचत योजना के अन्तर्गत वापस करने के आदेश का उल्लेख नहीं किया है ।

23—सुल्तानपुर, जिला अमेठी में संजय गांधी के युवा शिविर में अध्यक्ष राज्य विद्युत् परिषद् के संकेत पर बिना पैसा वसूल किए बिजली दी गई, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है ।

24—उत्तर प्रदेश एग्रो के प्रबन्ध निदेशक, श्री इफ्तखार हुसैन के विरुद्ध अनेक अनियमितताएं, गबन आदि के अतिरिक्त करोड़ों रुपए के घाटे का आरोप है। इनके विरुद्ध कुनबापरस्ती, गुटबन्दी, अनियमित नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां व भ्रष्टाचार के विरुद्ध गत सरकार द्वारा एक जांच समिति श्री नवाब सिंह यादव की अध्यक्षता में बैठाई गई किन्तु खेद है कि आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है ।

25—आपात-स्थिति में बालिगा साहब ने अपनी तानाशाही के द्वारा बड़े अधिकारियों को तंग किया तथा बिना चार्ज-शीट दिए और कारण बताए उन्हें निलम्बित तथा बाद में बहाल भी कर दिया, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है ।

26—श्री बालिगा के भ्रष्टाचारों की जांच के लिए एक नया जांच आयोग, जिसके आयुक्त हाई कोर्ट के जज हों, के नियुक्त किए जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है ।

27—श्री पी0 एन0 गौड़, अधीक्षण अभियन्ता, इलाहाबाद को 1973 की हड़ताल में न सम्मिलित होने पर भी उन्हें अनिवार्य सेवा मुक्त कर दिया गया, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है ।

विद्युत् परिषद् में ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने तथा सामान गलत ढंग से आने तथा समय से रेलवे स्टेशन से न छोड़ाने का डेमरेज करोड़ों रुपए का देना पड़ा परन्तु इसका कोई उल्लेख नहीं किया है ।

8—श्री भगवती प्रसाद सिंह—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया :—

1—राज्य की जेलों में अभी भी नक्सलवादी तथा अन्य राजनैतिक बन्दी बन्द हैं जिन्हें तत्काल रिहा कर दिया जायगा ।

2—आपात्काल में राजनैतिक बन्दियों पर हुए अत्याचारों की जांच करवाई जाएगी तथा जेल के कानूनों और नियमों में ऐसे संशोधन किए जायेंगे जिससे आने वाले काल में राजनैतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार करना असम्भव हो जाय ।

3—नगरों में तथाकथित सौन्दर्यीकरण अभियान के दौरान उजाड़े गए दुकानदारों तथा गरीब व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति की जाएगी तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।

4—सभी नगरों तथा महानगरों के निवासियों के लिए पेयजल, सड़कों, प्रकाश, स्वच्छता जैसी न्यूनतम आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के लिए कार्य को प्राथमिकता दी जायगी।

5—आपात-स्थिति के दौरान राजकीय अथवा निजी प्रतिष्ठानों से निकाले गए अथवा अन्य रूप से प्रताड़ित किए गए सभी कर्मचारियों का तत्काल सेवा में वापस लिया जायगा तथा उनके ऊपर की गई सभी दण्डात्मक कार्यवाहियां वापस ली जायेंगी। पी0 ए0 सी0 तथा पुलिस आन्दोलन से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को जो 1973 में नौकरियों से निकाले गए थे, पुनः काम पर वापस ले लिया जायगा।

6—1976 वर्ष में की गई भू-राजस्व की वृद्धि को समाप्त करके पूर्व की स्थिति लाई जायेगी।

7—राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से संस्तुति करेगी कि उर्वरकों के मूल्यों में भारी कमी की जाय।

8—छोटे तथा कमजोर वर्गों के कृषकों के लिए सिंचाई को जल वरीयता के आधार पर उपलब्ध कराया जायगा। उन्हें कृषि के लिए आवश्यक मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक दवाइयां, कृषि उपकरण, उन्नत बीज तथा ऋण आदि सभी खड़ी फसल की गारन्टी पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायगी।

9—खेतिहर मजदूरों के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दरों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक प्रशासकीय व्यवस्था की जायगी।

10—प्रत्येक फसल के न्यूनतम विक्रय मूल्य शासन बोवाई के काफी पहले घोषित कर देगा जिनसे नीचे बाजार में मूल्य जाने पर शासन इन्हीं मूल्यों पर स्वयं खरीद करेगा।

11—गन्ने का न्यूनतम मूल्य आने वाली फसल के लिए 15 रु0 प्रति क्विंटल तय करवाने का सरकार प्रयास करेगी। केन क्रेशरों को सप्लाई किए जाने वाले गन्ने का न्यूनतम निर्धारण के कानून के अन्तर्गत लाया जायगा।

12—राज्य भर में सभी बन्द कारखाने पुनः चालू करवाए जायेंगे तथा सभी छंटनी किए गए तथा ले-आफ किए गए कर्मचारियों को पुनः पूरा समय काम पर वापस लिया जायगा।

13—शासन केन्द्रीय सरकार से तत्काल संस्तुति करेगा कि अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा धनराशि को वापस किया जाय और आपातकाल के पूर्व का बोनस कानून पुनः लागू करवाया जायगा।

14—शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की हर स्तर पर व्यवस्था की जायगी। राजकीय तथा गैर राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के वेतनमानों आदि में समानता लाने का प्रयास किया जायगा।

15—बेरोजगारी के निराकरण के लिए तत्काल प्रभाव-शाली योजनाएं लागू की जायेंगी।

16—अनुसूचित जातियां तथा जन-जातियां और पिछड़ी जातियां के सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाई जायेंगी ।

17—आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणालियों को एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली के समान प्रोत्साहन दिया जाय, किसी भी चिकित्सा प्रणाली में प्रशिक्षित व्यक्तियों के वेतनमानों आदि में समानता लाई जाय ।

9—श्री जगन्नाथ प्रसाद—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में खेतिहर मजदूरों और भूमिहीन हरिजनों को आवास एवं कृषि के लिए दी गई भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किए जाने तथा उन पर अनेक प्रकार के होने वाले अत्याचारों का समावेश अपने अभिभाषण में नहीं किया है ।

10—श्री राज कुमार शर्मा—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं है :—

1—आयुर्वेद का प्रसार ।

2—मद्य-निषेध का प्रसार ।

3—आपात-स्थिति के दौरान हुए अत्याचारों की जांच और दोषी अधिकारियों को दण्ड देने की व्यवस्था ।

11—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है :—

1—नानपारा विधान सभा क्षेत्र में हजारों नौजवान बेकार हैं, उनकी रोजी-रोटी की समस्या हल करने हेतु कोई कल-कारखाना लगाए जाने के सम्बन्ध में ।

2—नानपारा में सहकारिता के आधार पर 5 करोड़ रुपए की योजना से चीनी मिल जो कि पूर्व स्वीकृत है, शीघ्र निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में ।

3—नानपारा विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में ।

4—पूरे प्रदेश में उर्दू माध्यम करने तथा द्वितीय राज भाषा का दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में ।

5—बाराबंकी और बहराइच को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में ।

6—नानपारा, मिहिनपुरवा, चफदिया बाजार में महिला इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में ।

7—मिहिनपुरवा, बैबाही, लौकाही में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

8—नानपारा में हरिजन कालोनी बनाए जाने के सम्बन्ध में।

9—नानपारा नोटीफाइड एरिया के कर्मचारियों के 23 माह के बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में।

10—नानपारा में राजकीय अस्पताल खोले जाने एवं मिहिनपुरवा ब्लाक में 32 शैटया वाले (पूर्व स्वीकृत) अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में।

11—नानपारा व मिहिनपुरवा से बाई-पास (रोड) निकाले जाने के सम्बन्ध में।

12—नानपारा एवं मिहिनपुरवा, जहां गन्दगी का राज है, खरंजे, विद्युतीकरण, नालियों के सम्बन्ध में।

13—नानपारा विधान सभा क्षेत्र में पशु-चिकित्सालय भटेही, रायबोझा दौलतपुर में खोले जाने के सम्बन्ध में।

14—नानपारा विधान सभा क्षेत्र में गढ़ी घाट के दरिया पर पुल तथा गढ़ी घाट से लेकर रामपुर, धोवियाहार, दौलतपुर, महेशपुर, गूढ़ टिपरी, थैरुआ, उर्रा, बेझा, हरखापुर, पूर्तिहा की मेन रोड तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में।

15—मिहिनपुरवा से ग्राम सभा, लौकाही तक सड़क व पुल निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में।

16—नानपारा से राजापुर, केशवापुर माघी, कुरुगुहा तकिया घाट तक सड़क एवं तकियाघाट पुल निर्माण के सम्बन्ध में।

17—विकास खण्ड, मिहिनपुरवा के ग्रामों में प्राइमरी पाठशाला जैसे हंसुलया, पुरैना, रघुनाथ, पड़रिया, महाराज सिंह नगर, कुर्मियाना, परगहवा, पेटराहा, पेरुआ, सर्रा-कलां एवं विकास खण्ड, बलहा तथा शिवपुर में ग्राम बैवाही, गुलरिया, जगतापुर, नारायणपुर कलां, चहलवा आदि में प्राइमरी पाठशाला खोले जाने के सम्बन्ध में।

18—नानपारा विधान सभा क्षेत्र में जहां रा-मैटेरियल उपलब्ध है, पेपर मिल खोले जाने के सम्बन्ध में।

19—नानपारा में मुंसिफी अदालत स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।

20—बहराइच जनपद के बंजारे गाय खरीद कर जनपद के बाहर ले जाते हैं, गौ-धन की रक्षार्थ उसको प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में।

21—वन विभाग से ग्राम समाज की वह भूमि जिसे वन विभाग ने लिया था, परन्तु वन नहीं लगाया गया है, ग्राम समाज को वापस किए जाने के सम्बन्ध में।

22—जनपद बहराइच की जिन ग्राम सभाओं में ग्राम समाज व सीलिंग की भूमि का आवंटन भूमिहीनों में नहीं किया है, आवन्टन कराए जाने के सम्बन्ध में।

23—जनपद बहराइच में भूमिहीनों को आवंटित भूमि पर जबरन कब्जा करने वालों से तुरन्त प्रयोग रूप में वापस कराने के सम्बन्ध में।

24—बलहा विकास खण्ड के ग्राम दौलतपुर को एक बड़ा नाला दो भागों में बांट देता है, उस पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में।

12—श्री गनेशी लाल चौधरी—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में—

1—सन् 1973 के पी0ए0सी0 विद्रोहियों के मामले में उल्लेख नहीं किया है।

2—हरिजनों पर आए दिन अत्याचारों का समुचित उल्लेख नहीं किया।

3—जिला सीतापुर की जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों की क्रमिक भूख हड़ताल जो सीतापुर के मुख्यालय पर काफी दिनों से चल रही है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है।

4—सीतापुर के सिधौली ग्राम में गांधी विद्यालय इण्टर कालेज के डिग्री कालेज बनाने के बाबत कोई उल्लेख नहीं किया है।

5—सीतापुर जिले के सिधौली तहसील में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था के बारे में कुछ भी संकेत नहीं किया है।

6—सिधौली तहसील, जिला सीतापुर के ग्राम मनवा में जनाना अस्पताल बनाने के बाबत कुछ भी संकेत नहीं किया।

7—सिधौली-सण्डीला मार्ग पर स्थित गोमती नदी पर पुल निर्माण की बाबत कुछ भी संकेत नहीं किया है।

8—प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए कोई संकेत नहीं किया।

9—राज्य में शान्ति और व्यवस्था की गिरती हुई स्थिति के सुधार की ओर संकेत नहीं किया है।

13—श्री श्रीनारायण—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है—

1—देवरिया जिले के छितौनी बन्ध को सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कर बड़ी गण्डक नदी को भावी भीषण बाढ़ से देवरिया जिले को संकट मुक्त करने की तथा बड़ी गण्डक योजना को छितौनी बन्ध सहित मास्टर-प्लान के अन्तर्गत लेने का।

2—देवरिया जिले का उत्तरांचल—नैपाल सीमा से संलग्न क्षेत्र जिसका सामरिक महत्व है, उसे समस्त प्रकार के यातायात के साधनों एवं सुविधाओं से सम्पन्न करने का।

3—देवरिया जिले के नारायणीपार के रेता क्षेत्र का री-सर्वे कराकर सरकारी कागजात सेहत कराने का।

4—देवरिया व गोरखपुर जिले की सीमा बनाने वाली छोटी गण्डक नदी पर गुर्ली, रास्ता जोड़, बेलवा, धुधुली (बैकुण्डी) तथा कप्तानगंज, देवड़ार, पिपरा, भटनी आदि प्रमुख घाटों पर पुलों के निर्माण का।

5—छोटी गण्डक नदी को नहर का रूप देकर सिंचाई के समुचित व्यवस्था कराने का।

6—प्रदेश के प्रारम्भिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराकर मैदानों में पढ़ाने वाले नन्हें-मुन्नों को छाया देने का।

7—भूमि आवंटन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर फर्जी पट्टे रद्द कराकर भूमिहीनों को भूमि आवंटन कराने का।

8—बड़ी गण्डक नहर तथा उसके शाखाओं एवं उपशाखाओं का री-सर्वे कराकर उचित स्थानों पर पुलों, पुलियों एवं साइफनों के निर्माण का।

9—अनुसूचित जातियों का आरक्षण हर विभाग में हर श्रेणी के सेवाओं में पूर्ण करने की तथा सभी अर्ध सरकारी तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं एवं संस्थानों में भी आरक्षण की पूर्ति कराने का ।

10—देवरिया जिले की तथा हर बदनाम एवं भ्रष्ट साधन सहकारी समितियां की वसूलियां रोककर उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर समुचित कार्यवाही करने का ।

11—बढ़ती हुई भीषण मंहगाई दूर करने का ।

12—रोटी, कपड़ा और मकान की समस्या हल करने की ओर आम जनता को जीवनोपयोगी वस्तुओं को सस्ते दर पर सुलभ कराने का ।

13—बढ़ती हुई बेरोजगारी के समस्या के तत्काल समाधान का ।

14—भ्रष्टाचार के निवारण तथा अराजकता के शमन का ।

15—देवरिया जिले में जल जमाव एवं जल प्लावन के अनिष्टकारी समस्याओं के समाधान का ।

16—देवरिया और गोरखपुर के नारायणी पार के इलाके को बड़ी गण्डक नदी पर छितौनी में पुल बनवाकर उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध करने का ।

17—देवरिया जिले का उत्तरांचल जो अत्यन्त पिछड़ा है, उसके औद्योगीकरण का ।

18—प्रशासन को सरल एवं सुलभ बनाने का।

14—श्री जयराम तथा श्री ऊदल—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया :—

1—प्रशासनिक एवं पुलिस आयोग की सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू न करने के सम्बन्ध में ।

2—आल इंडिया कृषि आयोग की सिफारिशों को भी प्रभावी ढंग से लागू न करने के सम्बन्ध में ।

3—कृषि सुधारों तथा लगान में जमीन की क्वालिटी के हिसाब से एक रूपता न लाने के सम्बन्ध में तथा इस कार्य हेतु जो एक कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी जिसे सन् 76 में समाप्त किया गया था, पुनः इस कार्य को सुचारु रूप से लागू न करना ।

4—ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रत्येक 5 मील से लम्बी कच्ची सड़क को पक्का न करने के सम्बन्ध में ।

5—वाराणसी जिले में फूलपुर से सिधोरा कच्चा मार्ग, कठिरांव से बड़ागांव तक कच्चा मार्ग और मंगारी बाबतपुर से पलही पट्टी से चौबेपुर तक की सड़क तथा पंच कोशी मार्ग का राजा तालाब से, शिवपुर व कछवां, बड़ागांव पक्का मार्ग में 9 किलो मीटर अधूरा कच्चा मार्ग, कपसेठी से चनेई तक के मार्ग को अब तक पक्का न करने के सम्बन्ध में तथा इस सड़क के स्थान तेलारी से धौकल गंज दांदूपुर तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में ।

6—सेतु निगम द्वारा वरुणा नदी में कालिका धाम के पास 5, 6 वर्षों से बनाए जा रहे पुल का निर्माण पूरा अब तक न करने के सम्बन्ध में ।

7—बाबतपुर बसनी से बरही नेवादा के जमालापुर तक जाने वाली सड़क को जो मंजूरशुदा है जल्द से जल्द पक्का न बनाने के सम्बन्ध में ।

8—राजा तालाब से जमुनियां होते हुए कछवां जाने वाली कच्ची सड़क को पक्का न बनाने के सम्बन्ध में ।

9—वाराणसी जिले की नाद नदी में गांव सुरही के पास ब्लाक पिंडरा में अधूरे पुल को पूरा न करने तथा गांव सराय के पास नाद नदी में पुल बनाने के सम्बन्ध में तथा कुण्डी नाले में गांव कनिपर के पास पुल न बनाना ।

10—वाराणसी जिले के परगना कोल असला में नाद नदी के उत्तर गांव गड़खड़ा, जाठी ऊदपुर, पतिराजपुर, सहमतपुर, बरवां देउजी, कामापुर, सहमलपुर, चितोरा, मंसई, छतांव, सिधोरा, नदीप, रतनपुर, थरी, विक्रमपुर, कठरवां, हिरामनपुर, दिनदासपुर तथा परसरा और सिंचाई हेतु आज तक ट्यूबवेल (राजकीय) न लगाने के सम्बन्ध में ।

11—स्थान ताड़ी, कुवार, धौकलगंज, दांदूपुर, ब्लाक बड़ागांव तथा स्थान हिरामनपुर एवं रसूलपुर, ब्लाक पिंडरा एवं कालिका धाम, कपसेठी, ब्लाक सेवापुरी, जिला वाराणसी में एलौपैथिक एवं राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल न खोलने के सम्बन्ध में ।

12—वाराणसी के स्थान कुवार, ब्लाक बड़ागांव में जूनियर हाई स्कूल तथा धौकलगंज दांदूपुर में कन्या जूनियर हाई स्कूल न खोलने के सम्बन्ध में ।

13—पिछड़े वर्ग को छेदी लाल साथी आयोग के आधार पर 33 प्रतिशत रिजर्वेशन न देने के सम्बन्ध में ।

14—कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में निकाले गए 13 हजार कृषि अमीनों तथा चपरासियों को पुन: बहाल न करने के सम्बन्ध में ।

15—श्री मैनेजर सिंह—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

परन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में द्वितीय क्रान्ति के जनक, पूज्य लोक नायक, जयप्रकाश नारायण जी के नाम का उल्लेख कहीं नहीं है, साथ ही जनता पार्टी के चुनाव घोषणा से सम्बन्धित कार्यक्रमों के विषय में स्पष्ट कार्य की रूपरेखा का कहीं संकेत नहीं है ।

16—श्री राम नरायन वर्मा—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया—

1—हाथरस एम0जी0 पोलीटेकनिक के प्रधानाचार्य, श्री ी0 ए स0 गोयल द्वार किए गए निम्नलिखित भ्रष्ट कार्यों की जांच करायी जायेगी और उन्हें समुचित दण्ड दिय जाएगा—

(क) विद्यार्थियों के राशन की चीनी को ब्लैक मार्केट में बेचने,
(ख) संस्था में पेड़ों के कटवाने और उनसे प्राप्त विक्रय मूल्य का गबन करने,
(ग) झूठे मस्टर रोल तैयार करने,
(घ) माल की खरीद में गड़बड़ी करने,

(ङ) इम्प्रेस्ट का दुरुपयोग करने,

(च) खाली कोटेशनों को अन्य कोटेशनों को देखने के बाद भरने,

(छ) भ्रष्टाचार की शिकायत करने वालों को सेवा-मुक्त करने,

(ज) महिला वर्ष में महिला कर्मचारी को परीक्षा देने की अनुमति न देने,

(झ) आपात-स्थिति के दौरान गैर-कानूनी तरीके से संस्था की एक मात्र महिला अध्यापिका की सेवाएं समाप्त करने,

(ञ) अपनी सम्बन्धी फर्मों का पक्षपात करने,

(त) बिल्डिंग निर्माण के सम्बन्ध में घोटाला करने ।

2—माननीय मुख्य मन्त्री की घोषणा के बावजूद आपातकाल के दौरान अवैध रूप से निकाले गए अध्यापकों को पुनः सेवा में बहाल किया जायेगा, श्रीमती सुषमा दीक्षित को अभी तक सेवा में वापस नहीं लिया गया ।

17—श्रीमती सुनीता चौहान—

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कृषि और कृषि के साथ छोटे उद्योगों की स्थापना और प्रगति के सम्बन्ध में सरकार की विस्तृत एवं स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं किया ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०—एल० 114 वि० सभा (320)—1977—8401